# 50वाँ वार्षिक प्रतिवेदन
# 50th Annual Report 2016-17

URANIUM CORPORATION OF INDIA LIMITED
Celebrating 50 Years
GOLDEN Jubilee
Since - 1967

## यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का एक उपक्रम)

## Uranium Corporation of India Limited
(A Government of India Enterprise)

B-4

# अनुक्रमणिका

| | | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| 1. | निदेशक मण्डल | 03 |
| 2. | कार्यकारी अधिकारीगण | 04 |
| 3. | अध्यक्ष एंव प्रबंध निदेशक की कलम से | 05 |
| 4. | निदेशकों का प्रतिवेदन | 08 |
| 5. | निदेशकों का प्रतिवेदन का अनुलग्नक–I (ऊर्जा संरक्षण इत्यादि) | 18 |
| 6. | निदेशकों का प्रतिवेदन का अनुलग्नक–II (निगमित अभिशासन) | 20 |
| 7. | लेखा विश्लेशण | |
| | (i) प्रमुख विशिष्टताएँ | 24 |
| | (ii) कम्पनी की वित्तीय स्थिति | 25 |
| | (iii) कम्पनी की आय एवं व्यय का विवरण | 26 |
| 8. | पाई एवं बार चार्ट | |
| | (I) आय का वर्गीकरण | 27 |
| | (ii) व्यय का वितरण | 27 |
| | (iii) आय में वृद्धि | 28 |
| | (iv) निवल मालियत (नेटवर्थ) में वृद्धि | 28 |
| | (v) नियोजित पूँजी | 29 |
| | (vi) सकल तथा शुद्ध परिसम्पत्ति | 29 |
| 9. | लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन | 31 |
| 10. | निगम के लेखों पर नियंत्रक एवं भारत के महालेखा परीक्षक की टिप्पणी | 39 |
| 11. | 31 मार्च 2017 की स्थिति का तुलन–पत्र | 40 |
| 12. | वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए लाभ एवं हानि का लेखा | 41 |
| 13. | इक्विटी में परिवर्तन का विवरण | 42 |
| 13. | लेखे की 1 से 38 तक की टिप्पणियाँ | 43 |
| 14. | नकद प्रवाह विवरण | 87 |
| 15. | पच्चीस वर्षीय स्थिति का सार संग्रह | 88 |

# निदेशक मंडल

**श्री सी के असनानी** (01–09–2016 से प्रभावी)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

**श्री देबाशीष घोष**
निदेशक (वित्त)

**श्री संजीव सूद** (09–05–2017 तक)
संयुक्त सचिव (आई ऐण्ड एम)
परमाणु ऊर्जा विभाग

**श्री एम ए इनबरासु** (22–06–2017 से प्रभावी)
संयुक्त सचिव (आई ऐण्ड एम)
परमाणु ऊर्जा विभाग

**श्री आर ए राजीव** (12–04–2017 तक)
संयुक्त सचिव (वित्त),परमाणु ऊर्जा विभाग

**श्री जी कल्याणाकृष्णन**
मुख्य कार्यकारी, एन एफ सी

**श्री एल के नन्दा** (08–12–2016 से प्रभावी)
निदेशक, ए.एम.डी

**श्री आर बी चक्रवर्ती** (01–09–2016 से प्रभावी)
पूर्व उपमहानिदेशक, खान सुरक्षा (एक्स–डी.डी.जी.एम.एस)

**डा0 के उमामहेश्वर राव** (01–09–2016 से प्रभावी)
निदेशक, एन आई टी सूरतकल

**श्री बी सी गुप्ता**
कंपनी सचिव

## ऑडिटर्स

अग्रवाल रमेश के. ऐण्ड कंपनी
चार्टड अकाउंटेंट्स
14, आर.जे.एस. बिल्डिंग, पहली मंजिल,
डायग्नल रोड, बिष्टुपुर, जमशेदपुर–831001

## कार्यकारी

**श्री सी के असनानी**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

**श्री देवाशीष घोष**
निदेशक वित्त

**श्री अजय घडे**
कार्यकारी निदेशक (ऑपरेशन एवं प्रोजेक्ट दक्षिण)

**श्री पी एन सरकार**
कार्यकारी निदेशक (ऑपरेशन झारखण्ड)

**श्री एस सी भौमिक**
महाप्रबंधक (खान)

**डॉ. ए के सारंगी**
महाप्रबंधक (कॉरपोरेट प्लानिंग)

**श्री एस के गुहानियोगी**
महाप्रबंधक (क्रय एवं भंडार)

**श्री पी के पाढ़ी**
महाप्रबंधक (खान) आध्रंप्रदेश

**श्री प्रनेश एस आर**
महाप्रबंधक (मिल आध्रंप्रदेश)

**श्री राजेश कुमार**
महाप्रबंधक (सेफ्टी, ट्रेनिंग, आईएसओ,पर्यावरण एवं मेकेनिकल रखरखाव)

**श्री एम एस राव**
महाप्रबंधक (ईजिनियरिंग सर्विसेस आध्रंप्रदेश)

**श्री बी सी गुप्ता**
कम्पनी सचिव

## यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(भारत सरकार का एक उपक्रम)

सीआईएन : U 1000 JH 1967 GOI 000806
रजिस्टर्ड ऑफिस : पी.ओ. जादुगोडा माइंस, जिला : सिंहभूम (पूर्वी)
झारखंड – 83102, फोन : 0657 730122 / 353
फैक्स : 0657–730322, ई–मेल : cs@uraniumcorp.in
हमसे संपर्क करें : www.uraniumcorp.in

## चेयरमैन के डेस्क से

प्रिय सदस्यगण,

आपकी कंपनी की 50वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के अवसर पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। निदेशकों का प्रतिवेदन के साथ ही वर्ष 2016–17 के लिए कंपनी के लेखा का अंकेक्षित विवरण आपके पास भेज दिया गया और आपकी सहमति के साथ, मैं उसे पढ़ लिया गया मानता हूं।

सज्जनों, कई मोर्चों पर शानदार उपलब्धियों को चिह्नित करते हुए इस अवधि के दौरान कंपनी के प्रदर्शन पर प्रस्तुति देते हुए मैं अपनी खुशी और उत्साह की भावना को साझा करना चाहता हूं। आपकी कंपनी भारत में यूरेनियम संसाधनों का व्यावसायिक पैमाने पर उपयोग करने हेतु एकमात्र इकाई के रूप में, देश में स्वदेशी परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को समर्थन देने के लिए समर्पित है। वर्ष 2016–17 में कंपनी के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर जोर देते हुए मुझे अपार संतुष्टि हो रही है।

मुझे यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि जादुगोडा खान में वन भूमि विचलन नवीकरण मुद्दे के कारण,जादुगोडा संयंत्र में अयस्क की उपलब्धता में लगातार बड़े व्यवधानों के बावजूद भी सभी प्रमुख इकाइयों का प्रदर्शन वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है। हालांकि, 7 दिसंबर 2015 से जादुगोडा–भाटिन लीज को नियमित कर दिए जाने के अतिरिक्त, 11 मई 2017 को वन भूमि विचलन के लिए पहले चरण को मंजूरी दे दी गई और एमओईएफसीसी से अंतिम मंजूरी मिलने के तुरंत बाद खनन गतिविधियां शुरु हो जाएंगी, जो प्रक्रियाधीन है। इस बीच, इस नुकसान की आंशिक रूप से भरपाई के लिए अन्य इकाइयों से उत्पादन बढ़ा दिया गया है।

तुमलापल्ले परियोजना, जिसमें भूमिगत खदान और प्रोसेस प्लांट भी शामिल है, के पास कई नवोन्वेशी प्रौद्योगिकियां हैं जिसे देश में पहली बार अपनाया जा रहा है। तुमलापल्ले खान में फुटवॉल लोड को काफी हद तक विकसित किया गया है और डीजीएमएस से अनुमति प्राप्त करने के बाद रोकने की प्रक्रिया शुरु कर दी गई है। तुमलापल्ले में हैंगवॉल लोड के खनन से संबंधित मुद्दों का समाधान एक पायलट प्रोजेक्ट के माध्यम से किया गया है और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मेकैनिक्स, बैंगलोर द्वारा इसकी निगरानी की गई। तुमलापल्ले संयंत्र ने उच्च क्षमता के उपयोग और बेहतर रिकवरी के साथ अपने प्रदर्शन में लगातार सुधार किया है। तुमलापल्ले संयंत्र में पुनः विघटन प्रणाली की सुविधा को सफलतापूर्वक पूरा और कार्यान्वित कर लिया गया है। पुनः विघटन प्रणाली सुविधा की कमिशनिंग के साथ, संयंत्र ने 2016–17 की अंतिम तिमाही में पहले ही 70 प्रतिशत से अधिक प्रसंस्करण क्षमता दर्ज किया है। इस परियोजना को, इसके सफल संचालन के साथ अब जनवरी 2017 के प्रभाव से पूंजीकृत किया गया है।

झारखंड तथा तुम्मलापल्ले में कंपनी की जारी परियोजनाओं में इस अवधि के दौरान अच्छी प्रगति हुई है। जादूगोड़ा स्थित टेलिंग पॉण्ड में चतुर्थ चरण गतिविधियों के निर्माण गतिविधियों, जिन्हें स्थानीय लोगों द्वारा उपासना स्थल (जाहिरा) की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विरोध किए जाने के कारण स्थगित कर दिया गया था, इस मुद्दे के समाधान के साथ ही अब पुनः शुरू किया गया है। शेष कार्य एक एकल समेकित अनुबंध द्वारा पूरा किया जाएगा जो तैयार किया जा रहा है। तुरामडीह में मैग्नेटाइट पुनः प्राप्ति प्लांट में साइट की गतिविधियां प्रगति पर हैं तथा ए.ई.आर.बी. की मंजूरी प्राप्त हो गई है। तुरामडीह में यूरेनियम पेरॉक्साइड फैसिलिटी प्रोजेक्ट पूरा हो गया है तथा ए.ई.आर.बी. मंजूरी प्राप्त हो गयी है। तथापि फाइनल कमीशनिंग हेतु एमओईएफ क्लीयरेंस बहु–प्रतीक्षित है। तुरामडीह में टेलिंग पॉण्ड में द्वितीय चरण का निर्माण पूरा हो चुका है और फंड का पूरी तरह उपयोग हो चुका है। भाटीन खादान में साइट के आधुनिकीकरण हेतु निर्माण कार्य तथा सिविल और इलेक्ट्रिकल रखरखाव का कार्य प्रगति पर है। वन भूमि विचलन मंजूरी प्राप्त करने के बाद प्रमुख गतिविधियां शुरू की जाएगी। सिंहभूम तथा तुम्मलापल्ले में सात डिबॉटलनेकिंग परियोजना पहले से ही शुरु किया गया है और कार्य प्रगति पर है।

नवंबर 2016 में 'विजन 2031–32 यूरेनियम उत्पादन में स्व दक्षता' के लिए इस बात को ध्यान में रखते हुए डीएई विजन के अनुरूप देश की स्थाई दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा हेतु परमाणु विद्युत उत्पादन में बहुगुणा वृद्धि तथा आगामी 15 वर्षों में (2031– 32 तक) यूरेनियम उत्पादन में 10 गुना वृद्धि को लक्ष्य करते हुए एक रोडमैप भी बनाया गया है। कई परियोजनाओं के लिए काम शुरू भी किया गया है जिसमें राजस्थान के रोहिल, झारखंड के सिंगरीडुंगरी–बनाडुंगरी और तेलंगाना के पेद्दागट्टू में खोजी खनन हेतु यूसीआईएल तथा एएमडी के बीच एमओयू भी शामिल है।

आपकी कंपनी राजस्थान के रोहिल, कर्नाटक के गोगी, मेघालय केपीएम तथा तुम्मलापल्ले के आस–पास के क्षेत्रों को प्री–प्रोजेक्ट गतिविधियों के लिए अधिग्रहण हेतु उत्सुक है। जहां आवश्यक हो, वहां नयी पर्यावरण मंजूरी प्रक्रिया के लिए गतिविधियां भी शुरू की गयी है तथा आम लोगों के बीच साख बढ़ाने हेतु जन कल्याण गतिविधियों को तेज किया गया है। राज्य के पदाधिकारीगण और परियोजना के प्रमुख हितधारकों के साथ बैठकों के द्वारा नियमित फॉलोअप को सुनिश्चित किया गया है।

पूरे वर्ष के दौरान आपकी कंपनी के औद्योगिक संबंधों का स्वरूप कर्मचारियों के बीच बेहतर संबंधों के साथ संतोषजनक रहा है। वेतन पुनरीक्षण के लिए यूसीआईएल और कामगार यूनियनों के प्रबंधन के बीच समझौता ज्ञापन सम्पन्न हुआ और इसे सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है। समय–समय पर प्रबंधन, संघीय प्रतिनिधियों और अधिकारी संघों के बीच शांतिपूर्ण माहौल में कर्मचारी कल्याण, पदोन्नति, प्रशासनिक उपायों, आवास आवंटन आदि से संबंधित सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। आपकी कंपनी लगातार कॉरपोरेट गवर्नेंस मानदंडों को बनाए रखे हुए है।

आपकी कंपनी क्वालिटी एश्योरेंस के लिए आईएसओ 9001: 2008 प्रमाणपत्र, पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के लिए आई.एस.ओ. 14001: 2004 प्रमाणन और पेशागत स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएस –18001: 2007 प्रमाणीकरण को लगातार बरकरार रख रही है। जोखिम मूल्यांकन और प्रबंधन भी आईएस–18001: 2007 प्रमाणीकरण के अंतर्गत आते हैं। आपकी कंपनी ने आई.एस.ओ. –14001: 2004 के अनुरुप नरवापहाड़ टाउनशिप की पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली को बनाए रखा है जो टीयूवी–एनओआरडी द्वारा प्रमाणित है, और यह देश के किसी भी खनन उद्योग के टाउनशिप में अग्रणी उपलब्धि है।

मुझे आपको यह सूचित करते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि आपकी कंपनी को इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स, भारत सरकार द्वारा पीएसई अवॉर्ड 2016 देकर सम्मानित किया गया है। 47वें अखिल भारतीय बचाव प्रतियोगिता 2016 के दौरान आपकी कंपनी ने श्रम मंत्रालय, भारत सरकार से समग्र विजेता (धातुकर्म खान) का खिताब ग्रहण किया है।

भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ हुए समझौता ज्ञापन के संदर्भ में वर्ष 2016–17 में आपकी कंपनी के प्रदर्शन को बहुत अच्छा रेटिंग मिलने की आशा है।

आपकी कंपनी ने अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, वियाना; न्युक्लियर एनर्जी एजेंसी, फ्रांस; वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन, लंदन; यूरोप, जेनेवा आदि के लिए यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक कमिशन जैसे अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में उत्कृष्ट तकनीकी करार को बनाए रखा है। निकटवर्ती शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थान जैसे आईआईटी खड़गपुर; आईएसएम धनबाद; एक्सएलआरआई जमशेदपुर; सीआईएमएफआर धनबाद; एनएमएल जमशेदपुर आदि के साथ तकनीकी करार दूरंदेशी प्रौद्योगिकी के लिए उपयोगी जानकारी प्रदान कर रहे है।

मैं कंपनी के प्रत्येक कर्मचारियों के प्रयासों और उनकी प्रतिबद्धता की सराहना करता हूं। मैं परमाणु ऊर्जा विभाग और इसके विभिन्न घटकों के सहयोग, विशेष रूप से बीएआरसी, एएमडी, एनएफसी और एनपीसीआईएल को उनकी निःस्वार्थ सहायता, मार्गदर्शन और सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं विभिन्न शैक्षणिक एवं अनुसंधान संगठनों, विशेष रूप से आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी (आईएसएम) धनबाद, सीआईएमएफआर धनबाद और एनआईआरएम कोलार, से प्राप्त तकनीकी सहयोग की भी सराहना करता हूं। मैं कंपनी के बोर्ड में शामिल सभी सहकर्मियों, विशेष रूप से सेवा निवृत्त सदस्यों का उनके कार्यकाल के दौरान एवं उसके बाद भी,उनके द्वारा दिए गए बहुमूल्य सुझावों तथा उनके अथक प्रयासों के प्रति आभार प्रकट करता हूं।

अब, मैं 31 मार्च 2017 को निदेशकों की रिपोर्ट, तुलन पत्र और 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष का लाभ, हानि, लेखा आपके विचारार्थ, अनुमोदानार्थ एवं अंगीकरण हेतु प्रस्तुत करता हूं।

शिलांग
23 सितंबर, 2017

**सी के असनानी**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

# निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में
सभी सदस्यगण
देवियों एवं सज्जनों,

निदेशक मंडल की ओर से, आपकी कंपनी की 50वीं वार्षिक रिपोर्ट के साथ 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तथा अंकेक्षित लेखा, और भारत के कॉम्प्ट्रोलर तथा महालेखा परीक्षक द्वारा उस पर प्रतिवेदन को पेश करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है।

**1-0 प्रदर्शन के प्रमुख बिंदु:**

**1-1 वित्तीय प्रदर्शन:**

| | लाख रुपये में | |
|---|---|---|
| | **चालू वर्ष 2016-17** | **पिछले वर्ष** 2015-16 |
| आय | 1,27,270.50 | 1,02,552.57 |
| मूल्यह्रास पूर्व लाभ | 34,647.25 | 24,034.59 |
| घटाएं : (अ) मूल्यह्रास | 13,662.90 | 8,581.18 |
| कर पूर्व लाभ | **20,984.35** | **15,453.41** |
| घटाएं: (अ) टैक्स का प्रावधान | 4,537.67 | 5,763.44 |
| (ब) पिछले वर्ष के लिए | 463.76 | कुछ नहीं |
| (स) आस्थगित कर का प्रावधान | 3,189.04 | (294.39) |
| कर पश्चात लाभ | **12,793.88** | **9,984.36** |
| अन्य व्यापक आय | (175.53) | 225.63 |
| वर्ष के लिए कुल व्यापक आय | 12,618.35 | 10,209.99 |

वर्ष के दौरान, हमारी कंपनी ने कॉरपोरेट आयकर, लाभांश, केंद्रीय बिक्री कर, वैट, प्रवेश कर, एक्साइज ड्यूटी, सीमा शुल्क (आयात) और रॉयल्टी आदि के कारण सरकारी खजाने को 10,486,54 लाख (पिछले साल 6501.51 लाख रुपये) का योगदान दिया है।

**1.2 ऑपरेटिंग प्रदर्शन**

वर्ष 2016–17 के दौरान आपकी कंपनी के सभी ऑपरेटिंग इकाइयों का प्रदर्शन संतोषजनक रहा है।

- **जादुगोड़ा खान**

  30 मार्च 2017 को वन परामर्श समिति (एफएसी) के साथ जादुगोडा–भाटीन खान क्षेत्र में वन भूमि विचलन नवीकरण मुद्दे पर विचार विमर्श किया गया और 11 मई 2017 को पहले चरण को मंजूरी दे दी गई। एमओईएफसीसी से अंतिम मंजूरी मिलने के तुरंत बाद खनन गतिविधियां शुरु हो जाएंगी, जो प्रक्रियाधीन है।

- **भाटीन खान**

  'भाटीन का आधुनिकीकरण' परियोजना के अंतर्गत उच्च उत्पादन के लिए खान का नक्शा तथा अयस्क ऊपर उठाने की व्यवस्था का उन्नयन किया जा रहा है। इस आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत प्रमुख खनन गतिविधियां लंबित वन भूमि विचलन के कारण रूकी हुई है। अन्य संबंधित गतिविधियां प्रगति पर है।

- **नरवापहाड़ खान**

  नरवापहाड़ खान अपने शॉफ्ट–डिकलाइन इंट्री कम्बीनेशन तथा 1000 टन प्रतिदिन उत्पादन क्षमता के साथ देश का सर्वाधिक आधुनिक भूमिगत यूरेनियम खान है। इसका लेआउट पटरीविहीन उपकरण के नियोजन की सुविधा प्रदान करता है जो इसकी उच्च उत्पादकता एवं उन्नत सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। खान की विस्तारीकरण योजना बनाई गई है ताकि

उत्पादन क्षमता 1500 टन प्रति दिन बढ़ाया जा सके। पर्यावरणीय जन सुनवाई का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया और ईएसी ने पर्यावरण मंजूरी के लिए अनुशंसा की है, हालांकि औपचारिक पत्र मिलने की प्रतीक्षा है।

- **तुरामडीह खान**

  इस खान में आधुनिक भूमिगत पटरी विहीन खनन का उपयोग किया जाता है और यहां 750 टन प्रतिदिन की निर्धारित क्षमता को बढ़ाकर 1000 टन प्रतिदिन करने के लिए विस्तारीकरण किया जा रहा है। वर्ष के दौरान, तुरामडीह खान में 82 प्रतिशत उपयोग क्षमता दर्ज की गयी है। तुरामडीह में ओर होइस्टिंग एवं क्रशिंग सिस्टम में सुधार प्रगतिधीन है।

- **बांदुहुरांग ओपन कास्ट खान**

  यह देश की पहली ओपन कास्ट यूरेनियम माइंस है जो तुरामडीह प्रोसेसिंग प्लांट के बगल में स्थित है। वर्ष के दौरान समग्र प्रदर्शन संतोषजनक रहा और पूर्ण क्षमता उपयोग हासिल किया गया।

- **बागजाता खान**

  बागजाता खान से उत्पादित अयस्क जादूगोड़ा संयंत्र में संसाधित किया जाता है। बागजाता खान से उच्चतर उत्पादन ने क्षेत्र में परिवहन के लगातार अवरोधों के विरूद्ध जादूगोड़ा संयंत्र में एक बफर के रूप में भंडार बनाने में मदद किया है। हालाँकि, खान के लोकेशन और सामान्य विधि व्यवस्था की समस्या ने खान से संयंत्र तक सुगम अयस्क परिवहन को प्रभावित किया है। वर्ष के दौरान, खान में 82 प्रतिशत क्षमता उपयोग दर्ज की गयी है।

- **मोहुलडीह भूमिगत खान**

  मोहुलडीह खान को 2012 में कमीशन किया गया था और इस खान से उत्पादित अयस्क तुरामडीह संयंत्र में संसाधित किया जाता है। इसने पटरी विहीन उपकरण नियोजन की आधुनिक पद्धति को अपनाया है।

- **जादुगोड़ा संयंत्र**

  1968 में स्थापित देश का सबसे पुराना अयस्क प्रसंस्करन संयंत्र जिसकी मौजूदा प्रसंस्करन क्षमता 2500 टन प्रति दिन है, ने जादुगोडा खान और भाटीन खान में उत्पादन स्थगन के बावजूद वर्श के दौरान 85 प्रतिशत उपयोग क्षमता दर्ज किया है। संयंत्र यूरेनियम पैरॉक्साइड का उत्पादन करता है, जो पर्यावरण के अनुकूल है एवं मूल्य वर्धित उत्पाद से एनएफसी के प्रसंस्करन अभ्यासों को लाभान्वित करता है।

- **तुरामडीह मिल**

  3000 टन प्रति दिन अयस्क प्रसंस्करण क्षमता के साथ तुरामडीह संयंत्र आपकी कंपनी के उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान के साथ अच्छी तरह से प्रदर्शन कर रही है। यह संयंत्र उन्नत उपकरणों तथा आधुनिक नियंत्रण और निगरानी सुविधाओं से सुसज्जित है। यह तुरामडीह, बांदुहुरांग और मोहुलडीह खान से सिंचित है। वर्श के दौरान संयंत्र ने शत प्रतिशत उपयोग क्षमता हासिल किया है।

- **उपोत्पाद-प्रोडक्ट रिकवरी संयंत्र**

  जादुगोडा में बाय–प्रोडक्डट रिकवरी संयंत्र से मैग्नेटाइट के उत्पादन में निरंतर प्रदर्शन बरकरार है। जादुगोडा संयंत्र से उत्पादित मैग्नेटाइट की उच्च शुद्धता के उत्पादों की बाजार में अच्छी मांग है।

**1.3 नई परियोजनाएं :**

- **तुम्मलापल्ले यूरेनियम परियोजना :**

  इस परियोजना में भूमिगत खान एवं प्रसंस्करन संयंत्र के साथ कई नवोन्वेशी प्रौद्योगिकियां शामिल है, जिसे देश में पहली बार अपनाया गया है। खान ने पहले ही उत्पादन शुरू कर दिया है और पर्याप्त अयस्क भंडार का निर्माण कर दिया गया है। तुम्म्लापल्ले में हैंगवाल लोड से संबंधित मुद्दे का समाधान एक पायलट प्रोजेक्ट के माध्यम से किया गया है, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मेकेनिक्स के सहयोग से किया गया। तुमलापल्ले संयंत्र में पुनः विघटन प्रणाली की सुविधा को सफलतापूर्वक पूरा और कार्यान्वित कर लिया गया है। पुनः विघटन प्रणाली सुविधा की कमिशनिंग के साथ, संयंत्र ने 2016–17 की अंतिम तिमाही में पहले ही 70 प्रतिशत से अधिक प्रसंस्करण क्षमता दर्ज किया है। इस परियोजना को, इसके सफल संचालन के साथ अब जनवरी 2017 के प्रभाव से पूंजीकृत किया गया है।

- **गोगी यूरेनियम परियोजना, कर्नाटक :**

  जुलाई 2012 से ही खोजपूर्ण खनन स्थगित कर दिया गया था। ईटीपी की संस्थापना तथा संबंधित खोजपूर्ण खदान विकास के लिए 15 करोड़ रुपये का नया प्रस्ताव एएमडी के अनुमोदन के अधीन है। ईआईए/ईएमपी अध्ययन के लिए नई शुरुआत की गई है और परियोजना पूर्व गतिविधियां प्रगति पर है।

पिरामल हेल्थकेयर के साथ मोबाइल चिकित्सा शिविरों के आयोजन का कार्य प्रगति पर है।

- **केलेंग-पेंडेंगसोहियोंग परियोजना, मेघालय :**

  आपकी कंपनीमेघालय में केलेंग–पेंडेंगसोहियोंग मावथाबाह परियोजना के लिए भारत सरकार की मंजूरी प्राप्त करने के प्रयास को जारी रखे हुए है। समय समय पर राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक और वार्ताएं की जा रही हैं। स्थानीय लोगों से सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करने की दिशा में आपकी कंपनी द्वारा कल्याणकारी गतिविधियों तथा स्वच्छ भारत पहल को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है।

- **रोहिल यूरेनियम भंडार, राजस्थान :**

  आपकी कंपनी ने इस क्षेत्र में अन्वेशण खनन कार्य की शुरुआत करने के लिए एमएमडी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। साइट पर डिक्लाइन पोर्टल की खुदाई का काम शुरु किया जा चुका है और यह कार्य प्रगति पर है। खान के लेआउट को अंतिम रूप दिया जा चुका है और जल आपूर्ति स्त्रोतों की पहचान की गई है। शाफ्ट सिंकिंग के माध्यम से अन्वेशण खनन कार्य के विस्तार के लिए एक समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दिया गया और परियोजना के प्रस्ताव को एएमडी के पास जमा कर दिया गया है।

- **सिंगरीडुंगरी-बनाडुंगरी यूरेनियम भंडार, झारखंड :**

  आपकी कंपनी ने इस क्षेत्र में अन्वेषण खनन कार्य की शुरुआत के लिए एएमडी के साथ करार किया है। सिंगरीडुंगरी–बनाडुंगरी यूरेनियम भंडार में अन्वेषण खनन कार्य के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट एएमडी के पास जमा कर दिया गया है।

- **पेद्दागाट्टू यूरेनियम भंडार, तेलंगाना :**

  आपकी कंपनी ने इस क्षेत्र में अन्वेशण खनन कार्य की शुरुआत के लिए एएमडी के साथ करार किया है। पेद्दागाट्टू यूरेनियम भंडार में अन्वेषण खनन कार्य के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट एएमडी के पास जमा कर दिया गया है।

- **तुरामडीह में मैगनेटाइट प्रति-प्राप्ति संयंत्र :**

  तुरामडीह का नया मैग्नेटाइट प्रति–प्राप्ति संयंत्र, अवशेष से उपयोगी उत्पाद की प्रतिप्राप्ति में सहायता करेगा तथा आपकी कंपनी की वित्तीय स्थिति का उन्नत करेगा। मिल फाउंडेशन और मैग्नेटाइट भंडारन पिट सहित प्रमुख सिविल गतिविधियां पूरी हो चुकी हैं। मैग्नेटाइट बॉल मिल की स्थापना का कार्य प्रगति पर है और एईआरबी मंजूरी प्राप्त हो चुकी है।

- **तुरामडीह में यूरेनियम पेरॉक्साइट फैसिलिटी**

  मौजूदा तुरामडीह यूरेनियम प्रसंस्करण संयंत्र में यूरेनियम पेरॉक्साइड सुविधा में रिएजेंट के इश्टतम उपयोग और उत्पाद की बेहतरीन प्रतिप्राप्ति के लिए उन्नत तकनीक को अपनाया गया है। निर्माण कार्य और ट्रायल रन सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। एईआरबी की मंजूरी प्राप्त हो चुकी है और एमओईएफ मंजूरी मिलने की प्रतीक्षा है।

- **जादूगोडा में चतुर्थ चरण टेलिंग पॉण्ड :**

  आपकी कंपनी ने जादूगोडा संयंत्र के टेलिंग्स के प्रबंधन के लिए सामर्थ्य निमार्ण की दिशा में अतिरिक्त 10 वर्षों के लिए प्रथम चरण टेलिंग पॉण्ड (चतुर्थ चरण टेलिंग्स पॉण्ड) के द्वितीय फेज का निर्माण किया है। निर्माण गतिविधियां जो पूजन स्थल (जाहिरा) के संरक्षण के लिए स्थानीय लोगों द्वारा बाधित कर दी गयी थी, अब फिर से शुरु हो चुकी है। शेष कार्य एकल समेकित अनुबंध के माध्यम से पूरा किया जाएगा जिसे तैयार किया जा रहा है।

- **कॉपर टेलिंग्स से यूरेनियम प्रतिप्राप्ति संयंत्र :**

  आपकी कंपनी मुसाबनी माइंस में मेसर्स हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के संचालन के कॉपर टेलिंग्स से यूरेनियम प्रति प्राप्ति हेतु दो यूरेनियम प्रति प्राप्ति संयंत्र के निर्माण का प्रस्ताव किया है। डीपीआर तैयार हो चुका है और टीओआर प्राप्त हो चुका है और मेसर्स एचसीएल द्वारा टेलिंग्स की आपूर्ति हेतु सहमति दी जा चुकी है। ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट का मसौदा तैयार कर जमा कर दिया गया है।

- **भाटीन माइंस का आधुनिकीकरण**

  'भाटीन का आधुनिकीकरण' परियोजना के अंतर्गत उच्च उत्पादन के लिए खान का नक्शा तथा अयस्क ऊपर उठाने की व्यवस्था का उन्नयन किया जा रहा है। इस आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत प्रमुख खनन गतिविधियां लंबित वन भूमि विचलन के कारण रूकी हुई है। अन्य संबंधित गतिविधियां प्रगति पर है।

- **सिंहभूम और तुम्मलापल्ले संचालन का डिबॉटलनेकिंग**

  सुनियोजित परियोजना के रूप में डिबॉटलनेकिंग गतिविधियां सिंहभूम और

तुममलापल्ले में माइंस और संयंत्र के वर्तमान प्रदर्शन को स्थायी तौर पर बरकार रखने में मदद करेगी। विभिन्न क्षेत्र चिन्हित किये गए हैं जिन्हें, सुगम सतत उत्पादन को बरकरार रखने हेतु संशोधित/ उन्नत किये जाने की आवश्यकता है। कंपनी ने दो विभिन्न शीर्षों– सिंहभूम संचालन का डिबॉटलनेकिंग और तुममलपल्ले संचालन का डिबॉटलनेकिंग के तहत वर्गीकृत करते हुए कुल सात परियोजनाओं का प्रस्ताव दिया है। तुम्मलापल्ले में हैंग वॉल लोड में ट्रायल स्टॉपिंग को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। अन्य शेष परियोजनाओं के डिजाइन और सेवाओं के लिए निरंतर अनुबंध किया गया है। निविदा दस्तावेजों की जांच तथा अंतिम रूप देने का काम प्रगति पर है, और साइट पर सिविल कार्य पहले ही किया जा चुका है।

### 1.4 समझौता ज्ञापन प्रदर्शन

भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ हुए समझौता ज्ञापन के संदर्भ में वर्ष 2016–17 में आपकी कंपनी के प्रदर्शन को बहुत अच्छा रेटिंग मिलने की आशा है।

### 2.0 लाभांश तथा रिजर्व में स्थानांतरण

आपके निदेशकगण 1,61,561.78 लाख रुपये के प्रदत पूजी के ऊपर 3839 लाख रुपए लाभांश देने की शिफारिश करते हुए प्रसन्नता व्यक्त कर रहे है (विगत वर्ष यह राशि 3064 लाख रुपये थी)।

### 3.0 शेयर पूंजी

वर्ष के दौरान कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 3,500 करोड़ रुपये तथा 31 मार्च 3016 को सब्सक्राइब्ड शेयर पूंजी 1615.62 करोड़ रुपये हुई।

### 4.0 ऊर्जा संरक्षण / प्रौद्योगिकी का समावेश, अनुकूलन, नवोन्वेषण तथा विदेशी मुद्रा का अर्जन एवं उपयोग

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3)(एम) कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 8 के साथ पठित प्रौद्योगिकी का समावेश तथा विदेशी मुद्रा के उपयोग एवं अर्जन संबंधी विवरण इस प्रतिवेदन के अनुलग्नक–1 में दिखलाया गया है।

### 5.0 औद्योगिक संबंध

वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी का औद्योगिक संबंध विभिन्न स्तरों के कर्मचारियों के बीच मधुर संबंध के साथ संतोषजनक रहा। समय समय पर प्रबंधन, यूनियन प्रतिनिधियों तथा ऑफिसर्स एसोसिएशन के बीच शांतिपूर्ण वातावरण में कर्मचारी कल्याण, पदोन्नति, प्रशासनिक उपायों, गृह आवंटन आदि से संबंधित सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया।

## 6.0 कार्यबल

31 मार्च 2017 को आपकी कंपनी में कार्यबल की कुल संख्या 4834 थी। आपकी कंपनी में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व कुल कार्यबल का करीब 52.03% है। 31 मार्च 2017 को कंपनी में कार्यरत दिव्यांग लोगों की संख्या 13 है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के आधार पर आरक्षित कोटा भरने के लिए कंपनी द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है।

### 7.0 प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी

आपकी कंपनी ने सभी स्तरों पर एक बेहद ही स्वस्थ और सौहार्दपूर्ण संबंध कायम रखा है। विभिन्न संचालन इकाइयों में शॉप कॉउन्सिल की कुल 35 बैठकें आयोजित की गई जिसमें कर्मचारियों की शिकायत से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये मुद्दे बाद में उच्च प्रबंधन की जानकारी में लाये गए। कर्मचारियों को भविष्य निधि के न्यास बोर्ड, ग्रैच्युटी फंड, मृत्यु लाभ योजना, कर्मचारी पारिवारिक सहायता योजना, कल्याण निधि योजना तथा को–ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी आदि योजनाओं में प्रतिनिधित्व दिया गया। कर्मचारियों के प्रतिनिधि सुरक्षा समिति, कैंटीन प्रबंधन समिति और स्पोर्ट्स समिति इत्यादि के सदस्यों के रूप में सक्रिय भूमिका निभाते हैं।

### 8.0 मानव संसाधन विकास एवं प्रशिक्षण

विभिन्न प्रशिक्षण मॉडयूल के माध्यम से क्षमता को निखारने की दिशा में मानव संसाधन के उन्मुखीकरण में आपकी कंपनी के प्रयासों की सराहना की गई है। आपकी कंपनी कर्मचारियों को आकर्षित करने, रोके रखने और प्रेरित करने के साथ ही एक ऐसा माहौल तैयार करने के लिए लगातार संघर्षरत है जो उन्हें कंपनी के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने हेतु पोषित करता है। बोर्ड की स्वीकृति से युवा अधिकारियों के लिए नई तीव्र कैरियर विकास योजना की शुरुआत की गई है।

देश में प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा आयोजित संगोष्ठी, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और कार्यशालाओं में भाग लेने के लिए आपकी कंपनी के बयान्वे (92) अधिकारियों को प्रायोजित किया गया था। विभिन्न विषयों के लिए आवश्यक कौशल और

ज्ञान को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण और विकास को निरंतर आधार पर पहचाना जाता हैं और कंपनी के मानव संसाधन के समस्त दक्षता में सुधार के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम/ कार्यशालाओं को आयोजित किया जाता है। वर्ष 2016–17 के दौरान, 168 अधिकारियों और सुपरवाइजरों ने नरवापहाड़ में स्थित प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र में 689 कार्यदिवस के लिए आयोजित आंतरिक प्रशिक्षण में भाग लिया।

**9.0 सुरक्षा :**

आपकी कंपनी एक संरचित आंतरिक सुरक्षा संगठन के साथ अपनी सभी गतिविधियों में सुरक्षा पर बहुत जोर देती है। खानों और प्रसंस्करण संयंत्रों में सुरक्षा सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया है। शून्य दुर्घटना लक्ष्य को हासिल करने के उद्देश्य से आंतरिक सुरक्षा संगठन द्वारा प्रचलित सुरक्षा मानकों की समय–समय पर समीक्षा की गई। दुर्घटनाओं में कमी लाने के प्रयास में आपकी कंपनी द्वारा अत्याधुनिकखनन प्रौद्योगिकियों के माध्यम से उच्च स्तर के मशीनीकरण को अपनाया गया है। आपकी कंपनी की सभी इकाइयों में वार्षिक सुरक्षा सप्ताह अभियान आयोजित किया गया। सभी खानों की यूसीआईएल खान सुरक्षा समिति ने नियमित रूप से मासिक बैठकें आयोजित कीं जिसमें समिति के सदस्यों, कर्मचारियों के संघीय प्रतिनिधियों, कामगारों के निरीक्षकों, और स्वास्थ्य भौतिकविदों समेत विभिन्न स्तरों के कर्मचारी शामिल थे। बैठक में नियर मिस की घटनाओं, असुरक्षित गतिविधियों तथा कार्य अभ्यासों और समीक्षाधीन अवधि के दौरान हुई दुर्घटनाओं पर चर्चा हुई। चिकित्सा जांच केंद्रों पर सभी कर्मचारियों की रोजगार पूर्व और सामयिक चिकित्सा जांच विशेशज्ञ पेशेवर स्वास्थ्य चिकित्सकों द्वारा की गईं। ग्रुप वीटी केंद्रों में अनुबंधीय कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया गया। प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र द्वारा अधिकारियों और सुपरवाइजरों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था की गई।

**10.0 निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) :**

विगत वर्षों की तरह, आपकी कंपनी अपने कारोबार को सामाजिक रूप से जिम्मेदार, नैतिक और पर्यावरण स्नेही तरीके से संचालित करने हेतु प्रतिबद्ध है और अपने परिचालन क्षेत्रों के आस–पास रहने वाले समुदायों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए लगातार काम करती है। कंपनी की सीएसआर गतिविधियों को बुनियादी मूल्यों के अनुसार कार्यान्वित किया जाता है जैसे कि हितधारकों के हितों की रक्षा करना, स्थानीय समुदायों के साथ सक्रिय सहभागिता और समावेशी विकास की दिशा में प्रयास करना। सीएसआर गतिविधियां, कंपनी के परिचालन क्षेत्र के समग्र सामाजिक आर्थिक संकेतकों को सुधारने के लक्ष्य के साथ निम्नलिखित व्यापक विषयों पर केंद्रित हैं।

**शिक्षा**– आपकी कंपनी द्वारा शुरू की गई प्रतिभा संवर्धन कार्यक्रम (टीएनपी) ने आसपास के गांवों के वंचित छात्रों को अपने परमाणु ऊर्जा केंद्रों में नामांकित करके उन्हें शिक्षा प्रदान करने का प्रयास जारी रखा है। इन छात्रों को वित्तीय सहायता के रूप में छात्रवृत्ति के साथ पोशाक, जूते, स्टेशनरी, पाठ्य पुस्तकें, बैग आदि प्रदान किए गए। इसके अलावा, आसपास के स्कूलों के छात्रों के बीच भी नोटबुक और स्कूल बैग का वितरण किया गया।

**पेयजल का प्रावधान**– आपकी कंपनी ने स्थानीय समुदाय को स्वच्छ पेयजल की सुविधा प्रदान करने के लिए राजदोहा और बाघमारा गांव में जलमिनार का निर्माण किया है, साथ ही चट्टिकोछा गांव में एक ओवरहेड टैंक का भी निर्माण कराया है। पाइप से पानी की आपूर्ति के लिए मुर्गाघुटु और पाथेरचक्री में जल स्त्रोत की सुविधा प्रदान की गई है। पानी के टैंकर के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति हेतु तथा झारखंड में मौजूदा ट्यूबवेलों की मरम्मत और रखरखाव के लिए अनुबंध किया गया। आंध्र प्रदेश राज्य में तुम्मलापल्ले में स्थित आरओ संयंत्र के संचालन और रखरखाव के लिए नंदी फाउंडेशन को संलग्न किया गया।

**कौशल विकास**–निगमित सामाजिक दायित्व के दायरे में आपकी कंपनी द्वारा प्रदान की जाने वाली कंप्यूटर और सॉफ्ट स्किल कोचिंग से आसपास के गांवों के वंचित और आकांक्षी युवा लाभान्वित हो रहे हैं। इलेक्ट्रिकल, फिटर और वेल्डिंग के ट्रेड में तकनीकी कौशल भी तुरामडीह में इसके औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र (आईटीसी) के माध्यम से नियमित रूप से प्रदान किये जाते है।

**कृषि और सिंचाई**– कृषि को बढ़ावा देने के लिए, बड़ा तालसा, हारटोपा और राजदोहा गांव में लिफ्ट सिंचाई सुविधा प्रगति पर है। इन परियोजनाओं के पूरा हो जाने पर किसानों को उच्च कृषि उत्पादन के लिए अपने खेतों में पानी की नियमित आपूर्ति करने में मदद मिलेगी। और राजदोहा गांव में लिफ्ट सिंचाई सुविधा प्रगति पर है। इन परियोजनाओं के पूरा हो जाने पर किसानों को उच्च कृषि उत्पादन के लिए अपने खेतों में पानी की नियमित आपूर्ति करने में मदद मिलेगी।

**बुनियादी संरचना का विकास**–आपकी कंपनी द्वारा कई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की शुरूआत की गई है जैसे मोहुलडीह गांव में कब्रिस्तान का विकास, धतकीडीह में फुटबॉल मैदान का विकास, सांखोई नदी, बागजाता में बाजार का विकास, आदि जो निविदा चरण में है।

**स्वास्थ्य देखभाल**– आपकी कंपनी के आसपास के सभी गांवों में साप्ताहिक चिकित्सा शिविर आयोजित किए गए, जहां रोगियों के स्वास्थ्य की जांच की गई और साथ ही उन्हें निःशुल्क दवाइयां भी उपलब्ध करायी गईं। कर्नाटक के यादगीर जिले के गोगी प्रोजेक्ट में पिरामल हेल्थकेयर समूह के सहयोग से एक चलंत चिकित्सा शिविर (मोबाइल हेल्थ कैंप) सफलतापूर्वक काम कर रहा है।

**खेल एवं संस्कृति**– प्रत्येक वर्ष की तरह, आपकी कंपनी ने जमशेदपुर स्पोर्ट्स एसोसिएशन (जेएसए) द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए आसपास के गांवों के युवाओं को निःशुल्क फुटबॉल कोचिंग प्रदान किया। स्थानीय स्तर पर अन्य फुटबॉल टूर्नामेंट के आयोजन के लिए भी आपकी कंपनी द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने के अपने प्रयास में, आपकी कंपनी ने मुर्गाघटु और नंदूप में जाहेरस्थान की चहारदीवारी का निर्माण कार्य शुरु किया है साथ ही चाटिकोचा स्थित जाहेरस्थान में आरएससी सीढ़ियों का निर्माण कार्य शुरू किया। इसके अलावा, यूसीआईएल द्वारा स्थानीय स्तर पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

**स्वच्छ भारत** : स्वच्छ भारत पहल के तहत, आपकी कंपनी ने बदिया माध्यमिक विद्यालय में शौचालय का निर्माण कराया है और इसे जादूगोड़ा मोड में सार्वजनिक शौचालय की सफाई और स्वच्छता के लिए एक अनुबंध भी प्राप्त हुआ है। स्वच्छता पहल को आगे बढ़ावा देने की दिशा में, यूसीआईएल के आवासीय कॉलोनी और कॉलोनी के बाहर के क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाया गया और यूसीआईएल के सभी इकाइयों में आवासीय क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया। सभी इकाइयों में आवासीय क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया।

सीएसआर कमिटी का गठन इस प्रकार है:

1. डॉ के उमामहेश्वर राव, निदेशक, एनआईटी सुरतकल
2. श्री डी घोष, निदेशक (वित्त)
3. निदेशक (तकनीकी), यूसीआईएल
4. श्री एम एल मजूमदार, आईएएस (सेवानिवृत्त),बाह्य विशेषज्ञ

| पुरस्कार प्राप्तकर्ता | पुरस्कार का स्तर | अवार्डी | पुरस्कार के नाम |
|---|---|---|---|
| यूसीआईएल (यूसिल) | राष्ट्रीय | भारत सरकार (श्रम मंत्रालय) | 47वां अखिल भारतीय बचाव प्रतियोगिता 2016 (13 से 18 दिसम्बर, 2016 एमआरएस नागपुर में)<br>– समग्र विजेता (धातुकर्म खान)<br>– फैब में विजेता(धातुकर्म खान)<br>– बचाव सिद्धांत में उपविजेता टीम (धातुकर्म खान)<br>– प्राथमिक चिकित्सा में उपविजेता टीम (धातुकर्म खान)<br>– रिकवरी कार्य में उपविजेता टीम (धातुकर्म खान)<br>– श्री बी एल डे, यूसीआईएल (धातुकर्म खान) को सर्वश्रेष्ठ कप्तान पुरस्कार |
| यूसीआईएल (यूसिल) | राष्ट्रीय | इंडियन चैंबर ऑफ कॉमस | 6 जुलाई 2016 को नई दिल्ली में यूसीआईएल को पीएसई अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। |

**12. कॉरपोरेट अभिशासन:**

कॉरपोरेट अभिशासन से संबंधित एक रिपोर्ट अनुलग्नक –II में दिया गया है।

**13.0 सार्वजनिक जमा :**

आपकी कंपनी ने जनता से समीक्षाधीन अवधि के दौरान कोई जमा राशि स्वीकार नहीं किया है।

**14.0 पारिस्थितिकी और पर्यावरण संरक्षण :**

आपकी कंपनी सतत विकास के लिए पर्यावरणीय जिम्मेदारियों और प्रतिबद्धताओं की गहरी समझ रखती है। आपकी कंपनी अपनी सभी इकाइयों में पारिस्थितिक संतुलन और पर्यावरण संरक्षण पर जोर देती है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बीएआरसी) का स्वास्थ्य भौतिकी इकाई, जादूगोड़ा, नरवापहाड़, तुरामडीह और तुम्मलापल्ले में सभी परिचालनों और इसके परिवेश क्षेत्र की आवधिक रेडियोलॉजिकल और पर्यावरण को मॉनिटर करता है। बाह्य गामा विकिरण, रेडॉन कन्संट्रेशन, स्थगित कण मामलों, एयरबॉर्न लौंग लिव्ड अल्फा एक्टिविटी को हवा में मॉनिटर किया जाता है। सतह और भूजल, मिट्टी, खाद्य पदार्थों और क्षेत्र के कृषि उत्पादन में रेडियो न्यूक्लाइड की सांद्रता इत्यादि की समय–समय पर निगरानी की जाती है। आपकी कंपनी ने सभी इकाइयों के लिए पर्यावरण प्रबंधन और वैधानिक अनुपालन हेतु महाप्रबंधक स्तर के एक वरिष्ठ अधिकारी की अध्यक्षता में एक पर्यावरण अभियंत्रण प्रकोष्ठ(ईईसी) की स्थापना की है। सतत विकास की दिशा में, औद्योगिक प्रयोग के लिए सभी खानों के डिस्चार्जों के पुनः उपयोग और पुनरावृत्ति के लिए प्रयास किए गए हैं। संबंधित खानों से माइन डिस्चार्ज एकत्रित करने के लिए निकटतम अयस्क प्रसंस्करण संयंत्रों तक कई पाइपलाइन बिछाए गए हैं। माइन डिस्चार्ज का पूरी तरह से पुनः उपयोग किया जाता है। टाउनशिप से मलजल का निपटान सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स (एसटीपी) में किया जाता है। अयस्क प्रसंस्करण संयंत्रों से प्राप्त अपशिष्ट का उपचार इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी) में किया जाता है। जैव चिकित्सा कचरे के निपटान के लिए आपकी कंपनी ने जादूगोड़ा में एक सामान्य कचरा भट्टी स्थापित किया है। आपकी कंपनी ने अयस्क प्रसंस्करण संयंत्रों के रिजेक्ट्स (अवशेष) की सुरक्षित रोकथाम के लिए कचरा निपटान प्रणाली, टेलिंग पॉड का निर्माण किया है। आपकी कंपनी ने अपने खदानों और टेलिंग पौंड के आसपास वेस्ट रॉक डंप के विकासशील उपचार का कार्य शुरु किया है। क्षेत्र के पारिस्थिति की और सौंदर्य को बनाए रखने के लिए, कंपनी विकासशील वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाती है। वर्ष के दौरान, जादूगोडा, बांदुहुरांग, और मोहुलडीह खान क्षेत्रों में 10725 वृक्ष लगाए गए हैं। आपकी कंपनी एक आईएसओ –14001: 2004 प्रमाणित संगठन है। भूजल संसाधनों के संवर्धन के लिए वर्षा जल संचयन प्रणाली का निर्माण किया गया है। उपर्युक्त के अलावा, आपकी कंपनी आईएसओ –14001: 2004 के अनुसार नरवापहाड़ टाउनशिप की पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली का रखरखाव करती है जो कि टीयूवी–नॉर्ड द्वारा प्रमाणित है। आपकी कंपनी कर्मचारियों, निवासियों, छात्रों और अन्य इच्छुक पार्टियों के लिए प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र में पर्यावरण संरक्षण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाती है।

**15.0 आईएसओ प्रमाणीकरण :**

आपकी कंपनी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आईएसओ 9001: 2008प्रमाण पत्र, पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ 14001: 2004 और पेशागत स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएस –18001: 2007 प्रमाणन को बनाए रखा है। मेसर्स टीयूवी और मेसर्स बीआईएस द्वारा किए गए पुनः प्रमाणन अंकेक्षण में कंपनी को आगामी तीन वर्षों के लिए सफलतापूर्वक आईएसओ 14001–2004 और आईएस 18001–2007 से पुनः प्रमाणित किया गया है। जोखिम मूल्यांकन और प्रबंधन को भी आईएस –18001: 2007 प्रमाणीकरण के तहत शामिल किया गया है।

**16. लघु एवं मध्यम स्तरीय उद्योग (एसएमई)**

आपकी कंपनी समाज के समेकित विकास की दिशा में अपने आसपास के क्षेत्रों के लघु और मध्यम उद्योगों की भूमिका को सम्मानित करती है। वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने विभिन्न उपकरणों के पुर्जों के स्वदेशीकरण में सफलता हासिल करने के लिए विभिन्न लघु और मध्यम

स्तरीय उद्योगों को समर्थन देना जारी रखा है और इस प्रकार बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की बचत की है। 2016–17 के दौरान 28.96 करोड़ रुपए (पिछले वर्श 33.73 करोड़) मूल्य का आदेश एसएमई पर दाखिल किया गया था।

**17. विदेश भ्रमण**

वर्ष के दौरान विदेश यात्रा पर 2.86 लाख रुपये खर्च हुआ जबकि पिछले वर्ष 0.80 लाख रुपये खर्च हुआ था।

**18. विज्ञापन और प्रचार**

वर्ष के दौरान, विज्ञापन और प्रचार पर 465.28 लाख रुपये व्यय हुआ, जबकि विगत वर्ष यह 287.74 लाख रुपये था। यह खर्च अधिकतर नई नियुक्तियों, निविदा संबंधी सूचनाओं आदि के प्रसारण हेतु विज्ञापनों पर किया गया था। आपकी कंपनी विज्ञापन और प्रचार के लिए अपनी वेबसाइट के उपयोग में वृद्धि के प्रति प्रगतिशील है।

**19. हिंदी का प्रगामी प्रयोग**

राजभाषा अधिनियम और नियमों को लागू करने के लिए भारत सरकार की नीति के अनुसरण में, वर्ष 2016–17 के दौरान औपचारिक कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लगातार हर तरह के प्रयास किए गए। राजभाषा कार्यान्वयन समिति उपरोक्त अधिनियम के कार्यान्वयन की प्रगति की समय–समय पर समीक्षा करती रहती है। दिनांक 14 से 20 सितंबर, 2016 के दौरान ''हिंदी सप्ताह'' का भी आयोजन किया गया। वर्ष के दौरान, कर्मचारियों ने सक्रिय रूप से विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया और प्रतियोगिताओं के माध्यम से उन्हें नकद प्रोत्साहन के साथ पुरस्कृत किया गया। हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए कंपनी की सभी इकाइयों में नियमित रूप से तथा समय समय पर हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। कार्यशाला को आकर्षक और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से कंपनी के बाहर से हिंदी के अच्छे अच्छे वक्ताओं को हिन्दी कार्यशाला में आमंत्रित किया जाता है। वर्ष 2016–17 के दौरान कंपनी द्वारा आयोजित उत्कृष्ट हिंदी कार्यशाला को ध्यान में रखते हुए, आपकी कंपनी को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यूसीआईएल ने यह पुरस्कार लगातार चौथी बार प्राप्त किया है। पिछले वर्ष भी आपकी कंपनी को इस क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

**20. क) लेखा परीक्षकों की नियुक्ति**

वित्तीय वर्श 2017–18 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा मेसर्स अग्रवाल रमेश के ऐंड कंपनी, चाटर्ड अकाउंटेंट्स, 14 आरजेएस बिल्डिंग, प्रथम तल्ला, डायग्नल रोड, बिस्टुपुर, जमशेदपुर, झारखंड–831001 को सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

**ख) लागत लेखा परीक्षा**

वित्त वर्ष 2015–16 और 2016–17 के लिए कंपनी अधिनियम के तहत मेसर्स एस कर्मकार ऐंड कंपनी लेखा परीक्षाओं को लागत अंकेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया साथ ही वर्ष 2015–16 के लिए लागत अंकेक्षण रिपोर्ट भी भरा गया। 2016–17 के लिए लागत अंकेक्षण रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है।

**21. सतर्कता**

संगठन के निर्धारित नियमों और विनियमों का सख्त अनुपालन सुनिश्चित करके आपकी कंपनी निवारक सतर्कता के एक उच्च मानक को बरकरार रखती है। सीवीसी के दिशा निर्देश जब भी प्राप्त होते हैं, उन्हें सख्ती से कार्यान्वित किया जाता है। सभी प्रकार के निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) को कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है और साथ ही समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है। पारदर्शिता में सुधार के लिए, आपकी कंपनी के लिए बोर्ड ने ''इंटीग्रिटी पैक्ट'' के साथ ही धोखाधड़ी निरोधक नीति/व्हीसल ब्लोअर नीति को मंजूरी दी है जिसे कंपनी के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है और इसे कार्यान्वित किया गया है। वर्ष के दौरान, आवधिक रिपोर्ट/रिर्टन केन्द्रीय सतर्कता आयोग को प्रस्तुत किए गए हैं। आपकी कंपनी के मुख्य सतर्कता अधिकारी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को रिपोर्ट करते हैं। आपकी कंपनी में 31 अक्टूबर से 5 नवंबर, 2016 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया जिसका थीम था –

''ईमानदारी को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार को खत्म करने में सार्वजनिक भागीदारी।''

## 22. निदेशकों की नियुक्ति:

| निदेशकों के नाम | दिनांक.....से प्रभावी |
|---|---|
| श्री एम ए इनबरासु<br>संयुक्त सचिव (आई ऐंड एम),<br>परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) | 22.06.2017 |
| श्री एल के नंदा, निदेशक<br>परमाणु खनिज अन्वेशण एवं<br>अनुसंधान निदेषालय (एएमडी) | 08.12.2016 |

## निदेशकों का समापन:

| | |
|---|---|
| डॉ ए के राय<br>निदेशक, एएमडी | 30.11.2016 |
| श्री आर ए राजीव<br>संयुक्त सचिव (वित्त), डीएई | 12.04.2017 |
| श्री संजीव सूद<br>संयुक्त सचिव (आई ऐंड एम) | 09.05.2017 |

निदेशकगण डॉ ए.के.राय, आर.ए राजीव और संजीव सूद द्वारा प्रदत्त बहुमूल्य सेवाओं के लिए उनकी सराहना करते हैं।

### 23. दृष्टिकोण

आपकी कंपनी ने देश के विकासशील परमाणु कार्यक्रम की ईंधन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विस्तृत योजना तैयार की है। सिंहभूम में मौजूदा इकाइयों में अपनी उत्पादन क्षमता को अधिकतम करने के लिए कई उपायों और डेबट्लनेकिंग परियोजनाओं की शुरुआत की जा रही हैं। तुम्मलापल्ले में पुनः विघटन प्रणाली सुविधा को सफलतापूर्वक पूरा और कार्यान्वित किया गया है। पुनः विघटन प्रणाली सुविधा की कमिशनिंग के साथ, संयंत्र ने 2016–17 की अंतिम तिमाही में पहले ही 70 प्रतिशत से अधिक प्रसंस्करण क्षमता दर्ज किया है। इस परियोजना को, इसके सफल संचालन के साथ अब जनवरी 2017 के प्रभाव से पूंजीकृत किया गया है। यह देश के यूरेनियम उत्पादन में बहुआयामी वृद्धि के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। तुम्मलापल्ले के आसपास क्षमता विस्तारण और नई खानों एवं संयंत्रों के निर्माण की योजना भी बनाई गई है। आपकी कंपनी ने अगले पंद्रह वर्षों में देश में परमाणु ऊर्जा उत्पादन में बहुमूल्य वृद्धि के लिए डीएई की महत्वाकांक्षी योजना के अनुरूप यूरेनियम उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए नई खानों और संयंत्रों की स्थापना के लिए कई नए क्षेत्रों की पहचान की है।

स्थानीय आबादी की सेवा और उनके जीवन में परिवर्तन लाना हमेशा से आपकी कंपनी का मार्गदर्शी दर्शन रहा है। राजस्थान में रोहिल, कर्नाटक में गोगी, मेघालय में केपीएम और तेलंगाना में लांबापुर में कंपनी के संभावित उत्पादन केंद्रों के आसपास रहनेवाले स्थानीय निवासियों की आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं तथा यूरेनियम खनन के दुष्प्रभावों के मिथकों को दूर करने की दिशा में प्रयासों का विस्तार किया जा रहा है।

### 24. निदेशकों का उत्तरदायित्व संबंधी विवरण:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (सी) के प्रावधानों के अनुसार, आपके निदेशकों का कहना है कि

(i) वार्षिक प्रतिवेदन की तैयारी में, लागू लेखा मानकों का अनुपालन किया गया है।

(ii) आपके निदेशकों ने उन्हीं लेखा नीतियों को अपनाया है जोआमतौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के लिए मान्य हैं। इसे संगतरूप से अपनाया गया है तथा इसके साथ न्याय एवं मूल्यांकन किया गया है जो कि विवेकसंगत तथा न्यायपूर्ण हैं जिससे कि वित्तीय वर्ष के अंत में तथा उसी अवधि में कंपनी के लाभ या हानि के संबंध में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जा सके।

(iii) आपके निदेशकों ने आपकी कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा हेतु एवं धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए अभिलेखा रखने में मुख्य रूप से सावधानी बरता है।

(iv) आपके निदेशकों ने ''चालू संस्थान'' के आधार पर वार्षिक लेखा तैयार किया है।

## 25.0 आभार प्रदर्शन

आपकी कंपनी परमाणु ऊर्जा विभाग, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, नाभिकीय ईंधन समिश्र, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, झारखंड सरकार, आंध्र प्रदेश सरकार, तेलंगाना सरकार, राजस्थान सरकार, मेघालय सरकार, कर्नाटक सरकार, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग तथा अन्य मंत्रालयों और भारत सरकार के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संवैधानिक लेखापरीक्षकों और मुख्य वाणिज्यिक लेखा परीक्षा निदेशक एवं पदेन सदस्य, ऑडिट बोर्ड –4, नई दिल्ली, बैंकर्स एवं सभी अन्य एजेंसियां जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपकी कंपनी से संबंधित हैं, द्वारा प्राप्त निरंतर मार्गदर्शन के लिए आभार प्रकट करती है। आपकी कंपनी सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर माइनिंग ऐंड फ्यूल रिसर्च, धनबाद, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स ऐंड ग्राउंड कंट्रोल, कोलार, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, खड़गपुर और इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद से प्राप्त प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता की दिशा में वैज्ञानिक और अभियंत्रण सहयोग की भी बेहद प्रशंसा करती है। आपकी कंपनी, कर्मचारियों की ईमानदारी और कड़ी मेहनत, कर्मचारी संघों और कंपनी के अधिकारियों के एसोसिएशन और यूसीआईएल की इकाईयों के आसपास निवास करने वाले समुदायों, स्थानीय मीडिया, गैर सरकारी संगठनों और समुदाय के विशिश्ट नागरिकों द्वारा दिए गए समर्थन के लिए भी आभार प्रकट करती है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से
**(सी के असनानी)**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

शिलांग
दिनांकः 23 सितंबर 2017

## निदेशकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक - I

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के अंतर्गत अपेक्षित विवरण

**क) ऊर्जा का संरक्षण**

**क) ऊर्जा के संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपायों को लागू / कार्यान्वित किया गया**

I) नरवापहाड़ अस्पताल (प्रक्रियाधीन) के लिए 5 केडब्ल्यूपी क्षमता और नरवापहाड़ माइंस ऑफिस (प्रक्रियाधीन) के लिए 20 केडब्ल्यूपी क्षमता वाले रूफ टॉप ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों का संस्थापन।

ii) एलईडी लाइटिंग फिक्सचर्स का उपयोग और सोलर स्ट्रीट लाइट्स का संस्थापन।

iii) ऊर्जा कुशल मोटर्स का उपयोग।

**ख) ऊर्जा की खपत में कमी लाने के लिए अतिरिक्त निवेश के साथ निम्नलिखित प्रस्तावों को लागू किया जा रहा हैं :**

I) ऊर्जा की बचत करने वाले प्रकाश पैनलों का संस्थापन।

ii) कुल 25 केडब्ल्यूपी क्षमता के ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों कासंस्थापन।

iii) ऊर्जा कुशल मोटर्स का उपयोग।

iv) एलईडी लाइटिंग फिक्सचर्स का उपयोग और सोलर स्ट्रीट लाइट्स का संस्थापन।

v) कंप्रेसर मोटर के कूलिंग टॉवर में वीवीवीएफ ड्राइव का संस्थापन।

**ग)(क) और (ख) उपायों को अपनाएं जाने के बाद प्रभाव**

(क) और (ख) में उठाए गए उपायों के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप, यह माना जाता है कि संबंधित क्षेत्रों में बिजली की खपत में धीरे–धीरे कमी आएगी।

## विदेशी मुद्रा का अर्जन एवं उपयोग

आपकी कंपनी किसी भी निर्यात कारोबार में संलग्न नहीं है। तथापि, सीआईएफ आधार पर वर्ष के दौरान कलपुर्जों, पूंजीगत वस्तुओं आदि की खरीद के लिए 950 लाख रुपये (पिछले वर्ष 152.44 लाख रुपये) विदेशी मुद्रा का उपयोग किया गया।

## प्रपत्र – बी

अनुसंधान एवं विकास तथा प्रौद्योगिकी को ग्रहण करने के संबंध में विवरण के प्रकटीकरण के लिए प्रपत्रः

### अनुसंधान एवं विकास (आर ऐंड डी)

**विशेष क्षेत्र जहां अनुसंधान एवं विकास कार्य किया गया :**

क) इनहाउस आर ऐंड डी के माध्यम से उत्पाद प्रेसिपिटेशनके दौरान पेरॉक्साइड खपत में कमी

ख) बांदुहुरांग ओपन कास्ट माइन में व्हील वॉशिंग सिस्टम

### उपरोक्त अनुसंधान एवं विकास कार्य के परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ :

(i) लगभग 11% पेरॉक्साइड खपत हासिल की गई है। खपत को आगे और कम करने के लिए कार्य प्रगति पर है।

(ii) यह प्रणाली डंपरों को चलाने से उत्पन्न धूल को दबाने में मदद करेगा और इस तरह यह रेडॉन गतिविधियों को नियंत्रित करेगा। इससे वायु प्रदूषण के नियंत्रण और उन्मूलन में भी मदद मिलेगी जिससे स्वस्थ कामकाजी माहौल सुनिश्चित होगा और डंपर के टायर के जीवनकाल को बढ़ाकर उत्पादकता में सुधार किया जा सकेगा।

**भविष्य की रूपरेखा**

अ) तुरामडीह प्रसंस्करण संयंत्र में कम पेरॉक्साइड खपत की योजना का कार्यान्वयन

ब) बांदुहुरांग खान के ग्रिजली जंक्शन पर व्हील वासिंग सिस्टम का कार्यान्वयन

**आर ऐंड डी पर व्यय**

| | | |
|---|---|---|
| (अ) | पूंजी | शून्य |
| (ब) | राजस्व | 350.25 लाख रु. |
| | **कुल** | **350.25 लाख रु** |

**प्रौद्योगिकी समावेश, अनुकूलन तथा नवोन्वेषण**

- बांदुहुरांग ओपनकास्ट खान में ब्लास्टिंग ऑपरेशन में पूर्व–विभाजन का इस्तेमाल प्रभावी रूप से 6 मीटर बेंच ऊंचाई से 12 मीटर बेंच ऊंचाई के रूपांतरण के दौरान किया गया है। यह विधि बैक–ब्रेक और अत्यधिक ग्राउंड कम्पन्न को रोकने/ नियंत्रित करने में मदद करती है।
- तुरामडीह में आयन विनिमय के अपशिष्ट पुनर्नवीनीकरण प्रवाह के प्रयोग से 50% यूरेनियम की प्राप्ति के लिए एक आर ऐंड डी परियोजना शुरू की गई है। पायलट अध्ययन के सफल समापन पर, अपशिष्ट/अवशेष में यूरेनियम सामग्री उल्लेखनीय रुप से कम हो जाएगी, जिसके चलते प्लांट में यूरेनियम की प्राप्ति में वृद्धि के साथ–साथ पर्यावरणीय अपशिष्ट में उच्च यूरेनियम गतिविधियों मे कमी आएगी।
- अवशेष निपटान की एक नई पद्धति जिसमें खनन पट्टा सीमा क्षेत्र के अंदर रिक्त अधिकृत क्षेत्र का इस्तेमाल भूमिगत जियोसिंथेटिक भू रेखीय सुविधा का निर्माण करना शामिल है। इसका सशक्त कार्यान्वयन भूमि के प्रभावी उपयोग, अपशिष्ट सामग्री के परिवहन लागत और रखरखाव लागत में कमी, बिजली की खपत में कमी और सार्वजनिक क्षेत्र में प्रदूषण फैलने से रोकने में मददगार साबित होगा।
- हन लागत और रखरखाव लागत में कमी, बिजली की खपत में कमी और सार्वजनिक क्षेत्र में प्रदूषण फैलने से रोकने में मददगार साबित होगा।

# शेयरधारकों के लिए निदेशकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक–II

## निगमित अभिशासन

आपकी कंपनी उच्च स्तरीय पारदर्शिता, जवाबदेही तथा अपने कार्यों के सभी पहलुओं में सत्य निष्ठा को प्राप्त करते हुए पेशेवर तथा बेहतरीन कॉर्पोरेट अभिशासन में विश्वास करती है तथा अपने प्रयासों को इस दिशा में जारी रखी है ।

## निदेशक मंडलः

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (45) के संदर्भ में, यूसीआईएल एक सरकारी कंपनी है। इसकी समस्त अभिदत्त पूंजी भारत के राष्ट्रपति के पास है, तथा इसके 3 शेयर उनके द्वारा नामजद व्यक्तियों के पास है :

निदेशक मंडल में कार्यकारी और गैर–कार्यकारी निदेशकों का उचित सम्मिश्रण है। बोर्ड में दस निदेशक हैं जिनमें शामिल हैं (i) तीन पूर्णकालिक कार्यरत निदेशक अर्थात, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक (तकनीकी) और निदेशक (वित्त) और (ii) सात अंशकालिक गैर–कार्यकारी निदेशक। बोर्ड की बैठक नियमित अंतराल पर होती है और यह कंपनी के उचित निर्देशन एवं प्रबंधन के प्रति उत्तरदायी है।

मार्च 2017 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल की पांच बैठकें21.06.2016, 23.09.2016, 27.12.2016, 10.01.2017 और 22.03.2017 को आयोजित की गईं। निदेशक मंडल की संरचना, बोर्ड की बैठकों और वार्षिक आम बैठक/अतिरिक्त साधारण आम बैठक में उनकी उपस्थिति निम्नानुसार है –

| 31-03-2017 को नाम और पदनाम | श्रेणी | बोर्ड की बैठक | | 23-09-2016 को आयोजित एजीएम में उपस्थिति | अन्य निदेशकों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| | | कार्यकाल के दौरान आयोजित | उपस्थिति | | |
| कार्यकारी निदेशक | | | | | |
| श्री सी.के.असनानी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक | क्रियाशील | 05 | 05 | हाँ | – |
| श्री देबाशीश घोष निदेशक (वित्त) | क्रियाशील | 05 | 05 | | – |
| गैर - कार्यकारी निदेशक | | | | | |
| श्री संजीव सूद, संयुक्त सचिव (आईऐंडएम), डीएइ | अंशकालिक पदेन | 05 | 05 | हाँ | |
| श्री आर.ए राजीव,संयुक्त सचिव (वित्त), डीएई | अंशकालिक पदेन | 05 | 02 | नहीं | |
| श्री जी कल्याणकृष्णन मुख्य कार्यकारी, एनएफसी (22-0 9-2016 से) | अंशकालिक पदेन | 04 | 03 | – | – |
| डा. ए.के.राय निदेशक, एएमडी | अंशकालिक पदेन | 01 | 01 | – | – |
| श्री एल.के. नंदा निदेशक, एएमडी (08-12-2016 से) | अंशकालिक पदेन | 03 | 03 | – | – |
| डॉ के. उमामहेश्वर राव, निदेशक, एनआईटी, सुरतकल (01-09-2016 से) | अंशकालीन गैर अधिकारिक | 04 | 03 | – | – |
| श्री आर. बी चक्रवर्ती,पूर्व-उप खान सुरक्षा, महानिदेशक (पूर्व डीडीजीएमएस) (01-09-2016 से) | अंशकालीन गैर अधिकारिक | 04 | 03 | – | – |

पूर्णकालिक निदेशकों का पारिश्रमिक भारत सरकार द्वारा तय किया जाता है क्योंकि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (45) के अनुसार यह एक सरकारी कंपनी है। अंशकालिक निदेशकों के संबंध में, जो या तो सरकारी अधिकारी हैं या अन्य पीएसयू के अधिकारी होते हैं,उन्हें बैठकमें शामिल होने के लिए कोई शुल्क नहीं दिया जाता है। 22.03.2017 के प्रभाव से स्वतंत्र निदेशकों को बोर्ड की बैठक तथा कमिटी बैठकों में भाग लेने के लिए सिटिंग फीस के रूप में 10,000 रुपये का भुगतान किया जा रहा है।

## लेखा परीक्षा समिति:

आपकी कंपनी के बोर्ड ने लागू कानूनों के अनुसार, एक स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में एक लेखा परीक्षा समिति का गठन किया है। 01.09.2016 के प्रभाव से स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्त किया गया है और उसके बाद वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान लेखा परीक्षा समिति की दो बैठकें दिनांक 27.12.2016 और 21.03.2017 को हुईं।

31.03.2017 को अंकेक्षण समिति की संरचना निम्नानुसार थी :

1. श्री आर. बी. चक्रवर्ती, पूर्व डीडीजीएमएस : अध्यक्ष
2. श्री जी कल्याणकृष्णन, सीई, एनएफसी : सदस्य
3. श्री एल. के. नंदा, निदेशक, एएमडी : सदस्य
4. डॉ. यू. एम. राव, निदेशक : सदस्य

यूसीआईएलके कंपनी सचिव, उपरोक्त समिति के सचिव के रूप में कार्य करेंगे।

समिति ने वर्ष 2016–17 के लिए कंपनी के वार्षिक लेखा की समीक्षा की, साथ ही आंतरिक लेखा परीक्षक और संवैधानिक लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की भी समीक्षा की।

## पारिश्रमिक समिति :

31.03.2017 को पारिश्रमिक समिति की संरचना निम्नानुसार थी :

1. श्री आर.बी. चक्रवर्ती, पूर्व डीडीजीएम– अध्यक्ष
2. श्री जी कल्याणकृष्णन, चीफ एक्जीक्यूटिव, एनएफसी
3. श्री देबाशीष घोष, निदेशक (वित्त), यूसीआईएल
4. निदेशक (तकनीकी), यूसीआईएल

यूसीआईएलके कंपनी सचिव, उपरोक्त समिति के सचिव के रूप में कार्य करेंगे।

## आचरण नियमावली

कंपनी के पास अपनी आचरण नियमावली है जो बोर्ड के सदस्यों के साथ ही वरिष्ठ प्रबंधन पर लागू है और इसे कंपनी की वेबसाइट पर डाल दिया गया है।

इंटीग्रिटी पैक्ट सहित जालसाजी निरोधक नीति/व्हीसल ब्लोअर नीति बोर्ड के द्वारा अनुमोदित है और यह कंपनी के वेबसाइट पर उपलब्ध है।

## सामान्य निकाय बैठकें :

पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित वार्षिक आम बैठकों/ असाधारण आम बैठकों की संख्या इस प्रकार है :

| वर्ष | दिनांक | समय | स्थान |
|---|---|---|---|
| 2015–16 (एजीएम) | 23.09.2016 | 12.30 बजे | कोलकाता |
| 2014–15 (एजीएम) | 30.09.2015 | 12.30 बजे | कोलकाता |
| 2013–14 (एजीएम) | 18.09.2014 | 12.30 बजे | कोलकाता |

# फॉर्म संख्या एमजीटी–9

## वार्षिक विवरणी (एनवल रिटर्न) का सार

31.03.2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अनुसार
कंपनी अधिनियम, 2013 और कंपनी नियम 12 (1) की धारा 92 (3) के अनुसरण में
(प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014

I निबंधन एवं अन्य विवरण

| | | |
|---|---|---|
| i | सी. आई. एन. | (सी.आई.एन.:यू 12000 जेएच 1967 जीओआई 000806) |
| ii | निबंधन तिथि | 04/10/1967 |
| iii | कम्पनी का नाम | यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड |
| iv | कम्पनी का वर्ग/उप-वर्ग | सरकारी कंपनी |
| v | निबंधित कार्यालय का पता तथा संपर्क विवरण | पो.ऑ. जादुगोड़ा माईन्स<br>जिला पूर्वी सिंहभूम<br>झारखण्ड -832102, फोन : 0657-2730122 / 222 / 353<br>फेक्स : 0657-2730322 |
| vi | क्या कम्पनी सूचीबद्ध है | नहीं |
| vii | निबंधक एवं ट्रांसफर एजेंट अगर कोई हो, का नाम, पता एवं संपर्क विवरण | अप्रयोज्य |

II कंपनी की मुख्य व्यवसाय गतिविधियाँ

कंपनी के कुल कारोबार का 10% या उससे अधिक योगदान का वर्णन किया जाएगा।

| क्रम.सं. | मुख्य उत्पादो/सेवाओं का नाम एवं विवरण | उत्पाद/सेवा का एन.आई.सी. कोड | कंपनी के कुल कारोबार का % |
|---|---|---|---|
| 1 | $U_3O_8$ यूरेनियम अयस्क का खनन एवं संसाधन | अप्रयोज्य | 100 |

कम्पनी पूर्ण रूप से भारत के राष्ट्रपति के स्वामित्व में है।

## शेयरधारिता विवरण

| | |
|---|---|
| भारत के राष्ट्रपति के पास शेयर | 16156175 |
| सरकारी प्रत्याशियों के पास शेयर | 03 |
| **शेयरों की कुल संख्या (अंकित मूल्य 1000 रुपये प्रत्येक)** | **16156178** |

## ऋण

| | 31.03.2017 | लाख रुपए में<br>31.03.2016 |
|---|---|---|
| सुरक्षित ऋण (सावधि जमापर ओवरड्राफ्ट) | – | – |
| असुरक्षित ऋणः | | |
| एस.बी.आईजादूगोडा से अल्पकालीनसीसी | 54022.18 | 59090.74 |
| एन.पी.सी.आई.एल से ऋण | 10000.00 | 10000.00 |
| **कुल रुपये** | **64022.18** | **69090.74** |

### धारा 149 (6) के तहत स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा

स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति 01.09.2016 के प्रभाव से हुई थी और धारा 149 (6) के अंतर्गत परिकल्पित स्वतंत्र निदेशकों की घोषणा का अनुपालन किया गया है।

### धारा 134 (1) के तहत बोर्ड और निदेशकों का प्रदर्शन मूल्यांकन

यूसीआईएल एक सरकारी कंपनी है जहां निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार के द्वारा की जाती हैं। पारिश्रमिक आदिका निर्णय डीपीई दिशा निर्देशों के अनुसार लिया जाता है। निदेशकों का कार्य काल भी सरकार के द्वारा तय किया जाता है। इसके अलावा, यूसीआईएल एक सूचीबद्ध कंपनी नहीं है, इसलिए, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के तहत बोर्ड एवं निदेशकों के प्रदर्शन मूल्यांकन के साथ–साथ निदेशकों की नियुक्ति की नीति एवं शर्तों के निर्धारण जिसमें शामिल है योग्यता, सकारात्मक विशेषताएं इत्यादि के लिए मानदंड के साथ पारिश्रमिक नहीं दिया गया, क्योंकि सरकारी कंपनी कोइ न प्रावधानों से छूट प्राप्त है।

### प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (के.एम.पी)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (51) के तहत प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) का प्रकटीकरण निम्नानुसार है :

i) श्री सी के असनानी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

ii) श्री देबाशीश घोष, निदेशक वित्त

iii) श्री बीसी गुप्ता, कंपनी सचिव

### कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न का निषेध

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न निशेध (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 की धारा 4 के तहत कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर रोक लगाने हेतु एक समिति का गठन किया गया है। वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी को यौन उत्पीड़न से संबंधित कोई शिकायत नहीं मिली है।

### संबंधित पार्टियों के साथ अनुबंध

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (3) (एच) के तहत खुलासे के लिए वांछित जानकारी वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए शून्य है।इसलिए, कंपनी अधिनियम–2013 की धारा 134 (3) (एच) के साथ पठित कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 8 (2) के तहत वाछिंत बोर्ड के प्रतिवेदन के साथ फॉर्म एओसी–2 संलग्न नहीं है।सेवाएं प्राप्त करने के संबंध मे संबंधित पार्टी के खुलासे का उल्लेख वार्षिक लेखा के नोट्स 34 के अंतर्गत किया गया है।

### जोखिम प्रबंधन

यूसीआईएल मानती है कि किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में जोखिम निहित है और कंपनी के तात्कालिक एवं भावी सफलता के लिए जोखिम का प्रभावी रूप से प्रबंधन महत्व पूर्ण है। कंपनी के पास एक ऐसी प्रणाली है जो जोखिमों की देख–रेख, वस्तु गत कारोबार जोखिमो का प्रबंधन और कंपनी के आंतरिक नियंत्रण में भी मदद करती है।

# प्रमुख विशिष्टताएँ

अनुलग्नक – I

(लाख ₹ में)

| विवरण | 2016–17 | 2015–16 | 2015–16 की तुलना में वृद्धि / (ह्रास) | 2015–16 की तुलना में वृद्धि / (ह्रास) % में |
|---|---|---|---|---|
| **(क) परिचालन परिणाम** | | | | |
| टर्नओवर | 126598.72 | 1,01,426.28 | 25,172.44 | 24.82 |
| सकल आय | 127270.5 | 1,02,552.57 | 24,717.93 | 24.10 |
| सकल व्यय | 106286.15 | 87,099.16 | 19,186.99 | 22.03 |
| सकल लाभ | 20984.35 | 15,453.41 | 5,530.94 | 35.79 |
| कर पश्चात शुद्ध लाभ | 12793.89 | 9,984.36 | 2,809.53 | 28.14 |
| **(ख) वर्ष के अंत की वित्तीय स्थिति** | | | | |
| शेयर पूँजी | 161561.78 | 1,56,461.78 | 5,100.00 | 3.26 |
| अन्य इक्विटी | 55173.09 | 48,842.51 | 6,330.58 | 12.96 |
| नियोजित पूँजी | 233190.34 | 2,17,038.48 | 16,151.86 | 7.44 |
| निवल मालियत | 2,16,734.87 | 2,05,304.29 | 11,430.58 | 5.57 |
| सकल निरूद्ध परिसम्पत्ति | 253703.42 | 78,231.81 | 1,75,471.61 | 224.30 |
| मूल्यह्रास | 22446.18 | 8,685.75 | 13,760.43 | 158.43 |
| नेट ब्लॉक | 231257.24 | 69,546.06 | 1,61,711.18 | 232.52 |
| सम्पत्ति सूची | 51740.83 | 10,518.00 | 41,222.83 | 391.93 |
| **(ग) लाभप्रदत्ता एवं अन्य अनुपात** | | | | |
| 1. प्रतिशतता : | | | | |
| बिक्री में सकल लाभ / (हानि) | 16.58 | 15.24 | | |
| बिक्री में शुद्ध लाभ / (हानि) | 10.11 | 9.84 | | |
| निवल मालियत में सकल लाभ / (हानि) | 9.68 | 7.53 | | |
| निवल मालियत में शुद्ध लाभ / (हानि) | 5.90 | 4.86 | | |
| नियोजित पूँजी में सकल लाभ / (हानि) | 9.00 | 7.12 | | |
| नियोजित पूँजी में शुद्ध लाभ / (हानि) | 5.49 | 4.60 | | |
| इकाई पूँजी में सकल लाभ / (हानि) | 12.99 | 9.88 | | |
| बिक्री में माल सूची | 40.87 | 10.37 | | |
| नियोजित पूँजी में बिक्री | 54.29 | 46.73 | | |
| 2. अनुपात में | | | | |
| मौजूदा देनदारियों के लिए वर्तमान सम्पत्ति | 0.82 : 1 | 0.35 : 1 | | |
| मौजूदा देनदारियों के लिए त्वरित सम्पत्ति | 0.41 : 1 | 0.24 : 1 | | |

# कम्पनी की वित्तीय स्थिति

31 मार्च 2017 तथा 2016 का संक्षिप्त तुलन पत्र

अनुलग्नक – II

(लाख ₹ में)

| क्र.सं. | विवरण | 2016.17 | 2015.16 | 2015–16 की तुलना में वृद्धि / (ह्रास) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | **कम्पनी का स्वामित्व** | | | |
| (क) | **अचल परिसंपत्ति** | | | |
| | सकल ब्लॉक | 253703.42 | 78,231.81 | 1,75,471.61 |
| | घटाया : संचित मूल्यह्रास | 22446.18 | 8,685.75 | 13,760.43 |
| | नेट ब्लॉक | 231257.24 | 69546.06 | 1,61,711.18 |
| | अमूर्त परिसम्पत्तियाँ | 14160.24 | 924.83 | 13,235.41 |
| | अन्य दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम (वित्तीय एवं गैर वित्तीय) गैर मौजूदा संपत्तियों सहित | 1894.39 | 2,274.32 | (379.93) |
| | प्रगतिशील पूँजीगत कार्य / स्टॉक | 4223.10 | 2,22,556.58 | (1,98,333.48) |
| | उप–योग (क) | **2,71,534.97** | **2,95,301.79** | **16,993.65** |
| (ख) | **चालू परिसम्पत्तियाँ** | | | |
| | i) सम्पत्ति सूची | 51740.83 | 10,518.00 | 41,222.83 |
| | ii) प्राप्ति योग्य व्यापार | 49097.88 | 23,081.50 | 26,016.38 |
| | iii) ऋण एवं अन्य वित्तीय सम्पत्तियाँ | 3257.75 | 2134.2 | 1,123.55 |
| | iv) नकद और बैंक अधिशेष | 2476.01 | 3,317.71 | (841.70) |
| | v) अन्य चालू सम्पत्तियाँ | 2998.07 | 2,606.81 | 391.26 |
| | उप–योग (ख) | **1,09,570.54** | **41,658.22** | **67,912.32** |
| | कुल {1(क+ख)} | **3,81,105.51** | **3,36,960.01** | **44,145.50** |
| 2. | **कम्पनी का स्वामित्व** | | | |
| | गैर वित्तीय देनदारियाँ, सेवाओं, चालू देनदारियाँ तथा अन्य प्रावधानों के लिए | 141349.73 | 1,25,025.52 | 16,324.21 |
| | कम्पनी की शुद्ध मालियत | | | |
| | अंश पूँजी | 161561.78 | 1,56,461.78 | 5,100.00 |
| | आरक्षित निधि एवं अधिशेष | 55173.09 | 46,242.51 | 8,930.58 |
| | शेयर आवेदन के पैसे, लंबित आंवटन | 2,600.00 | (2,600.00) | |
| | अनुकूल (ख) | **2,16,734.87** | **2,05,304.29** | **11,430.58** |
| | **आस्थागित कर दायित्व** (ग) | **8860.68** | **5,705.36** | **3,155.32** |
| | कुल {2(क+ख+ग)} | **3,66,945.28** | **3,36,035.17** | **30,910.11** |

## कम्पनी की आय तथा व्यय का लेखा

31 मार्च 2017 तथा 2016 का संक्षिप्त लाभ एवं हानि

अनुलग्नक – III
(लाख ₹ में)

| क्र.सं. | विवरण | 2016.17 | 2015.16 | 2015–16 की तुलना में वृद्धि / (ह्रास) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | **कम्पनी की आय** | | | |
| | (क) परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा यूरेनियम सांद्रा के अधिग्रहण से | 125374.29 | 1,00,584.51 | 24,789.78 |
| | (ख) गौण उत्पादों की बिक्री (उत्पाद शुल्क को छोड़कर) | 1224.43 | 841.77 | 382.66 |
| | (ग) अन्य प्राप्तियाँ | 671.78 | 1,126.29 | (454.51) |
| | **उप–योग** | **1,27,270.50** | **1,02,552.57** | **4,717.93** |
| | (घ) अंतिम स्टॉक में वृद्धि / ह्रास | 2032.44 | 3,125.22 | (1,092.78) |
| | **योग (1)** | **1,29,302.94** | **1,05,677.79** | **23,625.15** |
| 2. | **कम्पनी द्वारा भुगतान तथा व्यवस्था** | | | |
| | (क) उपभुक्त सामग्री का मूल्य | 8874.09 | 6,878.68 | 1,995.41 |
| | (ख) कर्मचारी हित में खर्च | 30166.57 | 29,970.48 | 196.09 |
| | (ग) वित्तीय लागत (ब्याज पर व्यय) | 6431.53 | 6,197.84 | 233.69 |
| | (घ) मूल्यह्रास और ऋण शोधन पर व्यय | 13662.9 | 8,581.18 | 5,081.72 |
| | (ङ) अन्य व्यय | 49183.51 | 38,596.20 | 10,587.31 |
| | **योग (2)** | **1,08,318.60** | **90,224.38** | **18,094.22** |
| 3. | समायोजन पूर्व कम्पनी का सकल लाभ (1–2) | 20,984.34 | 15,453.41 | 5,530.93 |
| | घटाया : आयकर के लिए प्रावधान (आस्थगित कर सहित) | 8190.46 | 5,469.05 | 2,721.41 |
| 4. | शुद्ध लाभ | 12,793.88 | 9,984.36 | 2,809.52 |
| | वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय | (175.54) | 225.63 | (401.17) |
| 5. | वर्ष के लिए व्यापक आय | 12,618.34 | 10,209.99 | 2,408.35 |

## आय का वर्गीकरण

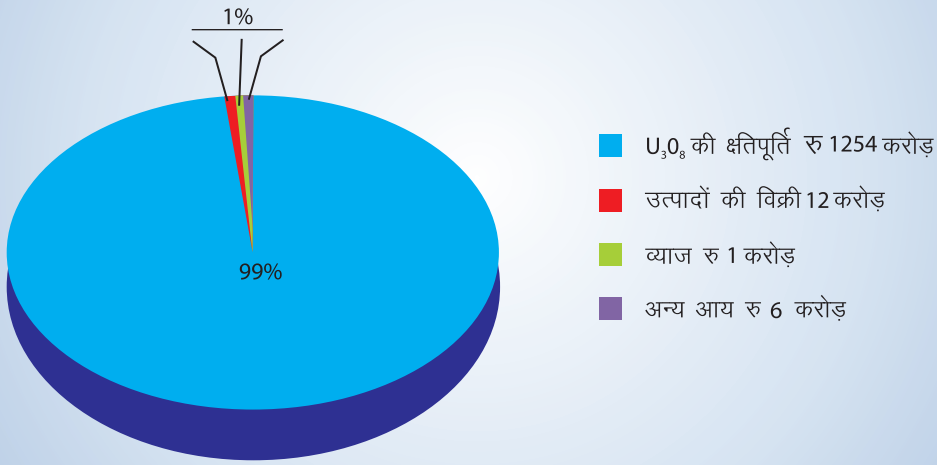


## व्यय का वितरण

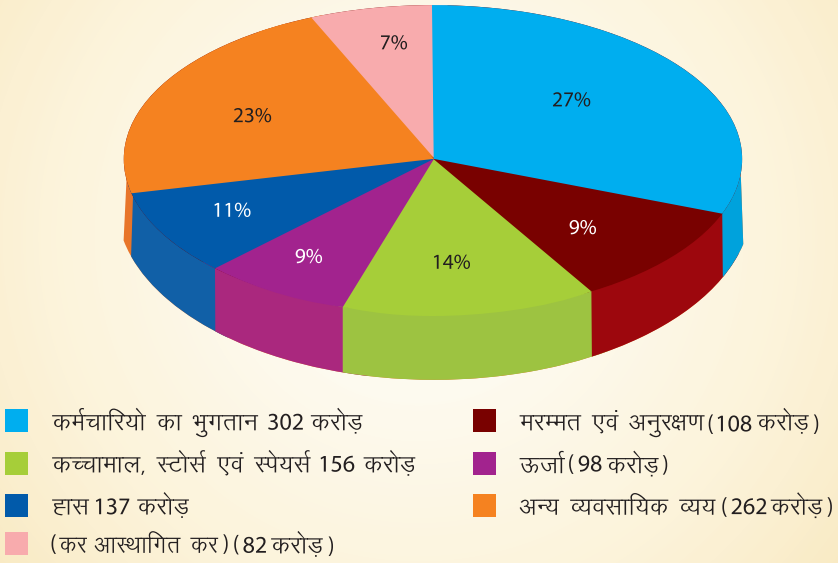

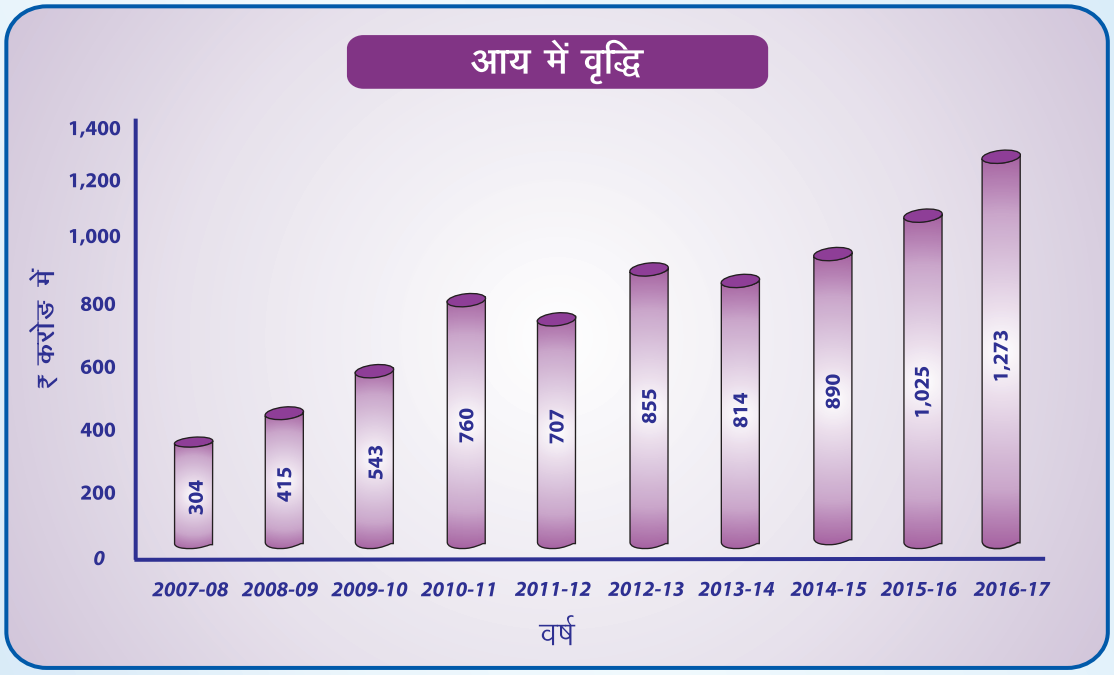
आय में वृद्धि
₹ करोड़ में
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0
304
415
543
760
707
855
814
890
1,025
1,273
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
वर्ष

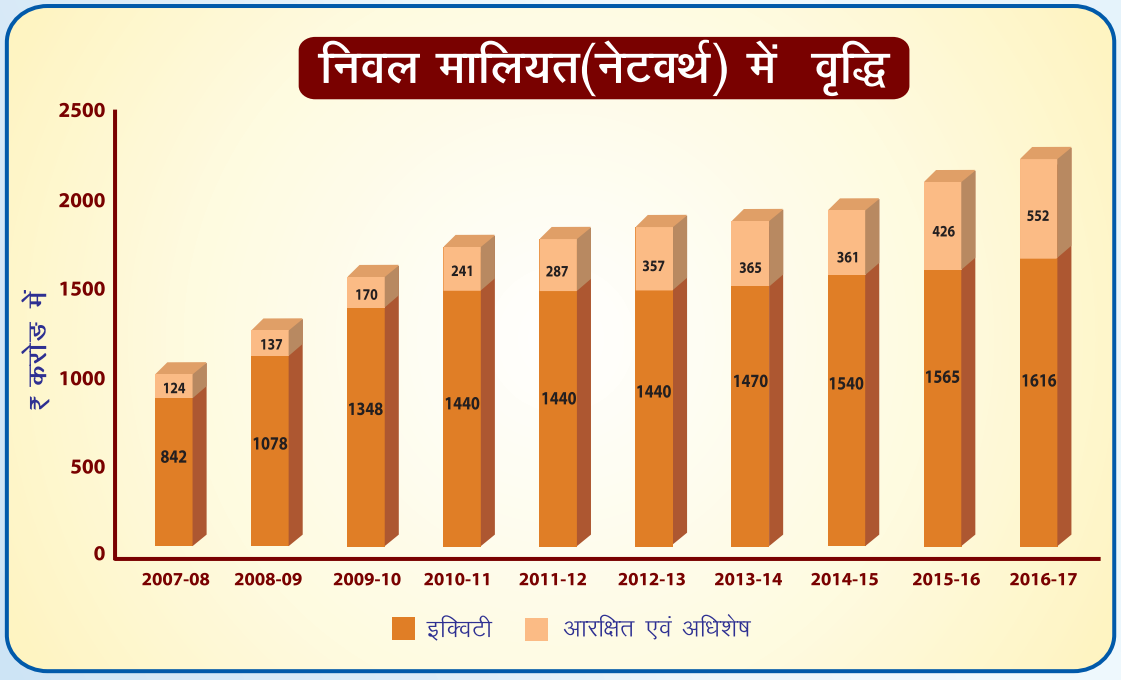
निवल मालियत(नेटवर्थ) में वृद्धि
₹ करोड़ में
2500
2000
1500
1000
500
0
124
842
137
1078
170
1348
241
1440
287
1440
357
1440
365
1470
361
1540
426
1565
552
1616
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
इक्विटी
आरक्षित एवं अधिशेष

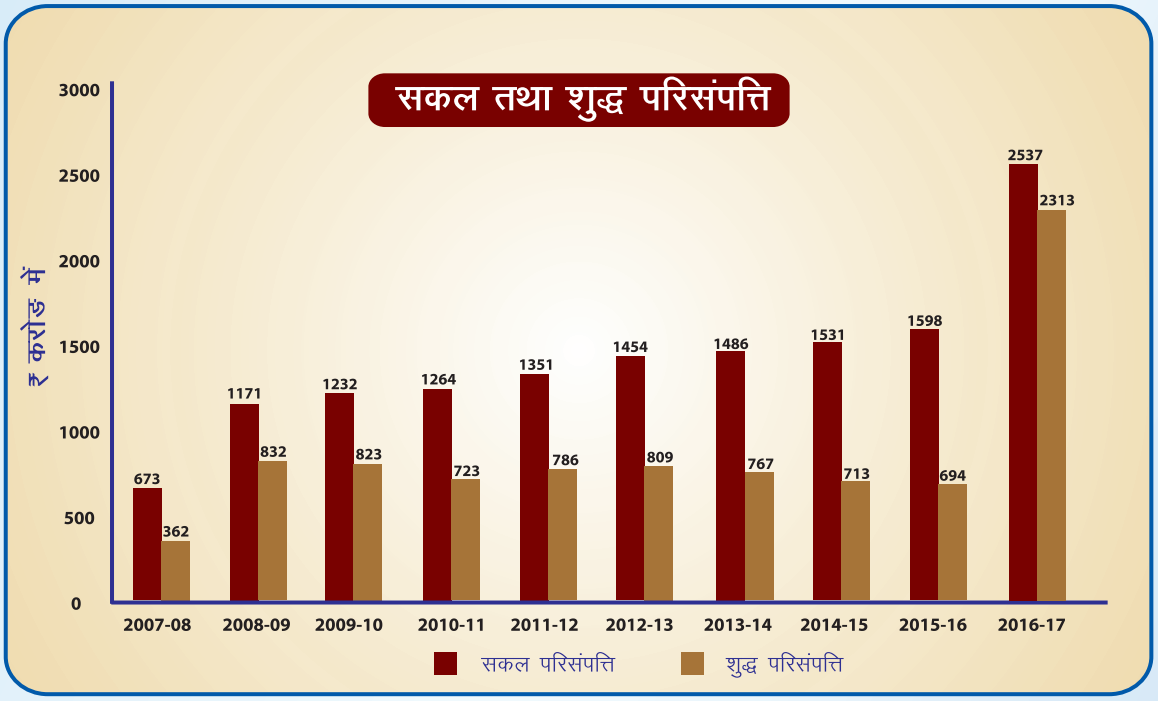
सकल तथा शुद्ध परिसंपत्ति
₹ करोड़ में
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
673
362
1171
832
1232
823
1264
723
1351
786
1454
809
1486
767
1531
713
1598
694
2537
2313
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
सकल परिसंपत्ति
शुद्ध परिसंपत्ति

नियोजित पूंजी
₹ करोड़ में
2500
2000
1500
1000
500
0
999
1283
1595
1814
1862
1917
1964
2037
2170
2332
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
वर्ष

यूसिल द्वारा सी.एस.आर. की पहल

**अग्रवाल रमेश के एण्ड कंपनी**
सनदी लेखाकार

# स्वतंत्र लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

सेवामें
सदस्यगण
यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

**वित्तीय विवरण पर रिपोर्ट**

हमने यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी के संलग्न वित्तीय विवरण का अंकेक्षण किया जिसमें 31 मार्च 2017 का तुलनपत्र, लाभ हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), कैश फ्लो और समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में बदलाव से संबंधित विवरण तथा अन्य महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारस ंग्रह एवंअन्य व्याख्यात्मक सूचनाएं शामिल है। (कृपया स्वतंत्र भारतीय लेखामान क वित्तीय विवरण पढ़ें)

**वित्तीय विवरण हेतु प्रबंधन का दायित्व**

कंपनी के निदेशक मंडल, कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134 (5) में बताए गए मामलों के लिए जिम्मेदार है।इन स्वतंत्र भारतीय लेखामान क वित्तीय विवरण की तैयारी के संदर्भ में जिनके द्वारा वस्तु स्थिति, अन्य व्यापक आमदनी सहित हानि और लाभ, नकदी प्रवाह तथा कंपनी की इक्विटी में परिवर्त न भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखा नियम के अनुसार हो, जिसे 2014 के कंपनीज रूल्स के नियम 7 के साथ कानून की धारा 133 के तहत वर्णित किया गया है, लेखामान क एक सत्य और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करता है। इस उत्तरदायित्व के तहत उचित लेखा रिकॉर्ड्स के रखरखाव तथा नियम के अनुसार कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं की रोकथाम तथा पता लगाने, उचित लेखा नीतियों के चुनाव तथा इस्तेमाल, निर्णय आकलन करना जो विवेकपूर्ण तथा उचित हो तथा उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण से संबंधित रूपरेखा कार्यान्वयन तथा रखरखाव, जो लेखा विवरणों की सटीकता और पूर्णता को सुनिश्चित करने हेतु सक्षमता से इस्तेमाल हो रहे थे, जो स्वतंत्र भारतीय लेखामान क वित्तीय विवरण के अनुरूप हो, जो धोखे से अथवा जान बूझ कर किसी भी प्रकार के वस्तु गत गलत बयानी से मुक्त हो और स्वतंत्र भारतीय लेखामान कों के वित्तीय विवरण के अनुरूप तैयार तथा प्रदर्शित किए गए हो।

**लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी**

हमारा दायित्व है कि हम अपने अंकेक्षण के आधार पर इन स्वतंत्र भारतीय लेखा मानकों पर राय व्यक्त करें। हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखा और अंकेक्षण मानकों सहित उन मामलों को ध्यान में रखा है, जो जरूरी है, जिसे अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत ऑडिट रिपोर्ट और इसके तहत बनाए गए नियम में शामिल किया गया है।

हमने स्वतंत्र भारतीय लेखामानक के अपने ऑडिट का आयोजन अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट अंकेक्षण मान कों के अनुसार किया है।उन मानकों के लिए आवश्यक ह ैकि हम नैतिक आवश्यकताओ ंका अनुपालन करें और उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए अंकेक्षण की योजना बनाते तथा आयोजित करते समय

यह सुनिश्चित करे कि स्वतंत्र भारतीय लेखामानक गलतबयानी से मुक्त हो एवं ऑडिट के अतंर्गत स्टैण्डअलोन भारतीय लेखा मानको (Ind AS) के वित्तीय विवरण प्रकटीकरण तथा आकड़ों के बारे में ऑडिट साक्ष्म को प्राप्त करने की प्रक्रिया लेखा परीक्षकों के निर्णय पर निर्भर करती है जिसमें वित्तीय विवरणों में वस्तुओं के गलत विवरण के जोखिम का निर्धारण भी शामिल किया गया है चाहे जालसाजी या गलती से हो। इन जोखिमों का निर्धारण करने में लेखा परीक्षक कंपनी के आंतरिक नियंत्रण पर भी विचार करता है और वित्तीय विवरण के प्रस्तुतीकरण में लेखा–परीक्षा प्रक्रिया को भी अपनाया है जो कि परिस्थितियों के अनुसार उचित है । लेखा परीक्षा में इस्तेमाल लेखाकंन नीतियों का उचित मूल्यांकन एवं कंपनी प्रबंधन तैयार किया गया लेखांकन आंकलन एवं साथ ही साथ IndAS वित्तीय विवरण के सभी पहलुयों के प्रस्तुतीकरण का मूल्याकंन शामिल रहता है ।

हम विश्वास करते है कि हमारे द्वारा जो लेख परीक्षण किया गया है वह हमारे विश्वासों का न्यायसंगत आधार प्रस्तुत करता है ।

**विचार** – हमारी राय में प्राप्त सर्वोत्तम सुचना तथा दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उपरोक्त वित्तीय विवरण, अधिनियम के अनुसार सच्ची एवं स्पष्ट तसवीर पेश करती है चूँकि भारत में सामान्यतः मान्य लेखांकन पद्धतियों के साथ मेल खाती है और यह वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक स्थिति तथा लाभ–हानि एवं नकद प्रवाह को दर्शाती है।

**मामले की अवधारणा** – हम बिना अपनी राय को सीमित किए मामले की ओर ध्यानाकृष्ट करते है।

क) टिप्पणी 4(घ) कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के अतंर्गत दो कार्य कुल राशि 4221.39 लाख रुपये शामिल है i) डिजाइनिंग सिकिंग लाइनिंग कार्य संयंत्र 375m गहराई, 5m ड्रायमीटर वर्टिकल शाफ्ट जिसका मूल्य 2059.22 लाख रुपये तथा ii) पुराने 560 kw वाइटर और हेड फ्रेम का रिफरबिशिंग डिजाइन, इरेक्शन और पूर्ण कमीशिनिंग सहित मूल्य 100 लाख रुपये। ठेकेदार को कार्य दिया गया और ठेकेदार कार्य को विस्तारित तारिख 31–12–2014 तक कार्य को पूरा करने में असफलता रहा। कंपनी ने EMD 247.61 लाख रुपये जो कि बैंक गारेंटी के रुप मे ली थी उसकी अवधि 14–01–2015 को समाप्त हो गई । लंबित कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 2159.22 लाख रुपये का है जो कि किसी विशेषज्ञ द्वारा मूल्यांकित कर नियमानुसार व्यवहार करना चाहिए ।

ख) वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 की दर पर यूरेनियम सांद्र की क्षतिपूर्ति के राजस्व की मान्यता से संबधित लेखों की टिप्पणी संख्या 21 में परमाणु ऊर्जा विभाग भारत सरकार के द्वारा निर्धारित की गई है जिसे हाल के वषी में क्षतिपूर्ति के अंतर्गत दिखलाया गया है ।

ग) लेखे पर अतिरिक्त टिप्पणी स. 38.2 से संबधित नरवा पहाड़ में 1128.32 एकड़ खनन पट्टे का कार्य लंबित है । 31.77 एकड़ अतिरिक्त जमीन तुरामडीह के लिए, 290.45 हेक्टेयर जमीन केलेंग पैडेंगसोहिंयांग मावथाबा में, 1337.62 एकड़ जमीन लाम्बापुर एवं गोगी में 39.13 हेक्टेयर जमीन का खनन पट्टा अभी प्राप्त किया जाना है ।

घ) लेखे पर अतिरिक्त टिप्पणी संख्या 38.3 से संबंधित राज्य सरकार/निजी पार्टी से अधिग्रहीत 1548.09 एकड़ भूमि जिसका मूल्य 1517.59 लाख रुपया है का हस्तांरण विलेख लंबित है।

ङ) लेखे पर अतिरिक्त टिप्पणी संख्या 38.4 से संबंधित मुसाबनी में हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड (आइ.सी.सी.) की 3 एकड़ जमीन का न ही कोई प्रतिफल दिया है और न इसके उपयोग का प्रावधान लेखे में किया गया है।

च) पूर्व परियोजना व्यय 2395.28 लाख रुपये (गत वर्ष 1899.12 लाख रुपये) के विभिन्न लंबित मुद्दों/स्वीकृतियों की वजह से लंबित पूँजीकरण से संबंधित लेखे पर अतिरिक्त टिप्पणी संख्या 38.5 (ए) से (एफ)।

**अन्य वैधानिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट**

1) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के तहत वांछित के अनुसार हम लेखा परीक्षा के द्वारा व्यक्त प्रणाली के अनुपालन करने, उसके बाद किये गये कार्यवाही और कंपनी के लेखे एवं वित्तीय विवरण पर पड़ने वाले प्रभाव के बाद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा द्वारा जारी किये गए बयान अनुलग्नक-1 मेदेते हैं ।

2) जैसा कि अधिनियम की धारा 143(11) की उप- धारा (4) के सम्बंध मे केंद्र सरकार द्वारा निर्गत कम्पनी (अंकेक्षण रिपोर्ट) आदेश, 2016 आदेश द्वारा मांगा गया । हम परिशिष्ट में आदेश के पैरा 3 तथा 4 मे वर्णित मामले पर बयान देते हैं ।

3) जैसा कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित है, हम प्रतिवेदन देते हैं कि :

क) हमें वे सारी सूचनाएँ एवं व्याख्याएं उपलब्ध कराई गई हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवे विश्वास के अनुसार हमारे परीक्षण के लिए जरूरी थे ।

ख ) हमारी राय में कम्पनी द्वारा कानुन के अनुसार उचित खाते रखे गये हैं जैसा कि हमें इन खातो की जांच के दौरान देखने को मिला ।

ग) तुलन-पत्र, लाभ-हानी लेखा तथा कैश फ्लो विवरण जिसका इस टिप्पणी मे समावेश है लेखा-खाता के अनुसार है ।

घ) हमारी राय में उक्त स्टैंडअलोन वित्तीय स्टेटमेंट अधिनियम की धारा 133 के तहत कम्पनी लेखा नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित निर्दिष्ट लेखा मानक के अनूरूप है ।

ड़) 31 मार्च 2016 का निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदनों के आधार पर निदेशक मण्डल द्वारा ध्यान मे लिया गया कि अधिनियम की धारा 164(2) के आधार पर नियुक्त किये जा रहे निदेशक में कोई भी अयोग्य नहीं है ।

च) कम्पनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता के सम्बंध में और इस तरह के नियंत्रण के संचालन के प्रभाव के सम्बंध में "अनुलग्नक III" में हमारे पृथक रिपोर्ट का संदर्भ लें ।

जी) अन्य विषय जो कि लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन में नियम 11 के अनुसार कम्पनी (अंकेक्षण एवं अंकेक्षण) नियम 2014 के संदर्भ में है, हमारी राय में एवं हमें दी गई सूचना एवं दिये गए स्पष्टीकरण के अनुसार

(i) कम्पनी ने अपने वित्तीय विवरण की टिप्पणी संख्या - 33 के अंतर्गत सम्पत्ति के लम्बित मामले के असर को प्रकट किया है ।

(ii) कम्पनी ने डेरीवेटिव अनुबंध के साथ ऐसे किसी लंबी अवधि क अनुबंध नहीं किया है जिससे कि आने वाले समय में किसी बड़े नुकसान का आकलन किया जा सके ।

(iii) निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि में हस्तांतरित किये जाने लायक कोई भी राशि नहीं है ।

(iv) कंपनी ने अपने भारतीय लेखा विवरण में मांगी गई प्रकटीकरण स्पेशीफाइट बैंक नोट के बारे में 8 नवंबर 2016 से 30 दिसबंर 2016 तक की अवधि का किया है जो कि कंपनी के द्वारा रखी जाने वाली लेखा के अनुरुप है, टिप्पणी स. 38.12 को संर्दभित करें ।

कृते
**अग्रवाल रमेश के. एण्ड कंपनी**
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 004614सी

**रमेश कुमार अग्रवाल**
भागीदार
सदस्यता संख्या: 072918

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 19/07/2017

## लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक-I

1) क्या कम्पनी के पास अपने फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड सम्पत्ति वैध कागजात है ? यदि नहीं तो कृपया यह बताएं कि किस सम्पत्ति का और किस क्षेत्र का फ्रीहोल्ड एवं लीजहोल्ड सम्पत्ति का वैध कागजात उपलब्ध नहीं है ।

**टिप्पणी संख्या 38.3 एवं 38.4 के संदर्भ में :**

**38.3 कम्पनी राय सरकार/निजी पार्टियों से 1548.09 एकड़ भूमि (गत वर्ष 1548.09 एकड़) भूमि का स्वीकारात्मक स्वामित्व रखती है । जिससे सम्बंधित दस्तावेजों का हस्तांतरण/पंजीकरण आदि पूरा करना बाकी है, जिसकी लागत 1517.59 लाख रुपये (गत वर्ष 1517.59 लाख रुपये), जिसे कम्पनी की अचल परिसम्पत्ति में लीज की भूमि छ शीर्ष में सम्मिलित किया गया है ।**

**38.4 मुसाबनी में पूर्ववर्ती बिहार सरकार द्वारा हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड को पट्टे पर दी गई ३(तीन) एकड़ भूमि का उपयोग कम्पनी द्वारा 1986 से किया जा रहा है । इसके प्रयोग से सम्बंधित कोई औपचारिक अनुबंध नहीं हो पाने के कारण इसके लिए भुगतान/प्रावधान पर कोई विचार नहीं किया गया है ।**

2) कृपया बताएं कि छूट/कर्ज को बट्टे खाते में डालने/ऋण/ब्याज आदि की गई है...यदि हाँ तो कितनी राशि शामिल है और उसको कारण ।

3) क्या तीसरे पक्ष के पास पड़े हुए सामानों तथा सरकार या अन्य अधिकारियों से उपहार के रूप में प्राप्त सम्पत्तियों के समुचित रिकॉड रखे जाते हैं ?

**प्रबंधन से प्राप्त सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तीसरे पक्ष के पास कोई सामग्री नही है । हमें दिये गए विश्लेषण के अनुसार वर्ष के दौरान सरकार या अन्य अधिकारियों से उपहार के रूप में कोई सम्पत्ति प्राप्त नहीं है ।**

कृते
**अग्रवाल रमेश के. एण्ड कंपनी**
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 004614सी

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 19/07/2017

**रमेश कुमार अग्रवाल**
भागीदार
सदस्यता संख्या: 072918

# स्वतंत्र लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक - ।।

(31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए कम्पनी के वित्तीय विवरण की तारीख के बारे में हमारी रिपोर्ट की धारा "अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" के तहत पैरा 1 में उल्लिखित)

1) (क) कम्पनी अचल सम्पत्ति के विवरण और परिस्थिति सहित पूर्ण विवरण को दर्शाते हुए समुचित रिकार्ड को बनाये रख रही है ।

(ख) प्रबंधन के द्वारा तीन वर्षों के लिए सभी वस्तुओं को कवर करने के लिए चरणबद्ध कार्यक्रम डिजाइन के अनुसार अचल सम्पत्तियों की भौतिक जाँच की जा रही है, जो हमारी राय में कम्पनी के आकार और इसकी सम्पत्ति की प्रकृति के संदर्भ में जिम्मेवार है । कार्यक्रम के अनुसरण में वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा अचल सम्पत्तियों के एक हिस्से की भौतिक जाँच की जा रही है और कथित जाँच में कोई सामग्री विसंगति ध्यान में नहीं लाई गई है ।

(ग) अचल सम्पति के स्वामित्व का दस्तावेज कम्पनी के नाम में है ।

2) (क) जैसा कि हमें बताया गया, तुम्मलापल्ली के सिवा सभी सम्पत्तियों की प्रत्यक्ष जाँच वर्ष के दौरान स्वतंत्र अनुभवियों से उचित अंतराल पर की गई ।

(ख) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचनाओं एवं विवरण के अनुसार, प्रबंधन द्वारा अपनाई गई वस्तुओं की भौतिक जाँच की विधि कम्पनी के व्यवसाय के आकार एवं प्रकृति के अनुसार न्यायसंगत है ।

(ग) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचनाओं के अनुसार कम्पनी द्वारा अपनी सम्पत्तियों का अभिलेख उचित ढंग से रखा जा रहा है । बही रिकार्ड की तुलना में सामग्रियों के भौतिक सत्यापन में पाये गए विसंगति सामग्री नहीं थे और उन्हें लेखे की बहियों में ठीक कर लिया गया है ।

3) जैसा कि सूचित किया गया, कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत देखे जा रहे रजिस्टर में वर्णित कम्पनी, फर्म या अन्य पार्टियों को कोई ऋण, सुरक्षित या असुरक्षित मंजूर नहीं किया है । तदनुसार कथित आदेश के खण्ड 3(iii) (क) से (ग) तक कम्पनी के लिए अप्रयोज्य है और इसीलिए इस पर कोई टिप्पणी नहीं की ।

4) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी ने ऋण, निवेश की गारंटी तथा सुरक्षा के सम्बंध में कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 185 तथा 186 के प्रावधानों के साथ अनुपालन किया है ।

5) कम्पनी ने जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है और इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक से जारी निर्देशों तथा अनुच्छेद 73 ासे 76 तक के प्रावधानों या अन्य किसी सम्बंधित अधिनियम और जनता से स्वीकार्य जमा के सम्बंध में कम्पनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2015 प्रयोज्य नहीं हैं ।

6) हमने मोटे तौर पर उत्पादों के सम्बंध में कम्पनी के द्वारा रखे जाने वाले लेखों की पुस्तकों का पुन: अवलोकन किया, भारत सरकार द्वारा बनाये गए नियमों का अनुसरण किया और पाया कि कम्पनी कानून की धारा 148 की उप-धारा के अंतर्गत लागत रिकार्ड के रखरखाव की समीक्षा की गई है और मंतव्यों के अनुसार प्रथम दृष्टया निर्धारित खाते और रिकार्ड बना लिये गए हैं और रख-रखाव किये जा रहे हैं । तथापि हमने इस दृष्टिकोण से कि क्या वे वास्तविक या पूर्ण हैं, की कोई विसतृत रिपोट नहीं तैयार की है । वित्तीय वर्ष 2014-15 से सम्बंधित लागत लेखा परीक्षा पूर्ण कर ली गई है ।

7) वैधानिक बकाये के सम्बंध में हमें दी गई जानकारी एवं व्याख्याओं के अनुसार:

(क) कम्पनी आमतौर पर भविष्य निधि, आय कर, बिक्री कर, सम्पत्ति कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, आबकारी शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपयुक्त प्राधिकारियों के लिये प्रयोग उप कर एवं अन्य सामग्री वैधानिक बकाया जमा करने में नियमित हैं । हमें सूचित किया गया है कि कर्मचारी राज्य बीमा , कम्पनी के लिए लागू नहीं है ।

(ख) भविष्य निधि, आय कर, बिक्री कर, सम्पत्ति कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, आबकारी शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उप कर एवं अन्य सामग्री वैधानिक बकाया जमा 31 मार्च, 2017 को देय तिथि से छः माह के लिए बकाया के सम्बंध में किसी प्रकार की अविवादित राशि देय नहीं है । हमें सूचित किया गया है कि कर्मचारी राज्य बीमार,कम्पनी के लिए लागू नहीं है ।

(ग) विवादित लेखे में नहीं जमा किये गए आय कर एवं बिक्री कर की देय राशि का विवरण निम्नवत् है:

| संविधि की प्रकृति | बकाये की प्रकृति | राशि (लाख रु. में) | फोरम जहाँ विवाद लंबित है | राशि से सम्बंधित अवधि |
|---|---|---|---|---|
| आय कर अधिनियम | आय कर | 731.74 | अपीलीय ट्रिबूनल एवं सीआईटी (अपील) | 2005-06<br>2007-08<br>2008-09<br>2012-13 |

8) हमारी राय में, प्राप्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने बैंक की बकाया राशि के पुनर्भुगतान में चूक नहीं किया है । कम्पनी न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से 9.56% प्रति वर्ष की दर से 100 करोड़ रुपये लिया है । व्याज की राशि को लेखे में प्रावधान किया गया है किंतु जबसे उधार लिया गया है, इसका भुगतान नहीं किया गया है ।

9) प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण तथा किये गए ऑडिट प्रक्रिया के आधार पर कम्पनी ने ऋण इंस्ट्रूमेंट तथा टर्म लोन के साथ कोई भी प्रारंभिक पब्लिक ऑफर या आगे पब्लिक ऑफर के द्वारा पैसे की उगाही नहीं किया है । तदनुसार आदेश की धारा 3(ix) का प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होता है और इसलिए टिप्पणी नहीं की गई है ।

10) प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण तथा ऑडिट प्रक्रिया के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि कम्पनी के द्वारा या कम्पनी के अधिकारी के द्वारा या किसी कर्मचारी के द्वारा किसी प्रकार के गबन की सूचना वर्ष के दौरान नहीं मिली है ।

11) प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण एवं ऑडिट प्रक्रिया के आधार पर, कम्पनी अधिनियम की अनुसूची IV के द्वारा पठित धारा 197 के प्रावधानों के अपेक्षित मंजूरी द्वारा अनिवार्यता के अनुसारण में प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान किया गया है ।

12) हमारी राय में, कम्पनी एक निधी कम्पनी नहीं है । इसलिए आदेश की धारा 4(xii) का प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होता है ।

13) हमारी राय में सम्बंधित पार्टी के लेन-देन कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 177 तथा 178 के अनुसार है तथा विवरण को लागू लेखा मानक के अनुसार वित्तीय विवरण में दर्शाया गया है ।

14) प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण तथा ऑडिट प्रक्रिया के आधार पर, कम्पनी ने वर्ष के दौरान शेयर्स का बेहतर आवंटन एवं प्राइवेट प्लेसमेंट या पूर्ण या आंशिक परिवर्तनीय ऋणपत्र जारी नहीं किया है । तदनुसार आदेश की धारा 3(xiv) का प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होता है इसलिए टिप्पणी नहीं की गई है ।

15) प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण तथा ऑडिट प्रक्रिया के आधार पर कम्पनी ने निदेशकों या सम्बंधित व्यक्तियों के साथ कोई नन-कैश ट्रांजेक्शन नहीं किया है । तदनुसार आदेश की धारा 3(xv) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होता है इसलिए टिप्पणी नहीं की गई है ।

16) हमारी राय में कम्पनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45 IA के अंतर्गत निबंधन कराने की जरूरत नहीं है और तदनुसार आदेश की धारा 3(xvi) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं, इसलिए टिप्पणी नहीं की गई है ।

कृते
**अग्रवाल रमेश के. एण्ड क.**
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 004614सी
**रमेश कुमार अग्रवाल**
भागीदार
सदस्यता संख्या: 072918

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 19/07/2017

# स्वतंत्र लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक - III

यहाँ तक की तारीख तक कम्पनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 143 (3) (1)
के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रकगण का प्रतिवेदन

हमारे द्वारा यूसिल कंपनी का 31/03/2017 को समाप्त हुए वर्ष को लेखा परीक्षण के साथ हमने वित्तीय विवरण के साथ आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का भी परीक्षण किया है।

**आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन का दायित्व**

कंपनी प्रबंधन का यह दायित्व है कि इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउन्टेन्ट के दिशा निर्देशानुसार कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियत्रण को स्थापित करे जिससे कि कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण जो कि एक महत्वपूर्ण भाग है, पर नियंत्रण रहे । इस दायित्व के अंतर्गत कंपनी अधिनियम 2013 के तहत समय पर आंतरिक वित्तीय सूचना की तैयारी, लेखांकन रिकॉर्ड, पूर्णता, शुद्धता, गबन तथा गलतियों का उजागर एवं अवरुद्धता, कंपनी की नीति, संम्पत्तियों का बचाव, व्यापार का संचालन आंतनिक वित्तीय नियंत्रण का इंम्प्लीमेटेशन तथा रख रखाव आदि शामिल है।

**लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन**

हमारा दायित्व कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (10) तथा इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउन्टेन्ट ऑफ इंडिया के दिशा निर्देश के अनुसार कंपनी के द्वारा स्थापित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पट अपनी राय देना है। यह दिशा निर्देश तथा मानक यह बताता है कि हमने जो लेखा परीक्षण किया है उससे यह सुनिश्चित की जा सके कि क्या कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण जो स्थापित है वह हर तरफ से प्रभावी और ठीक है। हमारा लेखा परीक्षण में लेखा सक्षम तथा उसकी पर्याप्त तथा उसका वित्तीय प्रतिवेदन के लिए प्रभावी होना भी शामिल है।

हमारा वित्तीय आंतरिक नियंत्रण का ऑडिट वित्तीय विवरण पर यह भी शामिल करता है कि महत्वपूर्ण कमजोरी का जोखिम है, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी है। प्रक्रिया का चुनाव किया जाना लेखा परीक्षक के विवेक पर निर्भर करता है जिस में कि लेखा विवरणों में महत्वपूर्ण गलतियां जो की गबन और अशुद्धि भी हो सकता है उस पर भी निर्भर करता है। हम यकीन करते है कि जो ऑडिट साक्ष्य हमे मिला है वह पूर्ण तथा ठीक है और जिसके आधार पर हम अपनी राय कंपनी के वित्त विवरण तथा आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट करते है।

**वित्तीय प्रतिवेदन के साथ आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ**

कम्पनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय प्रतिवेदन का एक प्रक्रिया है जो कि सामान्यतः मान्य सिद्धांतों के आधार पर विश्वसनीय है जिस के आधार पर विभिन्न विवरण तैयार किया गया है। किसी कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय प्रतिवेदन के साथ उन नीति एवं प्रक्रिया को शामिल करता है कि (1) संपत्ति के विवरण, स्वच्छ लेनदेन का रिकार्ड, शुद्धता, सही विवरण तथा रिकॉर्ड के रख रखाव से सम्बधित है। (2) यह सुनिश्चिता प्रदान करने के लिए वित्तीय विवरण की तैयारी सामान्यता मान्य सिद्धांतों के आधार पर तथा आय एवं व्यय जो कंपनी के द्वारा किये गये है सभी प्रबंधन तथा निदेशकों द्वारा अधिकृत है। (3) यह सुनिश्चितता प्रदान करने के लिए की वित्तीय विवरण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावी करने वाले कंपनी की संपत्ति का विवरण, उपयोग अनाधिकृत प्राप्ति तथा समय पर उजागर किया गया है।

**वित्तीय प्रतिवेदन के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ**

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वित्तीय प्रतिवेदन के ऊपर आंतरिक सीमाओं के कारण यह हो सकता है कि गबन तथा अशुद्धियाँ , महत्वपूर्ण गलतियाँ, प्रबंधन की मिलीभगत, अकुशल प्रबंधन की वजह से उजागर न हो । साथ ही, भावी आकलन आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के बारे में आने वाले अवधि के लिए परिवर्तन के कारण या फिर उनके अनुपालन के कारण या नीति तथा प्रक्रिया में कमी के कारण की स्थिति में अपर्याप्त हो सकता है ।

**राय**

हमारी राय में कम्पनी के पास सभी महत्वपूर्ण मामलों में वित्तीय विवरण पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है तथा इस प्रकार की वित्तीय रिपोर्टिंग पर जारी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण जहाँ 31 मार्च, 2017 को प्रभावी तरीके से परिचालित हो रही थी, जो इंस्टीच्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर जारी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अंकेक्षण पर जारी मार्गदर्शी टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रक की आवश्यक अवयवों पर विचार करते हुए कम्पनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्ट की कसौटियों पर आधारित है ।

कृते
**अग्रवाल रमेश के. एण्ड कंपनी**
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 004614सी

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 19/07/2017

**रमेश कुमार अग्रवाल**
भागीदार
सदस्यता संख्या: 072918

## कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अंतर्गत 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के लेखे पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कम्पनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत बनाये गए वित्तीय रिपोर्टिंग संरचना के अनुसरण में 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड की वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत करना कम्पनी प्रबंधन का दायित्व है । अधिनियम की धारा 139 (5) के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरण के बारे में भारतीय सनदी लेखापाल संरक्षण के व्यवसायिक संस्थान के निर्धारित मानक के तहत अधिनियम की धारा 143 (10) के अंतर्गत निष्पक्ष रूप से लेखा परीक्षा करने का हमारा दायित्व है। यह उनके लेखा प्रतिवेदन दिनांक 19/07/2017 के द्वारा किया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से मैंने 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए **यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड** का अनुपूरक लेखा परीक्षा, अधिनियम, की धारा 143 (6) (क) के अंतर्गत किया है। अनुपूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों के द्वारा कार्यरत कागजातों को देखे बिना एवं सांविधिक लेखा परीक्षकों एवं कम्पनी के प्रतिवेदनों द्वारा प्रारम्भिक पूछताछ एवं कुछ चुने गये कागजातों एवं लेखा रिकार्डों के आधार पर किया गया है।

मेरे द्वारा पूरक लेखा परीक्षा के आधार पर सांविधिक लेखा परीक्षकों के संबंध में किसी प्रकार की ऐसी विशेष बात मेरी जानकारी में नहीं आई है जिस पर कोई टिप्पणी की जा सके।

कृते एवं ओर से

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

नियंत्रक

ह/-

**(रितिका भाटिया)**

मुख्य निदेशक

मुख्य वाणियिक लेखा परीक्षा निदेशक एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड-IV

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 06/09/2017

## तुलन पत्र

(लाख ₹ में )

| विवरण | नोट | 31 मार्च 2017 तक | 31 मार्च 2016 तक | 31 मार्च 2016 तक |
|---|---|---|---|---|
| **परिसम्पत्तियाँ** | | | | |
| गैर मौजूदा परिसम्पत्तियाँ | | | | |
| सम्पत्ति, संयत्र एवं उपकरण | 3 | 2,17,097.00 | 68,621.23 | 70,535.67 |
| प्रगतिधीन पूँजी | 4 | 24,223.10 | 2,22,556.58 | 2,03,344.25 |
| अमूर्त परिसम्पत्तियाँ | 5 | 14,160.24 | 924.83 | 988.01 |
| वित्तीय सम्पत्तियाँ | | | | |
| – ऋण | 6 | 1,302.00 | 1,680.07 | 2,024.16 |
| – अन्य वित्तीय निधि | 13 | 584.99 | 586.85 | 478.52 |
| अन्य गैर मौजूदा सम्पत्ति | 7 | 7.40 | 7.40 | 10.81 |
| **कुल गैर मौजूदा सम्पत्ति** | | **2,57,374.73** | **2,94,376.95** | **2,77,381.41** |
| **चालू परिसम्पत्तियाँ** | | | | |
| माल | 8 | 51,740.83 | 10,518.00 | 7,337.33 |
| वित्तीय निधि | | | | |
| – प्राप्ति योग्य व्यापार | 9 | 49,097.88 | 23,081.50 | 7,009.70 |
| – नकद एवं नकद समतुल्य | 10 | 2,347.30 | 3,198.21 | 9,134.01 |
| – नकद एवं नकद समतुल्यों के अलावा बैंक अधिशेष | 11 | 128.71 | 119.50 | 1.45 |
| – ऋण | 6 | 2,530.85 | 1,423.11 | 1,345.30 |
| – अन्य वित्तीय निधि | 13 | 726.90 | 671.68 | 715.66 |
| चालू कर निधि (शुद्ध) | 12 | - | 39.41 | 1,968.08 |
| अन्य चालू कर निधि | 14 | 2,998.07 | 2,606.81 | 1,869.72 |
| **कुल चालू निधि** | | **1,09,570.54** | **41,658.22** | **29,381.25** |
| **कुल निधि** | | **3,66,945.27** | **3,36,035.17** | **3,06,762.66** |
| **इक्विटी एवं देनदारियाँ** | | | | |
| इक्विटी | | | | |
| इक्विटी शेयर पूँजी | 15 | 1,61,561.78 | 1,56,461.78 | 1,53,961.78 |
| अन्य इक्विटी | 16 | 55,173.09 | 48,842.51 | 38,129.91 |
| **कुल इक्विटी** | | **2,16,734.87** | **2,05,304.29** | **1,92,091.69** |
| **देनदारियाँ** | | | | |
| गैर मौजूदा देनदारियाँ | | | | |
| अंतिम देनदारियाँ | | | | |
| – अन्य वित्तीय देनदारियाँ | 17(c) | 948.21 | 1,031.71 | 1,027.54 |
| प्रावधान | 18 | 6,646.56 | 4,997.12 | 4,944.71 |
| आस्थागित कर देनदारियाँ (शुद्ध) | 19 | 8,860.68 | 5,705.36 | 6,006.27 |
| कुल गैर मौजूदा देनदारियाँ | | 16,455.45 | 11,734.19 | 11,978.52 |
| **चालू देनदारियाँ** | | | | |
| वित्तीय देनदारियाँ | | | | |
| – उधार | 17(a) | 64,022.18 | 69,090.74 | 61,436.38 |
| – व्यापार देयताएँ | 17(b) | 5,421.78 | 4,957.50 | 5,190.05 |
| – अन्य वित्तीय देनदारियाँ | 17(c) | 56,752.24 | 40,330.21 | 30,328.32 |
| प्रावधान | 18 | 927.03 | 490.67 | 2,246.92 |
| मौजूदा कर देनदारियाँ (शुद्ध) | 12 | 2,275.85 | - | - |
| अन्य मौजूदा देनदारियाँ | 20 | 4,355.87 | 4,127.57 | 3,490.78 |
| कुल मौजूदा देनदारियाँ | | 1,33,754.95 | 1,18,996.69 | 1,02,692.45 |
| **कुल देनदारियाँ** | | **1,50,210.40** | **1,30,730.88** | **1,14,670.96** |
| **कुल इक्विटी एवं देनदारियाँ** | | **3,66,945.27** | **3,36,035.17** | **3,06,762.66** |
| **महत्वपूर्ण लेखांकन नितियाँ** | **1, 2** | | | |

साथ के ये नोट इन वित्तीय विवरणों के अभिन्न हिस्सा है :

हमारी संलग्न समतिथि की रिपोर्ट के अनुसार
**अग्रवाल रमेश के एवं कंपनी के लिए**
चार्टर्ड अकाउंटेंटस
फर्म रजिस्ट्रेशन संख्या–004617C

कृते बोर्ड की ओर से

**रमेश कुमार अग्रवाल**
पार्टनर
सदस्यता संख्या–072918
स्थान – कोलकाता
तिथि – 19 जुलाई 2017

**बी.सी. गुप्ता**
कंपनी सचिव

**देवाशिष घोष**
निदेशक (फाइनांस)

**सी.के. असनानी**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

## लाभ और हानि का विवरण

(लाख ₹ में )

| विवरण | नोट | 31 मार्च 2017 तक | 31 मार्च 2016 तक |
|---|---|---|---|
| **आय** | | | |
| परिचालन से राजस्व | 21 | 1,26,598.72 | 1,01,426.28 |
| अन्य आय | 22 | 671.78 | 1,126.29 |
| **कुल आय** | | **1,27,270.50** | **1,02,552.57** |
| **व्यय** | | | |
| खपत माल की लागत | 23 (a) | 8,874.09 | 6,878.68 |
| तैयार माल की सूची में परिवर्तन तथा कार्य प्रगति पर | 23 (b) | (2,032.44) | (3,125.22) |
| माल की बिक्री पर उत्पाद शुल्क | | 122.96 | 89.69 |
| कर्मचारी लाभ व्यय | 24 | 30,166.57 | 29,970.48 |
| वित्त लागत | 25 | 6,431.53 | 6,197.84 |
| मूल्य ह्रास एवं परिशोधन व्यय | 26 | 13,662.90 | 8,581.18 |
| अन्य व्यय | 27 | 49,060.54 | 38,506.51 |
| **कुल व्यय** | | **1,06,286.15** | **87,099.16** |
| **कर पूर्व लाभ/(हानि)** | | **20,984.35** | **15,453.41** |
| **कर व्यय** | | | |
| 1. मौजूदा कर | 28 | 4,537.67 | 5,763.44 |
| 2. आस्थागित कर | 28 | 3,189.04 | (294.39) |
| 3. पिछले वर्षो के लिए कर | 28 | 463.76 | - |
| **कुल कर व्यय** | | **8,190.47** | **5,469.05** |
| **वर्ष के लिए लाभ/(हानि)** | | | |
| **अन्य व्यापक आय** | | 12,793.88 | 9,984.36 |
| **वस्तुएँ जिन्हें लाभ एवं हानि के लिए पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा** | | | |
| शुद्ध परिभाषित लाभ योजनाओं की पुनः माप | | | |
| उपरोक्त सामग्रीयों से सम्बंधित आय कर | | (268.43) | 345.03 |
| वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय (कर का शुद्ध) | | 92.90 | (119.40) |
| **वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय** | | (175.53) | 225.63 |
| **प्रति शेयर आय** | | **12,618.35** | **10,209.99** |
| 1. बेसिक | 29 | 80.45 | 64.28 |
| 2. डायल्यूटेड | 29 | 80.45 | 64.28 |

साथ के ये नोट इन वित्तीय विवरणों के अभिन्न हिस्सा है :

हमारी संलग्न समतिथि की रिपोर्ट के अनुसार
**अग्रवाल रमेश के एवं कंपनी के लिए**
चार्टर्ड अकाउंटेंटस
फर्म रजिस्ट्रेशन संख्या–004617C

कृते बोर्ड की ओर से

**रमेश कुमार अग्रवाल**
पार्टनर
सदस्यता संख्या–072918
स्थान – कोलकाता
तिथि – 19 जुलाई 2017

**बी.सी. गुप्ता**
कंपनी सचिव

**देवाशिष घोष**
निदेशक (फाइनांस)

**सी.के. असनानी**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

## इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क) इक्विटी शेयर पूँजी

(लाख ₹ में)

| विवरण | नोट | संख्या |
|---|---|---|
| प्रत्येक ₹1000 के इक्विटी शेयर जारी किए गए, सब्सक्राइव किए गए एवं पूर्ण रुप से भुगतान किए गए | | |
| 01 अप्रैल 2015 को | | 153,96,178 |
| शेयर पूँजी का निर्गमन | | 2,50,000 |
| 31 मार्च 2016 को | | 156,46,178 |
| शेयर पूँजी का निर्गमन | 15 | 5,10,000 |
| 31 मार्च 2017 को | | **161,56,178** |

ख) अन्य इक्विटी

(लाख ₹ में)

| विवरण | लंबित शेयर आवेदन रकम का आवंटन | आरक्षित एवं अधिशेष | | |
|---|---|---|---|---|
| | | सामान्य आरक्षित | प्रतिधारित आरक्षित | कुल |
| 01 अप्रैल 2015 को | 1,900.00 | 11,272.03 | 24,957.88 | 38,129.91 |
| वर्ष के लिए लाभ | - | - | 9,984.36 | 9,984.36 |
| वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय | - | - | 225.63 | 225.63 |
| शेयर का निर्गमन | (1,900.00) | - | - | (1,900.00) |
| प्राप्त शेयर आवेदन रकम | 2,600.00 | - | - | 2,600.00 |
| प्रदत्त लाभांश | - | - | (164.00) | (164.00) |
| लाभांश वितरण कर (डी.डी.टी.) | - | - | (33.39) | (33.39) |
| रोके हुए आय से स्थानांतरण | - | 3,064.00 | - | 3,064.00 |
| सामान्य रिजर्व में स्थानांतरण | - | - | (3,064.00) | (3,064.00) |
| **31 मार्च 2016 को** | **2,600.00** | **14,336.03** | **31,906.48** | **48,842.51** |
| वर्ष के लिए लाभ | - | - | 12,793.88 | 12,793.88 |
| वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय | - | - | (175.53) | (175.53) |
| शेयर का निर्गमन | (2,600.00) | - | (2,600.00) | |
| प्रदत्त लाभांश | - | - | 3,064.00) | (3,064.00) |
| लाभांश वितरण कर (डी.डी.टी.) | - | - | (623.77) | (623.77) |
| रोके हुए आय से स्थानांतरण | - | - | - | - |
| सामान्य रिजर्व में स्थानांतरण | - | - | - | - |
| **31 मार्च 2017 को** | **-** | **14,336.03** | **40,837.07** | **55,173.10** |

साथ के ये नोट इन वित्तीय विवरणों के अभिन्न हिस्सा है :

हमारी संलग्न समतिथि की रिपोर्ट के अनुसार
**अग्रवाल रमेश के एवं कंपनी के लिए**
चार्टर्ड अकाउंटेंटस
फर्म रजिस्ट्रेशन संख्या–004617C

कृते बोर्ड की ओर से

**रमेश कुमार अग्रवाल**
पार्टनर
सदस्यता संख्या–072918
स्थान – कोलकाता
तिथि – 19 जुलाई 2017

**बी.सी. गुप्ता**
कंपनी सचिव

**देवाशिष घोष**
निदेशक (फाइनांस)

**सी.के. असनानी**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

## 1. निगमित सूचना

यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (यूसिल) एक लोक कंपनी हैए जो शेयरों द्वारा सीमित है जिसे 4 अक्तूबर 1967 को निगमित किया गया और जो भारत में अधिवासित है। यह परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र का एक लोक उपक्रम है। जिसका परमाणु ऊर्जा चक्र की अग्रिम पंक्ति में विशेष महत्व है। प्रेशराइज्ड हेवी वॉटर रिएक्टर के लिए यूरेनियम की आवश्यकताओं की पूर्ति करनेवाला यूसिल देश में नाभिकीय ऊर्जाँ के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यूसीआईएल एक आईएसओ 9001 : 2008 : 14001 : 2004 और आईएस 18001 : 2007 कंपनी है और इसने अपनी खदानों एवं प्रसंस्करण संयंत्रों के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियाँ अपनायी हैं।

## 2. महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

### 2.1 तैयारी का आधार

ये वित्तीय विवरण कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम"), परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 और अन्य प्रयोज्य सांविधिक अधिनियमों के अनुसार तैयार किए गए हैं।

31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारतीय लेखा मानक के तहत तुलनात्मक सूचनाओं से युक्त इस प्रकार के वित्तीय विवरण पहली बार तैयार किये गये हैं। 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष तक के वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2006 (यथा संशोधित) और इस अधिनियम के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत अधिसूचित भारत के सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत (Indian GAAP) के अनुसार तैयार किए गए थे।

कंपनी ने सभी भारतीय लेखांकन मानकों को अपनाया है और यह अनुपालन भारतीय लेखांकन मानक 101 'भारतीय लेखांकन मानक के प्रथम बार अनुपालन' के अनुरूप किया गया है। लेखांकन नीतियाँ वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत लगातार सभी अवधियों के लिए लागू की जाती है, जिनमें ओपनिंग भारतीय लेखांकन मानक बैलेंस शीट शामिल है, क्योंकि 1 अप्रैल, 2015 भारतीय लेखांकन मानक में परिवर्तित होने की तिथि है। पूर्ववर्ती सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (GAAP) से भारतीय लेखांकन मानक (Ind AS) में परिवर्तन ने कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह को किस प्रकार प्रभावित किया है इसकी व्याख्या के लिए टिप्पणी 37 देखें।

### 2.2 माप का आधार

इन वित्तीय विवरणों को चालू व्यवसाय की अवधारणा और संचय के आधार पर तथा ऐतिहासिक लागत की परंपरा के तहत तैयार किया गया है, केवल निम्नलिखित मामलों को छोड़कर:

- मेडिकल स्टोर, खेल सामग्रियाँ तथा कैंटीन और गेस्ट हाउस के लिए प्रावधान नकद आधार पर किया जाता है अर्थात उन्हें खरीद के समय व्यय में शामिल किया जाता है,
- परिभाषित लाभ योजना – उचित मूल्य पर मापी गयी योजना परिसंपत्ति और
- उचित मूल्य पर मापे गये खनन बंदी दायित्व।

### 2.3 अनुमानों और निर्णयों का उपयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के दौरान इस्तेमाल किये गये अनुमानों और निर्णयों (estimates and judgments) का कंपनी द्वारा निरंतर मूल्यांकन किया जाता है और यह ऐतिहासिक अनुभव और विभिन्न अन्य मान्यताओं और कारकों (भविष्य की घटनाओं की संभावनाओं सहित) पर आधारित हैं, जिन्हें कंपनी मौजूदा परिस्थितियों के तहत उचित समझती है। वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच के अंतर को उस अवधि में मान्यता दी जाती है, जिसमें परिणाम ज्ञात / प्रकट होते हैं।

उक्त अनुमान वैसे तथ्यों और घटनाओं पर आधारित हैं, जो रिपोर्टिंग की तिथि को विद्यमान थीं, या उस तिथि के बाद घटित हुई लेकिन रिपोर्टिंग की तिथि को विद्यमान स्थितियों के बारे में अतिरिक्त साक्ष्य उपलब्ध कराती हैं

### 2.4 कार्यात्मक मुद्रा और विदेशी मुद्रा अंतरण

#### क. कार्यात्मक और आस्तुति मुद्रा

कंपनी की रिपोर्ट की गई मुद्रा और उसके अधिकांश संचालनों के लिए कार्यात्मक मुद्रा भारतीय रुपयों (₹) में है, जो उस आर्थिक परिवेश की मुख्य मुद्रा है, जिसमें कंपनी काम करती हS, और इसे 'लाख रुपये' में दो दशमलव बिंदु तक राउंड-ऑफ किया गया है, यदि इससे इतर कुछ और न घोषित किया गया हो तो।

#### ख. लेनदेन और शेष

विदेशी मुद्राओं में लेनदेन को ऐन लेनदेन की तारीख को लागू विनिमय दर का उपयोग करते हुए कंपनी की रिपोर्ट की गई मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया विदेशी मुद्राओं में वर्णित मौद्रिक

परिसंपत्तियों और देनदारियों का अनुवाद रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लागू विनिमय दरों पर किया जाता है। विदेशी मुद्रा में वर्णित गैर–मौद्रिक सामग्रियों का मूल्यांकन लेन–देन की तिथि पर लागू विनिमय दरों पर किया जाता है।

मौद्रिक परिसंपत्तियों और देनदारियों के निपटारे या मुद्रा की परिसंपत्तियों और देनदारियों को, शुरुआती मान्यता के दौरान या पिछले वित्तीय विवरणों में अनुवादित करने की दर से भिन्न दर पर, अनुवादित करने की वजह से उत्पन्न विनिमय अंतर को लाभ व हानि विवरण में मान्यता दी जाती ह, और पूंजीगत परसंपत्ति के मामले में उत्पन्न होने वाली अंतर को अचल संपत्तियों / पूंजी में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

### 2.5 वर्तमान और गैरवर्तमान वर्गीकरण

सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों को, जब वे कंपनी के सामान्य संचालन चक्र, अर्थात बारह माह, के भीतर देय होती हैं, वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अन्य सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों को गैर–वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

### 2.6 संपति, संयंत्र और उपकरण

भारतीय लेखांकन मानक 101 के अनुच्छेद D7AA के अनुसार, पहली बार अनुपालन करनेवाले के रूप में, कंपनी ने पिछले सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (GAAP) के अनुसार परिवर्तन तिथि को संपत्ति, प्लांट और उपकरण के जारी रखे जानेवाले मूल्य (carrying value) को ही जारी रखने और उसे डि–कमीशनिंग देनदारियों से संबंधित आवश्यक समायोजन के बाद डीम्ड लागत के रूप में इस्तेमाल करने के विकल्प को चुना है।

फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड ज़मीन को ऐतिहासिक लागत पर आगे ले जाया जाता है। ऐतिहासिक लागत में शामिल होते हैं वैसे व्यय जिनका संबंध भूमि अधिग्रहण से जोड़ा जा सकता है, जैसे कि पुनर्वास खर्च, पुनर्वास लागत और संबंधित विस्थापित व्यक्तियों पर खर्च की गयी मुआवजा राशि इत्यादि।

नई खदान की स्थापना पर होनेवाले व्यय को नयी खदान के ऐसे निर्माण के दौरान उत्पादित अयस्क से हुई आमदनी को घटाने के बाद पूँजीकृत किया जाता है।

सिस्टम सॉफ्टवेयर को संबंधित संपत्तियों के साथ पूँजीकृत किया जाता है।

अन्य सभी संपत्तियों, संयंत्रों और उपकरणों को ऐतिहासिक लागत घटाव संचित मूल्यह्रासऔर संचित क्षति हानि के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। लागत में शामिल हैं परियोजनाओं से संबंधित पूर्व-परिचालनात्मक व्यय, वैसे खर्च जो सीधे संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अधिग्रहण या स्वतःनिर्माण से संबंधित हैं, एवं एरेक्शन / इंस्टॉलेशन पर किया गया व्यय तथा परिसंपत्तियों को उनके असली उद्देश्य के अनुसार काम करने की स्थिति में लाने पर हुआ अन्य संबंधित खर्च।

कंपनी द्वारा, उत्पादन, वस्तुओं की आपूर्ति या कंपनी के किसी भी वर्तमान परिसंपत्तियों तक पहुँचने के लिए आवश्यक कुछ परिसंपत्तियों के निर्माण / विकास पर किये गये पूंजीगत व्यय को, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के तहत सक्षमकारी परिसंपत्तियों के रूप में मान्यता दी जाती है।

जब भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी सामग्री (आइटम) के महत्वपूर्ण हिस्सों की उपयोगी आयु अलग–अलग होती है, तब उन्हें संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की पृथक सामग्रियों के रूप में लेखांकित किया जाता है।

दैनिक सर्विसिंग पर आनेवाली लागत, जिसे मरम्मत और रखरखाव के रूप में वर्णित किया जाता है, को उस अवधि के लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है, जिसमें उसे खर्च किया गया हो।

संपत्ति, प्लांट और उपकरण के पहले से ही पूँजीकृत मद पर होनेवाले परवर्ती व्यय को तब पूँजीकृत किया जाता है जब यह किसी मौजूदा मद के संभावित आर्थिक लाभों को बढ़ाता है, और इसे भविष्यद अपेक्षी रूप से अवमूल्यित किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के किसी मद के निपटान या उसे सेवा से हटाये जाने पर होने वाले किसी भी लाभ या हानि को लाभ व हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

इन्श्योरेंस स्पेयर्स, जिनका इस्तेमाल केवल संपत्ति, संयंत्र या उपकरण एवं उनके उपयोग के किसी मद के सिलसिले में ही किया जा सकता है और जिनका उपयोग अनियमित रहने की संभावना होती है, को पूँजीकृत किया जाता है। आपातोपयोगी उपकरणों को संपत्ति, संयंत्र या उपकरण के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, यदि वे उत्पादन या माल या सेवाओं की आपूर्ति में इस्तेमाल के लिए रखे गये हों और यदि उन्हें एक से ज्यादा अवधि के दौरान इस्तेमाल किये जाने की उम्मीद हो; अन्यथा ऐसी संपत्तियां इन्वेंट्री के रूप में वर्गीकृत की जाती हैं।

### 2.7 पट्टे

ऐसे पट्टे को, जो कंपनी के स्वामित्व से संबंधित सभी जोखिमों एवं प्रतिफलों को, काफी हद तक, स्थानांतरित कर देता है, वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वैसे पट्टों को, जिनमें स्वामित्व के जोखिमों और प्रतिफलों के एक महत्वपूर्ण हिस्से को पट्टादाता द्वारा अपने पास रख लिया जाता है, संचालित पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। एक पट्टे को प्रारंभ की तिथि को ही वित्त पट्टा या

संचालित पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

वित्त पट्टों को, प्रारंभ तिथि पर पट्टे की शुरुआत में, पट्टे पर दी गयी संपत्ति के उचित मूल्य के आधार पर पूँजीकृत किया जाता है। संचालित पट्टा भुगतानों को, पट्टा अवधि के दौरान, लाभ व हानि के विवरण में सीधी रेखा पर आधारित एक व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

## 2.8 अवमूल्यन

संपत्ति, संयंत्र या उपकरण से संबंधित अवमूल्यन, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्दिष्ट उपयोगी जीवन के आधार पर, सीधी रेखा विधि से, या कंपनी के तकनीकी विशेषज्ञों के तकनीकी अनुमानों के आधार पर प्रदान किया जाता है। जिन परिसंपत्तियों के लिए तकनीकी अनुमान पर अवमूल्यन प्रदान किया गया है वे नीचे उल्लिखित हैं:

- ❖ सड़क, पुल और कल्वर्ट्स : 30 साल
- ❖ शाफ्ट और डिक्लाइन : 21 साल
- ❖ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन्स : पन्द्रह साल
- ❖ संयंत्र और मशीनरी (मिल) : 8.5 - 9.5 वर्ष (ट्रिपल शिफ्ट के आधार पर)
- ❖ आवासीय भवन तुरामडीह : 45 साल

ओपनकास्ट माइन के विकास, ओवरबर्डन को हटाने और कमीशनिंग की तारीख तक माइनिंग बेंच को तैयार करने के लिए किये गये व्यय को खदान की पूरी आयु के दौरान परिशोधित किया जाता है।

एक वित्तीय वर्ष में टेलिंग डेम (स्लाइम डैम) को ऊँचा करने के काम के पूरा किये गये हिस्से को पूंजीकृत किया जाता है और तकनीकी आकलन के अनुसार इस ऊँचाई की उपयोगी आयु के दौरान अवमूल्यित किया जाता है।

ऐसे जोड़ने के काम या विस्तार को, जो मौजूदा परिसंपत्तियों का अभिन्न हिस्सा बन जाते हैं, उस परिसंपत्ति के शेष उपयोगी आयु के दौरान अवमूल्यित किया जाता है।

सरकारी भूमि, निजी भूमि, और टेलिंग पोंडस के निर्माण के लिए इस्तेमाल की जानेवाली वन भूमि को टेलिंग पोंडस की उपयोगी आयु के दौरान अवमूल्यित किया जाता है।

पट्टे पर अधिग्रहित, किंतु अन्य प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल की जा रही, सरकारी भूमि को परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन और पट्टे की अवधि में जो सबसे कम हो उतने अवधि के दौरान अवमूल्यित किया जाता है, यदि इस बात की पर्याप्त निश्चितता न हो कि कंपनी पट्टा अवधि के अंत में स्वामित्व प्राप्त कर लेगी।

इंश्योरेन्स स्पेयर्स को संबंधित परिसंपत्तियों के शेष उपयोगी आयु के दौरान अवमूल्यित किया जाता है, उस दर पर जो वर्तमान परिसंपत्तियों पर लागू होती है, और मौजूदा परिसंपत्तियों के अधिग्रहण से लेकर इंश्योरेंस स्पेयर्स के अधिग्रहण की तारीख तक के अवमूल्यन परिमाण को अधिग्रहण के वर्ष घटा दिया जाता है।

परिसंपत्तियों के अवशिष्ट मूल्यों और परिसंपत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन की समीक्षा की जाती है, और यदि उपयुक्त हो, तो प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में समायोजित कर दिया जाता है।

वर्ष के दौरान जोड़ी/हटायी गयी परिसंपत्तियों को प्रो–रेटा (यथानुपाती) आधार पर, अधिग्रहण/कमीशन के लिए महीने का पहला दिन और निपटान के लिए महीने का आखिरी दिन लेते हुए, अवमूल्यित किया जाता है।

## 2.9 अमूर्त संपति और परिशोधन

भारतीय लेखांकन मानक (Ind AS) को अपनाने की तिथि पर, कंपनी ने, पिछले सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (GAAP) के अनुसार अमूत परिसंपत्तियों को, भारतीय लेखांकन मानक 101 के अनुरूप डीम्ड लागत समझने का विकल्प चुना है।

शुरुआती मान्यता में, अमूर्त संपत्तियों को लागत के आधार पर मान्यता दी जाती है। शुरुआती मान्यता के बाद, अमूर्त संपत्तियों को लागत घटाव किसी भी प्रकार का संचित परिशोधन एवं संचित क्षति हानि के साथ आगे ले जाया जाता है।

पहले से ही ही पूँजीकृत अमूर्त परिसंपत्तियों पर होनेवाले परवर्ती व्यय को तब पूँजीकृत किया जाता है जब यह किसी मौजूदा परिसंपत्ति में निहित संभावित आर्थिक लाभों को बढ़ाता है और इसे भविष्य दअपेक्षी रूप से परिशोधित किया जाता है।

आंतरिक उपयोग के लिए अधिग्रहित सॉफ्टवेयर जो संबंधित हार्डवेयर का अभिन्न हिस्सा नहीं है, जो भविष्य में महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ दे सकता है, को अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में तब मान्यता दी जाती है, जब वह इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाता है।

पहचानने योग्य अमूर्त परिसंपत्तियों, जैसे कि भूमि के उपयोग के अधिकार, के लिए भुगतान की गयी राशि को चुकायी गयी राशि के उपयुक्त मूल्य पर पूँजीकृत किया जाता है और इसे लागत घटाव संचित अवमूल्यन व क्षति मूल्य के रूप में दर्ज किया जाता है। अमूर्त संपत्तियों को (परिमित आयु वाली) लागत मॉडल के अनुसार एक सीधी रेखा के आधार पर उनके अपेक्षित उपयोगी आयु के दौरान परिशोधित किया जाता है।

व्यावसायिक गतिविधियों का मतलब है क्रियान्वयन के निष्कर्ष या व्यावसायिक उत्पादन या इस्तेमाल शुरू होने

से पूर्व नयी या काफी हद तक सुधारी गयी सामग्रियों, प्रक्रियाओं, प्रणालियों की किसी योजना या डिजाइन का ज्ञान। लागत को पांच वर्षों के दौरान सीधी रेखा के आधार पर परिशोधित किया जाएगा।

### 2.10 पूँजीगत कार्य आगति पर

प्रगति में पूँजीगत कार्यमें शामिल हैं परिसंपत्तियों के अधिग्रहण और निर्माण के लिए व्यय, और संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की लागत, जो अबतक अपने निर्धारित उपयोग के लिए तैयार नहीं है।

### 2.11 खदान बंदी स्थल पुनरुद्धार और डिकमीशनिंग दायित्व

भारतीय लेखांकन 101 के अनुच्छेद डी 21 के अनुसार, पहली बार अनुपालन करनेवाले के तौर पर, कंपनी डी–कमीशनिंग देयता को भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार मापती है, भारतीय लेखांकन मानक में परिवर्तन की तिथि तक।

डि–कमीशनिंग लागतों को देयता का निपटारा अनुमानित कैश फ्लो के जरिए करने के लिए अपेक्षित लागत के वर्तमान मूल्य पर प्रदान किया जाता है और इन्हें प्रासंगिक परिसंपत्तियों की लागत के भाग के रूप में पहचाना जाता है। कैश फ्लो को मौजूदा कर पूर्व दर से डिस्काउंट किया जाता है, जो पैसे के समय–मूल्य के वर्तमान बाजार मूल्यांकन को दर्शाता है। डिस्काउंट के अनवाइंडिंग को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागत के रूप में दर्शाया जाता है। अनुमानित भविष्य की लागतों या लागू किये गये डिस्काउंड रेट में हुए परिवर्तन को परिसंपत्ति की लागत में जोड़ा या घटाया जाता है। खदान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 के अनुसार खदान की बंदी और पर्यावरण के पुनरुद्धार के दायित्व को पूरा करने के दायित्व को मैसर्स मेकॉन लिमिटेड द्वारा तकनीकी तौर पर अनुमानित किया गया है।

### 2.12 गैरवित्तीय परिसंपतियों की क्षति

परिसंपत्तियों की आगे ले जाने वाली राशि की समीक्षा प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि को की जाती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि किसी प्रकार की क्षति के संकेत हैं या नहीं। यदि कोई संकेत मौजूद है, तो उस परिसंपत्ति से प्राप्त की जानेवाली राशि का अनुमान लगाया जाता है। जहाँ कहीं भी किसी परिसंपत्ति की आगे ले जानेवाली राशि वसूली जानेवाली राशि से ज्यादा होती है इसे क्षति हानि माना जाता है। वसूली योग्य राशि परिसंपत्ति के बिक्री मूल्य और उपयोग किये जा रहे मूल्य में से जो ज्यादा हो वही होती है। उपयोग किये जा रहे मूल्य का आकलन करने के लिए अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह को उनके वर्तमान मूल्य तक डिस्काउंट किया जाता है।

आगे ले जाने वाली राशि को वसूली योग्य राशि तक कम कर दिया जाता है और इस कमी को लाभ और हानि के विवरण में क्षतिकारी हानि के रूप में मान्यता दी जाती है। पहले से मान्यता प्राप्त क्षति–हानि को परिस्थितियों में परिवर्तन के आधार पर बढ़ाया या घटाया जाता है। हालांकि, क्षति हानि को घटाकर आगे ले जायी जानेवाली उस राशि से ज्यादा तक नहीं लाया जाता है, जिसे निर्धारित किया जाता (परिशोधन या अवमूल्यन की शुद्ध राशि) यदि उसके पूर्व वर्ष में कोई भी क्षति–हानि को मान्यता नहीं दी जाती। क्षति के बाद, अवमूल्यन क्षतिग्रस्त परिसंपत्ति के संशोधित आगे ले जाये जानेवाले मूल्य पर उसकी शेष बची उपयोगी आयु के दौरान प्रदान किया जाता है।

### 2.13 वित्तीय प्रपत्र

वित्तीय साधन एक ऐसा अनुबंध है, जो एक इकाई की वित्तीय परिसंपत्ति और किसी अन्य संस्था की वित्तीय देनदारी या इक्विटी उपकरण को जन्म देता है।

#### क. वित्तीय परिसंपत्ति

कंपनी की वित्तीय संपत्ति में नकद और बैंक बैलेंस, ऋण और कर्मचारियों को दिये गये अग्रिम, व्यापार प्राप्तियां और सुरक्षा जमा शामिल हैं। व्यापार प्राप्तियों को उनके लेनदेन मूल्य पर मापा जाता है।

निर्धारित परिपक्वता रहित सुरक्षा जमा को उस मूल्य पर आगे ले जाया जाता है जिसपर इसे अनुबंध समाप्त होने पर प्राप्त किया जाएगा और यही वह राशि है जो वास्तव में भुगतान की जाती है। वह समयावधि, जिस पर रकम प्राप्त की जाएगी, अनिर्णीत है क्योंकि वह रकम तब प्राप्त होगी जब अनुबंध समाप्त किया जा रहा होगा। डिस्काउंटिंग को हटा दिया जाता है, क्योंकि समयावधि निर्धारण योग्य नहीं होती है।

#### वित्तीय परिसंपत्तियों की मान्यता-समाप्ति

एक वित्तीय संपत्ति की मान्यता को केवल तभी समाप्त समझा जाता है जब

- कंपनी ने वित्तीय संपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकारों को स्थानांतरित कर दिया हो, या
- उसने वित्तीय संपत्ति का नकदी प्रवाह प्राप्त करने के लिए आनुबंधिक अधिकारोंको बरकरार रखा हो, लेकिन एक या उससे अधिक प्राप्तकर्ताओं को नकदी प्रवाह का भुगतान करने के लिए अनुबंध संबंधी दायित्व स्वीकार करती हो।

#### ख. वित्तीय देनदारियाँ

कंपनी की वित्तीय देनदारियां ऐसी परिस्थिति में जो कंपनी के लिए संभावित रूप से प्रतिकूल हैं, किसी अन्य इकाई को नकद या कोई और वित्तीय परिसंपत्ति देने या वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देनदारियों का उन इकाइयों के

साथ विनिमय करने का संविदात्मक दायित्व है।
कंपनी की वित्तीय देनदारियों में ऋण और उधार, व्यापार और अन्य भुगतान शामिल हैं इन्हें अपने लेनदेन मूल्य पर मान्यता दी जाती है।

**वित्तीय देनदारियों की मान्यता-समाप्ति**

एक वित्तीय देनदारी की मान्यता तब समाप्त हो जाती है जब देयता के तहत दायित्व का निर्वहन कर दिया जाता है, उसे रद्द कर दिया जाता है या उसकी समयसीमा खत्म हो जाए। किसी वित्तीय दायित्व की आगे ले जानेवाली राशि, जिसे किसी अन्य पक्ष को शमित या स्थानांतरित किया गया हो, एवं भुगतान किये गये मूल्य, जिसमें स्थानांतरित गैर–नकदी परिसंपत्तियाँ एवं स्वीकार की गयी देनदारियाँ शामिल हैं, को लाभ व हानि के विवरण में अन्य आय या वित्त लागत के रूप में मान्यता दी जाती है।

**वित्तीय साधनों का समायोजन**

वित्तीय परिसंपत्तियाँ और वित्तीय देनदारियाँ समायोजित की जाती हैं और शुद्ध राशि को बैलेंस शीट में सूचित किया जाता है, यदि वर्तमान में मान्यताप्राप्त राशियों को समायोजित करने का साध्य कानूनी अधिकार हो और यदि शुद्ध आधार पर निपटारा करने का इरादा हो, ताकि परिसंपत्तियों की वसूली और देनदारियों का निपटान एक साथ किया जा सके।

## 2.14 माल सूचियाँ

क. माल सूचियों की माप

माल–सूचियों के मूल्य को लागत तथा शुद्ध वसूली योग्य मूल्य में जो सबसे कम हो उसपर निर्धारित किया जाता है। शुद्ध वसूली मूल्यका मतलब है माल सूचियों की अनुमानित बिक्री घटाव पूरा करने की अनुमानित लागत और बिक्री करने के लिए आवश्यक अनुमानित लागत।

ख. लागत फॉर्मूला

| | | |
|---|---|---|
| 1 | अयस्क या चालू कार्य के अनुसार | अवशोषण लागत विधि |
| 2 | डाइरेक्ट मेटेरियलए स्टोर और पुर्जे | भारित औसत लागत पर |
| 3 | माल जो रास्ते में और निरीक्षण के अंतर्गत हैं | अधिग्रहित लागत पर |
| 4 | सह.उत्पाद | परिवर्तन लागत पर |
| 5 | रद्दी माल | अनुमानित मूल्य पर |

ग. स्टोर एवं स्पेयर्स

स्पेयर्स पार्ट्स एवं स्टैन्ड.बाई उपकरणों को माल सूची के रूप में वर्गीकत किया जाता हैए यदि वे उत्पादन या माल की आपूर्ति में इस्तेमाल किया जाते हों तो। लूज़ टूल्स को जारी करने के वर्ष में बट्टे खाते में डाल दिया जाता है। पाँच साल तक अचलायमान स्टोर्स स्पेयर्स के लिए अचलायमान का प्रावधान वित सृजित किया जाता है, केवल कैपिटल स्टोर्स एवं इंश्योरेंस स्पेयर्स को छोड़कर। अप्रचलित घोषित सामग्री को आवश्यक निपटान के लिए अलग किया जाता है और उसके बही मूल्य को लिखा जाता है। निपटान के बाद वसूले गये मूल्य को आय में क्रेडिट कर दिया जाता है।

## 2.15 नकद और नकद समकक्ष

नकदी प्रवाह के विवरण में प्रस्तुति के लिएए नकदी और नकद समकक्ष में शामिल होते हैं हाथ में नकद, बैंक में नकद, अल्पावधिक अत्यंत तरल निवेश, जिनकी मूल परिपक्वता अधिग्रहण की तिथि से तीन माह या उससे कम हो और जो नकद की ज्ञात राशि में आसानी से परिवर्तनीय हों और जो मूल्य एवं बैंक ड्राफ्ट में साधारण जोखिम परिवर्तन के अधीन हों। बैंक ओवरड्राट को बैलेंस शीट में वर्तमान देनदारियों के भीतर उधार के भीतर दिखाया जाता है।

## 2.16 कराधान

आयकर व्यय जंग वर्तमान और स्थगित कर के योग को निरूपित करता है। कर को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती हैए सिवाय उस स्थिति में जिसमें वह सीधे इक्विटी या अन्य विस्तृत आय से संबंधित हो।

क. वर्तमान आयकर

वर्तमान कर आयकर अधिनियमए 1961 के तहत वर्ष के लिए कर योग्य लाभ पर आधारित है।

ख. आस्थगित कर

आस्थगित कर को कंपनी के वित्तीय विवरणों में संपत्तियों और देनदारियों की आगे ले जानेवाली राशियों एवं कर. योग्य लाभ की गणना में इस्तेमाल किये गये संबंधित कर आधारों जंग के बीच के अस्थायी अंतर के आधार पर मान्य किया जाता है और इसका लेखांकन बैलेंस शीट देनदारी विधि से किया जाता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों जंग को आम तौर पर पर सभी घटाने.योग्य अस्थायी अंतरों, अप्रयुक्त कर हानि जंग एवं अप्रयुक्त कर क्रेडिट जंग के लिए मान्य किया जाता है, उस हद तक कि यह संभावना रहे कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध हो गए जिसके विरुद्ध ऐसे घटाने योग्य अस्थायी अंतर, अप्रयुक्त कर हानि एवं अप्रयुक्त कर क्रेडिट का इस्तेमाल किया जा सकता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों की बकाया राशि की समीक्षा प्रत्येक बैलेंस शीट की तिथि को की जाती है और यह इस हद तक घटायी जाती है कि यह संभावना ही न रहे कि पर्याप्त कर योग्य मुनाफा उपलब्ध हो और उसके विरुद्ध

अस्थायी अंतर का उपयोग किया जा सके।

बकाया कर संपत्ति और देनदारियों को उन कर दरों पर मापा जाता हैए जिनकी उस अवधि में लागू होने की उम्मीद की जाती हैए जिसमें देयता का निपटारा होता है या परिसंपत्ति की वसूली होती हैए और यह उन कर दरों (और कर कानून) के आधार पर किया जाता है जो बैलेंश शीट तिथि तक लागू लागू की गयी हों।

न्यूनतम वैकल्पिक कर क्रेडिट को आस्थगित कर संपत्ति जंग के रूप में मान्य किया जाता है, केवल तभी और उसी हद तकए जब इस बात का स्पष्ट प्रमाण हो कि कंपनी निर्दिष्ट अवधि के दौरान सामान्य आयकर का भुगतान करेगी। इस तरह की परिसंपत्ति की समीक्षा प्रत्येक बैलेंस शीट की तारीख़ को की जाती है और परिसंपत्ति की आगे ले जानेवाली राशि घटा दी जाती है, उस हद तक जिसमें इस बात का ठोस सबूत न हो कि कंपनी निर्दिष्ट अवधि के दौरान सामान्य आयकर का भुगतान करेगी।

### 2.17 आय को मान्य करना

कंपनी आय को मान्य तब करती है जब आय की राशि को भरोसेमंद रूप से मापा जा सकता हो, यह संभव है कि इकाई को भावी आर्थिक लाभ मिलेगा,यानी, जब यूरेनियम सांद्र भारत सरकार को सौंपा जाएगा।

बाई.प्रोडक्ट्स की बिक्री से प्राप्त आय को प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल (एक्साइज ड्यूटी समेत) रिटर्न और भत्तेए ट्रेड छूट और वॉल्यूम रिबेट्स के शुद्ध जोड़ पर मान्य किया जाता है।

### 2.18 उधार लेने की लागत

उधार लेने की लागतए जिसे सीधे तौर पर योग्य परिसंपत्तियों के अधिग्रहण या निर्माण से जोड़ा जा सकता हैए को ऐसी परिसंपत्तियों की लागत के हिस्से के रूप में पूँजीकृत किया जा सकता है (कोष को अस्थायी रूप से इस्तेमाल करने से हुई शुद्ध आय), तबतक जबतक वे परिसंपत्तियाँ अपने इच्छित उद्देश्य से इस्तेमाल को तैयार न हों। योग्य परिसंपत्तियाँ वैसी परिसंपत्तियाँ ह, जो अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने में अनिवार्य रूप से अच्छा–खासा समय लेती हैं।

अन्य सभी ऋण लागतों को उस अवधि के लाभ और हानि विवरण में मान्य किया जाता है, जिसमें उन्हें वहन किया गया है।

### 2.19 कर्मचारी लाभ

क. अल्पावधि लाभ

सभी अल्पकालिक कर्मचारी लाभ उस वर्ष के लाभ व हानि विवरण में मान्य किये जाते हैंए जिसमें उनसे संबंधित सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

ख. यात्रा अवकाश छूट लाभ

यात्रा अवकाश छूट को वर्ष के लाभ व हानि विवरण में एक्चुएरियल वैल्यूएशन के आधार पर शामिल किया जाता है।

ग. अवकाश नकदीकरण लाभ

अर्जित अवकाशएवं बीमारी के अवकाश की देनदारी का निपटान कर्मचारी द्वारा संबंधित सेवा दिये जाने की अवधि की समाप्ति के 12 महीनों के अंदर किये जाने की आशा नहीं की जाती। इसलिए उन्हें भविष्य में होने वाले वैसे भावी भुगतानों के वर्तमान मान के रूप में मापा जाता है, जो कर्मचारी द्वारा रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट विधि का उपयोग करते हुए किये जाएँगे। लाभों को, रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, सरकारी प्रतिभूतियो, जो संबंधित दायित्व की शर्तों के निकट होती ह, पर प्राप्त मार्केट ईल्ड का इस्तेमाल करते हुए डिस्काउंट किया जाता है। अनुभव समायोजन और बीमांकिक मूल्यांकन में परिवर्तन की वजह से की जानेवाली पुनर्माप को अन्य विस्तृत आय में मान्य किया जाता है।

दायित्वों को बैलेंस शीट में वर्तमान देनदारियों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, यदि इकाई को रिपोर्टिंग अवधि के कम से कम 12 महीने बाद तक निपटान को आस्थगित करने का बेशर्त अधिकार न हो, और इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वास्तविक निपटान कब होने की उम्मीद है।

घ. नियोजन पश्चात लाभ एवं अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ :

कंपनी निम्नलिखित सेवा–अवधि के बाद की योजनाओं को संचालित करती हैः–

I) परिभाषित लाभ योजनाएं जैसे कि ग्रेच्युटी, नियोजन पश्चात चिकित्सा लाभ

i) **ग्रैच्युटी दायित्व**

परिभाषित लाभ सेवानिवृत्ति योजनाओं के लिए, लाभ प्रदान करने की लागत का निर्धारण प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट विधि से किया जाता है और एक्चुएरियल वैल्यूएशन प्रत्येक वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में किये जाते हैं।

परिभाषित लाभ ग्रैच्युइटी योजनाओं के संबंध में बैलेंस शीट में मान्य की गयी देनदारी या परिसंपत्ति, रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य घटाव योजना की संपत्तियों के उचित मूल्य के बराबर होती है।

परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य का निर्धारण अनुमानित भावी कैश आउटफ्लो को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, सरकारी बौंड, जो संबंधित दायित्व की शर्तों के निकट होती हैं, पर प्राप्त मार्केट ईल्ड के संदर्भ में डिस्काउंट किया जाता है।

शुद्ध ब्याज लागत की गणना परिभाषित लाभ दायित्व एवं

योजना संपत्तियों के उचित मूल्य के शुद्ध शेष पर डिस्काउंट रेट को लागू करते हुए की जाती है। यह लागत लाभ व हानि विवरण के कर्मचारी लाभ व्यय में शामिल की जाती है।

एक्चुएरियल मान्यताओं में बदलाव से उत्पन्न पुनर्माप संबंधी लाभ और हानि को उस अवधि में मान्य किया जाता है, जिसमें वे उत्पन्न होती है, वह भी सीधे अन्य विस्तृत आय में। उन्हें इक्विटी में परिवर्तन विवरण में प्रतिधारित आय में शामिल किया जाता है। योजना समायोजन या कटौती से उत्पन्न परिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य में हुए परिवर्तन को लाभ और हानि के विवरण में तुरंत ही पिछली सेवा लागत के रूप में मान्य किया जाता है।

ii) **सेवा.अवधि के बाद के चिकित्सा लाभ**

इन लाभों की अपेक्षित लागत कर्मचारी की सेवा.अवधि के दौरान संचित होती है और इसके लिए उसी लेखांकन पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है जिसका परिभाषित लाभ योजनाओं के लिए किया जाता है। एक्चुएरियल मान्यताओं में बदलाव से उत्पन्न पुनर्माप संबंधी लाभ और हानि को अन्य विस्तृत आय में चार्ज या क्रेडिट किया जाता है, उस अवधि में, जिसमें वे उत्पन्न होती हैं।

II) परिभाषित अंशदान योजनाएं जैसे प्रोविडेंट फंड, सुपरएनुएशन फंड

प्रोविडेंट फंड में कंपनी का योगदान बढ़ोतरी आधार पर लाभ व हानि विवरण में शामिल किया जाता है।

सुपरएन्यूएशन फंड में योगदान कंपनी की नीतियों के मुताबिक किया जाता है और भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ वित्त पोषित होता है और उस वर्ष में लाभ व हानि विवरण में शामिल किया जाता है, जिसमें योगदान(प्रीमियम) देय होता है।

### 2.20 अनुसंधान और विकास व्यय

पूंजीगत वस्तुओं से संबंधित व्यय विशिष्ट संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में शामिल किये जाते हैं और इन्हें लागू दरों पर अवमूल्यित किया जाता है। रेवेन्यू व्ययको उस वर्ष के लाभ व हानि विवरण में शामिल किया जाता है, जिसमें वह खर्च किया जाता है।

### 2.21 प्रीपेड खर्चे

प्रीपेड खर्च को केवल वहीं लेखांकित किया जाता है, जहाँ अव्यतीत अवधि से संबंधित राशियाँ प्रत्येक मामले में 50,000 से ज्यादा हों।

### 2.22 स्ट्रिपिंग एक्टिविटी व्ययध्समायोजन

खदान के विकास चरण के दौरान अयस्क निकायके विकास पर हुए स्ट्रिपिंग व्ययका पूँजीकरण किया जाता है, जबकि उत्पादन चरण के दौरान इसे लाभ व हानि विवरणमें शामिल किया जाता है।

### 2.23 दावाहीन दायित्व

जॉब/अनुबंध पूरा करने के बाद, पाँच वर्षों से ज्यादा अवधि से बकाया अनक्लेम्ड कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, अग्रिम राशिध सुरक्षा जमाध कॉशन मनी को समीक्षा के बाद विविध आयमें स्थानांतरित कर दिया जाएगा। यदि दावा न किया गया क्रेडिट बैलेंस संविदा मूल्य की वजह से प्रोजेक्ट से संबंधित है, या अब कंपनी की देनदारियों के रूप में नहीं माना जाता, तो उसे पहचानी गयी प्रासंगिक संपत्तियों की लागत में समायोजित किया जाता है। ऐसी मदका विवरण रखा जाएगा। बाद में, रिफंड के मामले में, समीक्षा के बाद रिफंड के वर्ष में, उसे विविध खर्च में डेबिट किया जाएगा।

### 2.24 प्रावधान और आकस्मिकताएँ

i प्रावधान

प्रावधानों को तब मान्य किया जाता है जब किसी पूर्व घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्वों से संभवतः कंपनी के आर्थिक संसाधनों का बहिर्वाह हो सकता है और राशि का अनुमान विश्वसनीय ढंग से लगाया जा सकता है। समय या बहिर्वाह की राशि अब भी अनिश्चित हो सकती है। प्रावधानों को वर्तमान दायित्व के निपटान के लिए जरूरी अनुमानित व्यय पर मापा जाता है, जो रिपोर्टिंग तिथि पर उपलब्ध सबसे विश्वसनीय सबूतों पर आधारित होता है, और जिसमें मौजूदा दायित्वों को व्यवस्थित करने के लिए जोखिम और अनिश्चितताएँ भी शामिल होती हैं। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर सभी प्रावधानों की समीक्षा की जाती है और वर्तमान सर्वश्रेष्ठ अनुमान को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाता है।

ii आकस्मिक दायित्व

पिछली घटनाओं से उत्पन्न संभावित दायित्वों के संबंध में आकस्मिक देनदारियों को जाहिर किया जाता है, लेकिन उनका अस्तित्व एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की ऐसी घटनाओं के घटित या न घटित होने से पुष्ट होगा, जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं या जहां किसी भी मौजूदा दायित्व को संसाधनों के भविष्य के बहिर्वाह की शर्तों के अनुसार नहीं मापा जा सकता या जहां दायित्व का एक विश्वसनीय अनुमान नहीं तैयार किया जा सकता है।

iii आकस्मिक परिसंपत्ति

आकस्मिक संपत्ति एक संभावित परिसंपत्ति है, जो पिछली घटनाओं की वजह से उत्पन्न होती है और जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक ऐसी अनिश्चित घटना के घटने या न घटने से होती है, जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं होती है।

आकस्मिक संपत्तियों को मान्य नहीं किया जाता है बल्कि जब आर्थिक लाभों का अंतर्प्रवाह संभावित होता है, तब उन्हें नोट्स टु द अकाउंट्स में जाहिर किया जाता है। जब एक

अंतर्प्रवाह लगभग निश्चित होता ह, तब एक परिसंपत्ति को मान्य किया जाता है।

**2.25 सहायता अनुदान**

केन्द्रीय सरकार से पूंजीगत व्यय के लिए प्राप्त सहायता अनुदान, जहां अधिग्रहित संपत्ति का स्वामित्व सरकार में निहित होता है, अनुदान को ऐसी परिसंपत्तियों की लागत में समायोजित किया जाता है।

**2.26 शेयर पूंजी**

साधारण शेयरों को इक्विटी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

**2.27 प्रति शेयर आय**

बेसिक अर्निंग्स प्रति शेयर की गणना, वर्ष के दौरान, शेयरधारकों से संबंधित शुद्ध लाभ एवं वर्ष के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या का इस्तेमाल करते हुए की जाती है।

डाइल्यूटेड अर्निंग्स प्रति शेयर की गणना, वर्ष के दौरान शेयरधारकों से संबंधित शुद्ध लाभ एवं वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों एवं संभावित इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या का इस्तेमाल करते हुए की जाती है, केवल वैसे मामलों को छोड़कर जो एंटी.डाइल्यूटिव हों।

**2.28 पूर्व अवधि समायोजन**

पिछले वर्षों से संबंधित प्रत्येक मामले में ृ50ए000 ध . से ऊपर के आय ध व्यय के मद को, प्रस्तुत की गयी पूर्व की अवधियों, जिनमें त्रुटि हुई, की तुलनात्मक राशि को पुनः घोषित करक, भूतलक्षी तरीके से, या यदि त्रुटि प्रस्तुत की गयी सबसे पहले की अवधि से भी पहले हुई हो तो ओपनिंग बैलेंस शीट को फिर से घोषित करक सुधारा जाता है।

**2.29 महत्वपूर्ण लेखांकन अनुमानए पूर्व धारणा और निर्णय**

कंपनी भविष्य के बारे में अनुमान और धारणाएँ तय करती है। परिणामस्वरूप लेखा अनुमान, परिभाषा के अनुसार, शायद ही कभी संबंधित वास्तविक परिणामों के बराबर होंगे। अनुमानों और पूर्व धारणाओं, जिनकी वजह से, अगले एक वित्तीय वर्ष के अंदर, संपत्ति और देनदारियों की आगे ले जाने वाली राशियों में ठोस समायोजन होने का खासा जोखिम हो, के बारे में निम्नलिखित अनुच्छेदों में चर्चा की गयी है।

अनुमान और अंतर्निहित पूर्वधारणाओं की निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है। लेखा अनुमानों में संशोधन को उस अवधि में मान्य किया जाता है जिसमें वे अनुमान संशोधित किए गए हों और प्रभावित होनेवाली किसी भावी अवधि में।

क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को नुकसान

जब भी घटनाएं या परिस्थितियों में परिवर्तन से यह संकेत मिलता है कि संभव है कि संपत्ति का वहन मूल्य वसूली योग्य न हो, तो कंपनी संभावित हानि के आकलन के लिए अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का मूल्यांकन करती है। एक नुकसान हानि को मान्य किया जाता है, यदि अगर किसी संपत्ति का वहन मूल्य उसके उचित मूल्य के उच्चतम मान में बिक्री लागत व उपयोग किये जा रहे मूल्य को घटाने पर मिलनेवाली राशि से ज्यादा हो।

परिसंपत्ति को कितना नुकसान हुआ है इसका निर्धारण अनिश्चित मामलों पर प्रबंधन के अनुमान से जुड़ा होता है। हालांकि, नुकसान की समीक्षा और गणना उन पूर्व धारणाओं पर आधारित होती हैं, जो कंपनी की व्यावसायिक योजनाओं और दीर्घकालिक निवेश निर्णयों के अनुरूप होती हैं।

ख) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त की उपयोगी आयु

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की अनुमानित उपयोगी आयु कई कारकों पर आधारित होती है, जिसमें अप्रचलन, परिसंपत्ति का उपयोग और अन्य आर्थिक कारकों (जैसे कि ज्ञात तकनीकी प्रगति) के प्रभाव शामिल हैं।

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख के अंत में और अमूर्त की उपयोगी आयु की समीक्षा करती है।

ग) खदान पुनरुद्धार दायित्व

अनुमान केवल तभी तैयार किया जाता है, जब कंपनी का कोई वर्तमान दायित्व हो, और यह संभावित हो कि भविष्य की तारीख में पुनर्वास ध पुनर्स्थापना लागत का खर्च उठाना पड़ेगा। किसी दायित्व का अस्तित्व तब होता है, जब पुनर्वास ध पुनर्स्थापना करने के सिवाय और कोई वास्तविक विकल्प न हो या जब इकाई पर्यावरण को पहुँचे नुकसान में सुधार करने या पर्यावरण को पुनर्बहाल करने हेतु कानूनी या रचनात्मक रूप से बाध्य हो।

द) आयकर

आयकरों के प्रावधान का निर्धारण करने के लिए एक अच्छी निर्णय प्रक्रिया जरूरी होती है। कई ऐसे लेन–देन और गणनाएं हैं, जिनके लिए सामान्य व्यवसाय के दौरान अंतिम रूप से कर का निर्धारण अनिश्चित होता है। कंपनी अनुमानित कर से संबंधित मसलों की देयताओं को अतिरिक्त कर देय होंगे या नहीं इस पर आधारित अनुमान पर मान्य करती है। जहां इन मामलों का अंतिम कर परिणाम शुरू में दर्ज की गई राशि से अलग होता है, उनमें ऐसे अंतर का आयकर और आस्थगित कर प्रावधानों पर उस अवधि में प्रभाव पड़ता है , जिसमें इसका निर्धारण किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, संचित हानि पर आस्थगित कर की विश्वसनीयता की संभावना, न्यूनतम वैकल्पिक कर और अस्थायी अंतरों का मूल्यांकन रिपोर्टिंग तिथि तक उपलब्ध विभिन्न कारकों के आधार पर किया जाता है। उन कारकों में किसी भी प्रकार का बदलाव आयकर और स्थगित कर प्रावधानों को उस अवधि में प्रभावित करेगा जिसमें ऐसा निर्धारण किया गया है।

## 3. सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

(लाख ₹ में)

| विवरण | स्वतंत्र भूमि | लीजवाली भूमि | फैक्ट्री भवन | प्रशासनिक एवं अन्य भवन | संयंत्र एवं मशीनरी (स्वामित्व) | विद्युत सस्थापन | ऑपेनकॉस्ट माइन | फर्नीचर एवं फिक्सचर | उपकरण | वाहन | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 अप्रैल 2015 को (विचारित लागत) | 4,641.62 | 221.52 | 14,784.22 | 7,174.83 | 25,216.06 | 9,356.19 | 8,415.19 | 203.75 | 279.18 | 243.10 | 70,535.67 |
| जोड़ा | - | 25.02 | 1,461.15 | 20.95 | 4,607.63 | 451.47 | - | 68.87 | 70.47 | 2.57 | 6,708.13 |
| 31 मार्च 2016 को | 4,641.62 | 246.54 | 16,245.37 | 7,195.78 | 29,823.69 | 9,807.66 | 8,415.19 | 272.62 | 349.65 | 245.67 | 77,243.80 |
| जोड़ा | 788.32 | - | 15,807.14 | 817.86 | 1,33,863.45 | 9,924.19 | - | 18.24 | 220.16 | 15.93 | 1,61,455.28 |
| **31 मार्च 2017 को** | **5,429.94** | **246.54** | **32,052.51** | **8,013.64** | **1,63,687.12** | **19,731.85** | **8,415.19** | **290.86** | **569.81** | **261.60** | **2,38,699.06** |
| **संचित अवमूल्यन एवं हानि** | | | | | | | | | | | |
| **01 अप्रैल 2015 को** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रभार | - | 45.67 | 855.70 | 190.30 | 5,669.65 | 1,063.41 | 608.33 | 51.26 | 77.83 | 60.42 | 8,622.57 |
| **31 मार्च 2016 को** | - | 45.67 | 855.70 | 190.30 | 5,669.65 | 1,063.41 | 608.33 | 51.26 | 77.83 | 60.42 | 8,622.57 |
| वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रभार | - | 17.46 | 1,008.04 | 193.51 | 9,721.76 | 1,235.48 | 608.33 | 48.37 | 86.95 | 59.60 | 12,979.49 |
| **31 मार्च 2017 को** | **-** | **63.13** | **1,863.74** | **383.81** | **15,391.41** | **2,298.89** | **1,216.66** | **99.63** | **164.78** | **120.02** | **21,602.06** |
| शुद्ध बुक वेल्यू | | | | | | | | | | | |
| **31 मार्च 2017 को** | **5,429.94** | **183.41** | **30,188.78** | **7,629.83** | **1,48,295.72** | **17,432.96** | **7,198.53** | **191.23** | **405.03** | **141.58** | **2,17,097.00** |
| **31 मार्च 2016 का** | **4,641.62** | **200.87** | **15,389.67** | **7,005.48** | **24,154.04** | **8,744.25** | **7,806.86** | **221.36** | **271.82** | **185.25** | **68,621.23** |
| **01 अप्रैल 2015 को** | **4,641.62** | **221.52** | **14,784.22** | **7,174.83** | **25,216.06** | **9,356.19** | **8,415.19** | **203.75** | **279.18** | **243.10** | **70,535.67** |

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण की टिप्पणी

## 4. पूँजीगत प्रगतिधीन कार्य

(लाख ₹ में)

| विवरण | "पूँजीगत कार्य में प्रगति (संचालन इकाई)" | "पूँजीगत कार्य में प्रगति (चालु परियोजना)" | "पूँजीगत कार्य में प्रगति (पूर्व परियोजना व्यय)" | कुल |
|---|---|---|---|---|
| **लागत और मुल्याकंन** | | | | |
| **1 अप्रैल 2015 को** | **1,92,396.48** | **8,240.98** | **2,706.79** | **2,03,344.25** |
| अतिरिक्त | 19,099.02 | 2,457.28 | 208.73 | 21,765.03 |
| स्थानांतरण | (1,016.33) | (1,536.37) | - | (2,552.70) |
| **1 अप्रैल 2016 को** | **2,10,479.17** | **9,161.89** | **2,915.52** | **2,22,556.58** |
| अतिरिक्त | 222.12 | 6,114.50 | 178.79 | 6,515.41 |
| स्थानांतरण | (2,03,785.09) | (364.76) | (699.03) | (2,04,848.89) |
| **1 अप्रैल 2017 का** | **6,916.20** | **14,911.63** | **2,395.28** | **24,223.10** |

**परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार है :** (लाख ₹ में)

| विवरण | 31 मार्च 2017 तक | 31 मार्च 2016 तक | 01 अप्रैल 2015 तक |
|---|---|---|---|
| **परिचालन इकाईयां :** | | | |
| क) जादूगोड़ा माइंस एंड मिल्स | 104.02 | 48.44 | 72.73 |
| ख) नरवापहाड़ माइन | - | - | 4.86 |
| ग) तुरामडीह माइन | 209.80 | 156.18 | 909.02 |
| घ) बागजाता माइन | 4,221.39 | 4,221.39 | 4,221.39 |
| ड़) तुरामडीह मिल | 69.41 | 34.01 | 261.07 |
| च) बंदुहुरांग माइन | 52.13 | 27.86 | 35.14 |
| छ) मोहुलडीह माइन | 948.92 | 895.67 | 713.31 |
| ज) तुमलापल्ले माइन एंड मिल्स | 1,310.53 | 2,05,095.62 | 1,86,178.96 |
| | 6,916.20 | 2,10,479.17 | 1,92,396.48 |
| **चालू परियोजनाएँ :** | | | a |
| क) तुरामडीह माइन विस्तारीकरण परियोजना | - | - | 1,376.73 |
| ख) तुरामडीह मिल्स विस्तारीकरण परियोजना | 4,596.85 | 4,594.48 | 4,587.24 |
| ग) तुरामडीह मैगनेटाइट प्लांट प्रोजेक्ट | 1,537.66 | 308.93 | 119.13 |
| घ) तुरामडीह पैरॉक्साइट प्लांट प्रोजेक्ट | 1,262.76 | 655.57 | 490.23 |
| ड़) जादूगोड़ा में टेलिंग पॉण्ड प्रोजेक्ट का चौथा चरण | 4,240.47 | 2,113.81 | 241.75 |
| च) तुरामडीह में टेलिंग पॉण्ड प्रोजेक्ट का दूसरा चरण | 30.05 | 394.81 | 554.45 |
| छ) संचालन के डीबॉटलिनेक्लिंग | 1,682.95 | 21.96 | 2.00 |
| ज) भाटिन माइन आधुनिकीकरण परियोजना | 1,560.89 | 1,072.33 | 869.45 |
| | 14,911.63 | 9,161.89 | 8,240.98 |
| **परियोजना पूर्व व्यय :** | | | |
| क) लांबापुर परियोजना | 794.26 | 758.20 | 750.31 |
| ख) के. पी. एम. परियोजना | 918.07 | 856.50 | 823.46 |
| ग) तुम्मालापल्ले विस्तारीकरण परियोजना | 83.40 | 82.76 | 82.76 |
| घ) गोगी परियोजना | 191.82 | 122.85 | 104.89 |
| ड़) रोहिल परियोजना | 5.70 | 5.70 | 5.33 |
| च) यूरेनियम रिकवरी प्लांट (मुसाबनी) | 62.71 | 51.15 | 13.42 |
| अधिष्ठापन हेतु लंबित स्टॉक में पूंजी परिसंपत्ति/2.09 लाख रुपये का पारगमन में इस्तेमाल भी शामिल है (पिछले वर्ष : 63.18 लाख रुपये) | 339.33 | 1,038.36 | 926.62 |
| | 2,395.28 | 2,915.52 | 2,706.79 |
| **कुल** | **24,223.10** | **2,22,556.58** | **2,03,344.25** |

चालू परियोजनाओं तथा परियोजना से पूर्व की स्थिति का उल्लेख लेखा पर अतिरिक्त नोट्स के क्रम संख्या 38.5 में किया गया है (नोट–38)

## 5. अमूर्त संपत्ति

(लाख ₹ में)

| विवरण | उत्पाद विकास गतिविधि | वन भूमि का उपयोग करने का अधिकार | कुल |
|---|---|---|---|
| **1 अप्रैल 2015 (डीम्ड की लागत) पर** | **-** | **988.01** | **988.01** |
| **31 मार्च 2016 को** | **-** | **988.01** | **988.01** |
| अतिरिक्त | 14,016.35 | - | 14,016.35 |
| **31 मार्च 2017 को** | **14,016.35** | **988.01** | **15,004.36** |
| **परिशोधन और हानि** | | | |
| 01 अप्रैल 2015 को | - | - | - |
| ऋण मुक्त | - | 63.18 | 63.18 |
| **31 मार्च 2016 को** | **-** | **63.18** | **63.18** |
| ऋण मुक्त | 700.82 | 80.12 | 780.94 |
| **31 मार्च 2017 को** | **700.82** | **143.30** | **844.12** |
| नेट बुक मूल्य | | | |
| **31 मार्च 2017 को** | **13,315.53** | **844.71** | **14,160.24** |
| **31 मार्च 2016 को** | **-** | **924.83** | **924.83** |
| 01 अप्रैल 2015 को | **-** | **988.01** | **988.01** |

वन भूमि का उपयोग करने का अधिकार : 553.24 एकड़ (31.03.2016 : 553.24 एकड़ और 01.04.2015 : 553.24 एकड़) की वन भूमि झारखण्ड सरकार द्वारा विशिष्ट उपयोग के लिए प्राप्त की गई है और झारखण्ड सरकार के स्वमित्व में है।

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण की टिप्पणी

## 6. ऋण

(लाख ₹ में)

| विवरण | 31 मार्च 2017 को | 31 मार्च 2016 को | 31 मार्च 2015 को |
|---|---|---|---|
| **गैर चालू** | | | |
| सुरक्षित, अच्छे विचार | | | |
| – कर्मचारियों को गृह निर्माण अग्रिम | 800.81 | 804.59 | 805.04 |
| – नौकरी अनुबंध के लिए अग्रिम | 391.60 | 765.15 | 1,169.15 |
| असुरक्षित, अच्छे विचार | | | |
| – कर्मचारियों से अग्रिम | 109.59 | 110.33 | 49.97 |
| | **1,302.00** | **1,680.07** | **2,024.16** |
| **चालू** | | | |
| सुरक्षित, अच्छे विचार | | | |
| – कर्मचारियों को गृह निर्माण अग्रिम | 181.33 | 173.86 | 168.03 |
| असुरक्षित, अच्छे विचार | | | |
| – कर्मचारियों से अग्रिम | 209.55 | 302.60 | 288.14 |
| – कर्मचारियों से अन्य प्राप्ति | 80.81 | 77.04 | 33.76 |
| – अन्य प्राप्ति | 2,059.16 | 869.61 | 855.37 |
| | **2,530.85** | **1,423.11** | **1,345.30** |

## 7. अन्य गैर मौजूदा परिसंपत्ति

(लाख ₹ में)

| विवरण | 31 मार्च 2017 को | 31 मार्च 2016 को | 31 मार्च 2015 को |
|---|---|---|---|
| पूँजी में वृद्धि (सुरक्षित, अच्छे विचार) | 7.40 | 7.40 | 10.81 |
| | 7.40 | 7.40 | 10.81 |

31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का नोट

## 8. इंवेन्टरीज

(लाख ₹ में)

| विवरण | 31 मार्च 2017 को | 31 मार्च 2016 को | 31 मार्च 2015 को |
|---|---|---|---|
| कच्चा माल | 471.15 | 423.77 | 269.47 |
| कार्य प्रगति पर | 7,295.37 | 1,474.54 | 1,437.66 |
| तैयार माल | | | |
| अयस्क | 39,599.81 | 5,723.20 | 2662.78 |
| बाय प्रोडक्ट | 135.27 | | |
| घटाएं : प्रावधान | (3.25) | 132.02 | 74.24 |
| स्क्रैप | 284.69 | 227.75 | 246.38 |
| भंडार तथा पुर्जे | 3,998.61 | 2,632.23 | 2581.3 |
| अप्रचलित के लिए प्रावधान | (347.72) | -300.48 | -267.68 |
| | 3,650.89 | 2,331.75 | 2,313.62 |
| भंडार तथा पुर्जे – पारगमन में | 306.89 | 262.75 | 379.73 |
| | **51,740.83** | **10,518.00** | **7,337.33** |

## 9. व्यापार प्राप्तियाँ

(लाख ₹ में)

| विवरण | 31 मार्च 2017 को | 31 मार्च 2016 को | 31 मार्च 2015 को |
|---|---|---|---|
| व्यापार से प्राप्तियाँ | 49,097.88 | 23,081.50 | 7,009.70 |
| | 49,097.88 | 23,081.50 | 7,009.70 |
| वर्तमान भाग | 49,097.88 | 23,081.50 | 7,009.70 |
| गैर–वर्तमान भाग | - | - | - |
| **सुरक्षा विवरण के लिए ब्रेक–अप** | | | |
| (अ) सुरक्षित, अच्छा मानना | 49,097.88 | 23,081.50 | 7,009.70 |
| (ब) असुरक्षित, अच्छा मानना | - | - | - |
| | **49,097.88** | **23,081.50** | **7,009.70** |

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण की टिप्पणी

31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का नोट

## 10. नकद एवं नकद समकक्ष

(लाख ₹ में)

| विवरण | 31 मार्च 2017 को | 31 मार्च 2016 को | 31 मार्च 2015 को |
|---|---|---|---|
| उपलब्ध नकद (अग्रदाय नकद एवं स्टाम्प भी शामिल है) | 13.65 | 14.26 | 14.99 |
| बैंकों के पास जमा राशियाँ | | | |
| – चालू खाता में | 2,225.29 | 3,084.45 | 3,003.33 |
| – तीन महीने के भीतर मेच्योरिटी के साथ जमा राशि (धारणाधिकार के बिना) | 108.36 | 99.50 | 1,800.00 |
| – तीन महीने के भीतर मेच्योरिटी के साथ जमा राशि (धारणाधिकार के साथ) | - | - | 4,315.69 |
| | **2,347.30** | **3,198.21** | **9,134.01** |

* औवरड्राफ्ट और क्रेडिट के पत्र के विरूद्ध धारणाधिकार के रूप में आयोजित

## 11. नकद और नकद समकक्षों के अलावा बैंक अधिशेष राशि

(लाख ₹ में)

| विवरण | 31 मार्च 2017 को | 31 मार्च 2016 को | 31 मार्च 2015 को |
|---|---|---|---|
| 3 महीने के अधिक, पर 12 महीने से कम (धारणाधिकार के बिना) जमा के साथ परिपक्वता | 128.71 | 119.50 | 1.45 |
| | **128.71** | **119.50** | **1.45** |

## 12. मौजूदा कर (शुद्ध)

(लाख ₹ में)

| विवरण | 31 मार्च 2017 को | 31 मार्च 2016 को | 31 मार्च 2015 को |
|---|---|---|---|
| कर के लिए अग्रिम | 2,216.15 | 5,944.33 | 3,194.41 |
| घटाया : कर के लिए प्रावधान | (4,492.00) | (5,904.92) | (1,226.33) |
| मौजूदा कर संम्पत्ति / (दायित्व) | (2,275.85) | 39.41 | 1,968.08 |

31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का नोट

## 13. अन्य वित्तीय संम्पत्ति

(लाख ₹ में)

| विवरण | 31 मार्च 2017 को | 31 मार्च 2016 को | 31 मार्च 2015 को |
|---|---|---|---|
| **गैर मौजूदा** | | | |
| सुरक्षा जमा राशि | 584.99 | 584.97 | 478.52 |
| 12 महीने की परिपक्वता से अधिक वाले बैंक जमा | - | 1.88 | - |
| | **584.99** | **586.85** | **478.52** |
| **मौजूदा** | | | |
| अर्जित संम्पत्ति | | | |
| – बैंकों से | 13.63 | 13.38 | 101.26 |
| – कर्मचारियों से | 712.50 | 657.53 | 613.63 |
| – अन्य से | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| | **726.90** | **671.68** | **715.66** |

## 14. अन्य मौजूदा संम्पत्ति

(लाख ₹ में)

| विवरण | 31 मार्च 2017 को | 31 मार्च 2016 को | 31 मार्च 2015 को |
|---|---|---|---|
| पूर्वदत्त व्यय | 36.00 | 29.32 | 35.95 |
| अग्रिम (असुरक्षित) | | | |
| – अपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम | | | |
| क) अच्छा माना गया | 708.65 | 709.58 | 603.92 |
| ख) संदिग्ध माना गया | 2.33 | 2.33 | 2.33 |
| | 710.98 | 711.91 | 606.25 |
| घटाया : संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ता | 2.33 | 2.33 | 2.33 |
| | 708.65 | 709.58 | 603.92 |
| ठेकेदारों, सरकारी विभागों इत्यादि को अग्रिम | 2253.43 | 1867.91 | 1,229.85 |
| | 2,998.07 | 2,606.81 | 1,869.72 |

2007–2008 में झारखण्ड सरकार के जिला पदाधिकारी के पास 165.63 लाख रुपये के मैग्नेटाइट डिपॉजिट पर लेखे का राजस्व जिसमें ठेकेदार, सरकारी विभाग सहित अग्रिम है, विरोध के तहत जमा किया है, जिसके विरूद्ध विवाद न्यायालय में विचाराधीन है।

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण की टिप्पणी

31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का नोट

## 15. शेयर पूँजी

**क) अधिकृत शेयर पूँजी**

(लाख ₹ में)

| विवरण | इक्विटी शेयर | |
|---|---|---|
| | संख्या | ₹ |
| 01 अप्रैल 2015 को | 250.00 | 2,50,000.00 |
| वर्ष के दौरान वृद्धि / (ह्रास) | - | - |
| 31 मार्च 2016 को | 250.00 | 2,50,000.00 |
| वर्ष के दौरान वृद्धि / (ह्रास) | 100.00 | 1,00,000.00 |
| 31 मार्च 2017 को | 350.00 | 3,50,000.00 |

**ख) इक्विटी शेयर से जुड़े नियम / अधिकार**

कम्पनी के पास केवल एक ही वर्ग के इक्विटी शेयर है, जिसका प्रति शेयर एकसमान मूल्य ₹1000 है। प्रति शेयरधारक प्रति शेयर एक वोट के पात्र होते है। निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारक के अनुमोदन के अधीन होता है, अंतरिम लाभांश के मामलो को छोड़कर।

**ग) जारी इक्विटी पूँजी**

(लाख ₹ में)

| विवरण | संख्या | ₹ |
|---|---|---|
| **I.** प्रत्येक ₹1000 के 100,000 इक्विटी शेयर (के हद तक का भुगतान नकद के अलावा ₹ 581 और प्रत्येक ₹ 419 नकद में) | | |
| **01 अप्रैल 2015 को** | **1.00** | **1,000.00** |
| अवधि के दौरान परिवर्तन | - | - |
| **31 मार्च 2016 को** | 1.00 | 1,000.00 |
| अवधि के दौरान परिवर्तन | - | - |
| **31 मार्च 2017 को** | **1.00** | **1,000.00** |
| **II.** 1,853 (31.03.2016 : 1,853 एवं 01.04.2015 : 1,853) प्रत्येक ₹1000 के इक्विटी शेयर को पूरी तरह चुकता भुगतान के रुप में नकदी के अलावा अन्य प्रयोजन के लिए आवंटित किया गया | | |
| **01 अप्रैल 2015 को** | **0.02** | **18.53** |
| अवधि के दौरान परिवर्तन | - | - |
| **31 मार्च 2016 को** | 0.02 | 18.53 |
| अवधि के दौरान परिवर्तन | - | - |
| **31 मार्च 2017 को** | **0.02** | **18.53** |
| **III.** 16,054,325 (31.03.2016 : 15,544,325 एवं 01.04.2015 : 15,294,325) प्रत्येक ₹1000 के इक्विटी शेयर नकद मे पूर्ण भुगतान किया गया | | |
| **01 अप्रैल 2015 को** | **152.94** | **1,52,943.25** |
| अवधि के दौरान परिवर्तन | 2.50 | 2,500.00 |
| **31 मार्च 2016 को** | **155.44** | **1,55,443.25** |
| अवधि के दौरान परिवर्तन | 5.10 | 5,100.00 |
| **31 मार्च 2017 को** | 160.54 | 1,60,543.25 |
| **कुल** | | |
| **01 अप्रैल 2015 को** | 153.96 | 1,53,961.78 |
| **31 मार्च 2016 को** | 156.46 | 1,56,461.78 |
| **31 मार्च 2017 को** | **161.56** | **1,61,561.78** |

**घ) कम्पनी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों का विवरण**

इक्विटी शेयर का 16,156,178 नम्बर (31.03.2016 : 15,646,178 एवं 01.04.2015 : 15,396,178) (% आरक्षित – 100%) भारत के राष्ट्रपति द्वारा आरक्षित रखा गया है।

## 16. अन्य इक्विटी

(लाख ₹ में)

| विवरण | लंबित शेयर आवेदन राशि का आंवंटन | सामान्य रिजर्व | प्रतिधारित आमद | कुल |
|---|---|---|---|---|
| 01 अप्रैल 2015 को | 1,900.00 | 11,272.03 | 24,957.88 | 38,129.91 |
| वर्ष के लिए लाभ | - | - | 9,984.36 | 9,984.36 |
| वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय | - | - | 225.63 | 225.63 |
| शेयरों को निर्गमन | (1,900.00) | - | - | (1,900.00) |
| प्राप्त शेयर आवेदन की राशि | 2,600.00 | - | - | 2,600.00 |
| लाभांश दिया गया | - | - | (164.00) | (164.00) |
| लाभांश वितरण कर | - | - | (33.39) | (33.39) |
| प्रतिधारित आमद से स्थांतरित | - | 3,064.00 | - | 3,064.00 |
| सामान्य रिजर्व में हस्थांतरण | - | - | (3,064.00) | (3,064.00) |
| **31 मार्च 2016 को** | **2,600.00** | **14,336.03** | **31,906.48** | **48,842.51** |
| वर्ष के लिए लाभ | - | - | 12,793.88 | 12,793.88 |
| वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय | - | - | (175.53) | (175.53) |
| शेयरों को निर्गमन | (2,600.00) | - | - | (2,600.00) |
| लाभांश दिया गया | - | - | (3,064.00) | (3,064.00) |
| लाभांश वितरण कर | - | - | (623.77) | (623.77) |
| अधिशेष से स्थांतरित | - | - | - | - |
| सामान्य रिजर्व में हस्थांतरण | - | - | - | - |
| **31 मार्च 2017 को** | **-** | **14,336.03** | **40,837.06** | **55,173.09** |

## 17. वित्तीय देनदारीयाँ

(लाख ₹ में)

क) मौजूदा उधारी

| विवरण | 31 मार्च 2017 को | 31 मार्च 2016 को | 31 मार्च 2015 को |
|---|---|---|---|
| **सुरक्षित** | | | |
| बैंकों से ऋण (स्थिर जमा राशियों के विरूद्ध अधिविकर्ष) | - | - | 3,935.93 |
| **असुरक्षित** | | | |
| बैंकों से ऋण | 54,022.18 | 59,090.74 | 47,500.45 |
| अन्य संस्थाओं से ऋण | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| | **64,022.18** | **69,090.74** | **61,436.38** |

***असुरक्षित उधारियों का विवरण**

(लाख ₹ में)

| बैंकों/संस्थाओं के नाम | ऋण की प्रकृति | ऋण की सीमा | 31.03.2017 को उपभुक्त ऋण | ब्याज की दर |
|---|---|---|---|---|
| एस. बी. आई., जादुगोड़ा | कैश क्रेडिट | 65,000.00 | 54,022.18 | 8.00% |
| न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड | ऋण | 10,000.00 | 10,000.00 | 9.56% |
| | | | **64,022.18** | |

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण की टिप्पणी

## 17. वित्तीय देनदारीयाँ (क्रमशः)

ख) व्यापार देयताएँ (लाख ₹ में)

| विवरण | 31 मार्च 2017 को | 31 मार्च 2016 को | 31 मार्च 2015 को |
|---|---|---|---|
| विविध लेनदार | | | |
| – एस एस आए अंडरटेकिंग | 3.09 | 9.36 | 33.30 |
| – अन्य | 5,418.69 | 4,948.14 | 5,156.75 |
| कुल | 5,421.78 | 4,957.50 | 5,190.05 |

सुक्ष्म, छोटे और मध्यम उद्यमों से संबंधित प्रकटीकरण (लाख ₹ में)

| विवरण | 31 मार्च 2017 को | 31 मार्च 2016 को | 31 मार्च 2015 को |
|---|---|---|---|
| वर्ष के अन्त में प्रमुख बकाया राशि | 115.66 | 154.73 | 482.90 |
| वर्ष के अन्त में व्याज की राशि | 3.09 | 9.36 | 25.02 |
| वर्ष के दौरान नियत तारीख से परे आपूर्तिकर्ताओं को मूल राशि का भुगतान किया गया | 213.28 | 853.79 | 3,184.97 |
| वर्ष के दौरान नियत तारीख से परे आपूर्तिकर्ताओं एमएसएमइडी अधिनियम की धारा 16 से इत्तर व्याज की राशि प्रदान की गई | - | - | - |
| वर्ष के दौरान नियत तारीख से परे एमएसएमइडी अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत आपूर्तिकर्ताओं व्याज की राशि प्रदान की गई | 9.36 | 33.30 | - |
| भुगतान के लिए आपूर्तिकर्ताओं को बकाया ब्याज और देय राशि पहले ही दे दी गई थी | 3.09 | 9.36 | 25.02 |
| पिछले वर्षो के लिए बाकी बकाया ब्याज और देयता | - | 9.36 | 33.30 |

सुक्ष्म, छोटे और मध्यम उद्यमों से संबंधित प्रकटीकरण संबंधित आपूर्तिकर्ताओं से उपलब्ध की गई जानकारी के अनुसार किया गया है।

ग) अन्य वित्तीय देनदारियाँ (लाख ₹ में)

| विवरण | 31 मार्च 2017 को | 31 मार्च 2016 को | 31 मार्च 2015 को |
|---|---|---|---|
| गैर मौजूदा | | | |
| ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओं की देनदारी | 948.21 | 1,031.71 | 1,027.54 |
| | 948.21 | 1,031.71 | 1,027.54 |
| मौजूदा | | | |
| ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओं की देनदारी | 38,859.17 | 21,249.08 | 19,469.01 |
| कर्मचारी और एसीइएस की देनदारी | 7,961.47 | 9,370.77 | 6,048.02 |
| सरकारी संस्थानों की देनदारी (टिप्पणी संख्या ( i) एवं (ii) का संदर्भ लें) | 9,678.80 | 8,471.61 | 4,593.41 |
| अन्य खर्चों की देनदारी | 234.26 | 252.44 | 217.88 |
| बुक ओवरड्रॉफ्ट | 18.54 | 986.31 | - |
| | 56,752.24 | 40,330.21 | 30,328.32 |

नोट

(i) वर्ष 1996 में कम्परी ने बन्द तुरामडीह परियोजना की परिसम्पत्ति को सेंट्रल रिजर्व पुलिस (सीआरपीएफ) को ₹ 2322 लाख की राशि का हस्तांतरण किया था। तुरामडीह खान के पुनः खुलने पर परिसम्पत्तियों को वापस ले लिया । सीआरपीएफ द्वारा लिये गये ₹ 3467 की राशि के कुल दावे के विरूद्ध ₹ 2500 लाख का भुगतान किया जा चुका है और शेष ₹ 967 लाख अंतिम लंबित लेखा भुगतान में प्रावधित किया गया।

(ii) भारत सरकार का ₹1110.60 लाख (31.03.2016 : ₹1,111.60 लाख एवं 01.04.2015 : ₹ 1,110.60 लाख) जो बन्द तुरामडीह परियोजना की जमीन एवं अन्य परिसम्पत्तियाछ है, का इस्तेमाल कम्पनी कर रही है। भारत सरकार द्वारा सूचित मुलय आधारित राशि ₹1110.60 लाख, पिछले वर्ष ₹ 1110.60 लाख का प्रावधान लेखे में किया गया है।

## 18. प्रावधान

(लाख ₹ में)

| विवरण | 31 मार्च 2017 तक | | 31 मार्च 2016 तक | | 31 मार्च 2015 तक | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | गैर मौजूदा | मौजूदा | गैर मौजूदा | मौजूदा | गैर मौजूदा | मौजूदा |
| **कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान** | | | | | | |
| – ग्रेच्युटी | - | 561.31 | - | 104.08 | - | 1,802.39 |
| – छुट्टी नकदीकरण | 5,232.98 | 303.93 | 3,795.43 | 230.58 | 3,850.95 | 252.42 |
| – सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ | 495.22 | 10.22 | 394.22 | 7.94 | 359.05 | 6.46 |
| – छुट्टी यात्रा रियायत | 263.92 | 30.17 | 202.20 | 89.37 | 173.05 | 120.16 |
| | **5,992.12** | **905.63** | **4,391.85** | **431.97** | **4,383.05** | **2,181.43** |
| अन्य के लिए प्रावधान | | | | | | |
| – खान बंद करने की बाध्यता | 654.44 | - | 605.27 | - | 561.66 | - |
| – बिक्री कर एवं उत्पाद शुल्क | - | - | - | - | - | 61.97 |
| – सीआईएसएफ का बकाया | - | 16.21 | - | 53.51 | - | - |
| – अन्य | - | 5.19 | - | 5.19 | - | 3.52 |
| | 654.44 | 21.40 | 605.27 | 58.70 | 561.66 | 65.49 |
| **कुल प्रावधान** | **6,646.56** | **927.03** | **4,997.12** | **490.67** | **4,944.71** | **2,246.92** |

## 19. आस्थगित कर देयता (शुद्ध)

(लाख ₹ में)

| विवरण | 31 मार्च 2017 को | 31 मार्च 2016 को | 31 मार्च 2015 को |
|---|---|---|---|
| आस्थगित कर देयता | | | |
| सम्पत्ति, संयत्रं एवं उपकरण तथा अमूर्तसम्पत्तियों से संबंधित | 14,796.02 | 7,534.31 | 7,790.73 |
| | 14,796.02 | 7,534.31 | 7,790.73 |
| आस्थगित कर देयता | | | |
| अप्रचलित स्टोर के लिए प्रावधान | 120.34 | 103.99 | 90.98 |
| अवकाश वेतन के लिए प्रावधान | 1,787.99 | 1,303.71 | 1,304.38 |
| खदान बंद करने की बाध्यता के लिए प्रावधान | 226.49 | 209.47 | 190.91 |
| राजस्व पर लगाया गया पूर्वप्रदत्त व्यय | 2.03 | 2.00 | 1.84 |
| सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ के लिए प्रावधान | 155.04 | 119.30 | 106.97 |
| कर्मचारियों के अवकाश यात्रा रियायत के लिए प्रावधान | 91.28 | 90.48 | 89.38 |
| | 2,383.17 | 1,828.95 | 1,784.46 |
| मैट क्रेडिट उपलब्ध | 3,552.17 | - | - |
| **आस्थगित कर देयता (शुद्ध)** | **8,860.68** | **5,705.36** | **6,006.27** |

## 20. अन्य मौजूदा देनदारियाँ

(लाख ₹ में)

| विवरण | 31 मार्च 2017 को | 31 मार्च 2016 को | 31 मार्च 2015 को |
|---|---|---|---|
| केपीएम परियोजना के लिए भारत सरकार से सहायता अनुदान (टिप्पणी संख्या i) एवं ii) का संदर्भ लें) | 754.45 | 754.45 | 754.45 |
| गोगी और रोहिल परियोजना के लिए एएमडी से प्राप्त निधि (टिप्पणी संख्या iii) एवं iv) का संदर्भ लें) | 1962.42 | 2,129.07 | 1,639.07 |
| सरकारी संस्थाओं की देनदारी | 214.97 | 1.29 | 1.16 |
| कर्मचारी एवं एसीइएस की देनदारी | 522.87 | 492.01 | 456.87 |
| वैधानिक बकाया | 901.16 | 750.74 | 639.23 |
| | 4,355.87 | 4,127.57 | 3,490.78 |

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण की टिप्पणी

नोट :

i) मेघालय के केलेंग पेंडेंग सोहियोंग माउथावा खनन एवं मिलिंग परियोजना के ढाँचागत विकास हेतु भारत सरकार से सहायक अनुदान के रूप में कुल ₹4000 लाख (31.03.2016 : ₹ 4000 लाख एवं 01.04.2015 : ₹4000 लाख) प्राप्त हुआ था। कुल ₹4000 लाख में से 3322.03 लाख (31.03.2016 : ₹3322.03 लाख एवं 01.04.2015 : ₹3322.03 लाख) 31.03.2015 तक के.एच.ए.डी.सी को दिया गया था।

ii) उसपर सरकारी अनुदान की बकाया राशि सहित संचयी व्याज की राशि ₹76.49 लाख (31.03.2016 : ₹76.49 लाख एवं 01.04.2015 : ₹76.49 लाख) अर्जित की गई।

iii) राजस्थान के सिकर जिले में रोहिल यूरेनियम डिपोजिट एटोमिक मिनरल्स डाइरेक्टोरेट फोर एक्सप्लोरेशन एण्ड रिसर्च (ए.एम.डी.) द्वारा अन्वेषण के अधीन है। ए.एम.डी. ने रोहिल में खोजी खनन कार्य के लिए यूसिल के साथ समझोता किया है। यूसिल एजेंट के रुप में काम करेगी और स्वामित्व ए.एम.डी. के पास रहेगा। ए.एम.डी. से प्राप्त फंड को किए गए कार्य के साथ समायोजित किया गया है और शेष, यदि कोई हो, तो खातों की बहियों में देयता के रुप में दर्शाया गया है।

iv) अनुसंधान गवेशण हेतु खनन निदेशालय एवं यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (यूसिल) के बीच कर्नाटक के गुलवर्ग जिले में गोगी परियोजना हूतु खनन गवेशण द्वारा संभावित प्रचालन कार्य करने के लिए 06.03.2007 को एक समझौता हुआ था। जिसके लिए निधि ए.एम.डी. द्वारा उपलब्ध कराया गया था। यूसिल एजेंट के रुप में काम करेगी और स्वामित्व ए.एम.डी. के पास रहेगा। ए.एम.डी. से प्राप्त फंड को किए गए कार्य के साथ समायोजित किया गया है और शेष, यदि कोई हो, तो खातों की बहियों में देयता के रुप में दर्शाया गया है।

## 21. परिचालन से राजस्व

(लाख ₹ में)

| विवरण | 31 मार्च 2017 को | 31 मार्च 2016 को |
|---|---|---|
| **उत्पादों की बिक्री** | | |
| परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार द्वारा यूरेनियम कॉस्ट्रेंट के अधिग्रहण के लिए मुआवजा | | |
| क) मौजूदा वर्ष के लिए | 1,14,356.38 | 91,567.98 |
| ख) पिछले वर्ष के लिए | 26,634.28 | 25,004.31 |
| | 1,40,990.66 | 1,16,572.29 |
| घटाएं : तुमलापल्ले परियोजना से संबंधित राशि आई.ई.डी.सी में स्थानांतरित | (15,616.37) | -15,987.78 |
| | 1,25,374.29 | 1,00,584.51 |
| अन्य परिचालन राजस्व | | |
| उपोत्पाद की बिक्री | 1,224.43 | 841.77 |
| | **1,26,598.72** | **1,01,426.28** |

नोट :

वर्ष 2014–15 के लिए मुआवजे की दर का निर्धारण परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा पूर्ण हो गया है। वर्ष 2015–16 के लिए सान्द्र यूरेनियम के मुआवजे की दर की अनुशंसा मुख्य सलाहकार, लागत (सी.ए.सी) द्वारा की गई है, और यह परमाणु ऊर्जा विभाग (प.ऊ.वि) के पास विचाराधीन है। वर्ष 2016–17 के लिए सान्द्र यूरेनियम की लंबित अंतिम दर 2015–16 के लिए सी.ए.सी. के लिए अनुशंसित दर को परिचालन से राजस्व निर्धारण के लिए विचारा गया है। अंतर, यदि कोई हो, तो दर को अंतिम रुप के लिए वर्ष में इसका हिसाब किया जाएगा। पूर्व के वर्षो के लिए मुआवजे को ऊपर दर्शाया गया है।

## 22. अन्य आय

(लाख ₹ में)

| विवरण | 31 मार्च 2017 को | 31 मार्च 2016 को |
|---|---|---|
| ब्याज बैंकों के पास जमा करने पर | 18.59 | 29.90 |
| अन्य पर ब्याज | 104.16 | 449.51 |
| स्क्रैप माल की बिक्री | 41.11 | 166.25 |
| उपकरणों तथा वाहनों का भाड़ा शुल्क | 2.07 | 1.95 |
| पैकिंग में संशोधन, भाड़ा, दंड आदि के संबंध में आपूर्तिकर्ताओं से वसूली | 39.23 | 50.46 |
| निविदा प्रपत्र की बिक्री | 13.51 | 7.74 |
| देनदारियाँ तथा प्रावधानों की अब कोई आवश्यकता नहीं है | 57.51 | 149.12 |
| `टाउनशिप रसीदे | 293.44 | 251.50 |
| विविध प्राप्तियाँ | 102.16 | 19.86 |
| | **671.78** | **1,126.29** |

## 23.(क) खपत माल की लागत

(लाख ₹ में)

| विवरण | 31 मार्च 2017 को | 31 मार्च 2016 को |
|---|---|---|
| कच्चे माल का प्रारंभिक भण्डार | 80.50 | 91.44 |
| जोड़ा : क्रय | 8,932.47 | 6,867.75 |
| घटाया : कच्चे माल का अंतिम स्टॉक | (138.89) | (80.50) |
| खपत हुए कच्चे माल की लागत | **8,874.09** | **6,878.68** |

## 23.(ख) तैयार माल की सूची में परिवर्तन तथा प्रगतिधीन कार्य

(लाख ₹ में)

| विवरण | 31 मार्च 2017 को | 31 मार्च 2016 को |
|---|---|---|
| वर्ष के प्रारंभ में तैयार माल | | |
| – अयस्क | 5,723.20 | 2,662.78 |
| – उपोत्पाद | 77.49 | 30.94 |
| – प्रगतिधीन कार्य | 1,474.54 | 1,437.66 |
| – स्क्रैप | 227.75 | 246.38 |
| | 7,502.98 | 4,377.76 |
| जोड़ा : परियोजना चालू होते समय भण्डार | | |
| – तुमल्लापल्ली खान अयस्क | 34,090.27 | - |
| – तुमल्लापल्ली मील प्रगतिधीन कार्य | 3,689.45 | - |
| | 37,779.72 | - |
| घटाया : वर्ष के अंत में तैयार माल | | |
| – अयस्क | 39,599.81 | 5,723.20 |
| – उपोत्पाद | 135.27 | 77.49 |
| – प्रगतिधीन कार्य | 7,295.37 | 1,474.54 |
| – स्क्रैप | 284.69 | 227.75 |
| | 47,315.14 | 7,502.98 |
| **इंवेट्रिज में कुल (वृद्धि)/कमी** | **(2,032.44)** | **(3,125.22)** |

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण की टिप्पणी

## 24. कर्मचारी लाभ व्यय

(लाख ₹ में)

| विवरण | 31 मार्च 2017 को | 31 मार्च 2016 को |
|---|---|---|
| वेतन, मजदूरी और भत्ता | 25,580.02 | 25,925.42 |
| भविष्य निधि में योगदान | 2,515.65 | 2,013.17 |
| ग्रेच्युटी फंड में योगदान | 363.27 | 461.67 |
| वेलफेयर फंड/कल्याण कोष के लिए योगदान | 1.14 | 1.12 |
| सेवानिवृत्ति निधि के लिए योगदान | 94.38 | 113.10 |
| सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ | 48.87 | 40.46 |
| छुट्टी यात्रा रियायत पर व्यय | 95.80 | 69.23 |
| कर्मचारी कल्याण व्यय | 433.93 | 371.93 |
| चिकित्सा व्यय | 1,033.51 | 974.38 |
| | **30,166.57** | **29,970.48** |

वेतन तथा मजदूरी सहित अन्य लाभ ₹ 507.52 लाख (गत वर्ष ₹ 534.81 लाख) में जल की लागत से सम्बंधित वेतन एवं मजदूरी तथा अन्य लाभ में सम्मिलित नहीं है।

## 25. वित्तीय लागत

(लाख ₹ में)

| विवरण | 31 मार्च 2017 को | 31 मार्च 2016 को |
|---|---|---|
| अन्य संस्थानों के ऋण पर ब्याज | 956.00 | 956.00 |
| बैंक ब्याज | 5,428.43 | 5,198.23 |
| बंद खान के दायित्व की छूट का निपटान | 47.10 | 43.61 |
| | 6,431.53 | 6,197.84 |

## 26. मूल्य ह्रास एवं परिशोधन व्यय

(लाख ₹ में)

| विवरण | 31 मार्च 2017 को | 31 मार्च 2016 को |
|---|---|---|
| सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण पर मूल्य ह्रास (टिप्पणी – 3) | 12979.49 | 8622.57 |
| अमूर्त सम्पत्तियों (टिप्पणी – 5) पर परिशोधन | 780.94 | 63.18 |
| घटाया : परियोजना पर अप्रत्यक्ष व्यय | (97.53) | (104.57) |
| | 13662.90 | 8581.18 |

## 27. अन्य व्यय

(लाख ₹ में)

| विवरण | | 31 मार्च 2017 को | 31 मार्च 2016 को |
|---|---|---|---|
| अनुबंधीय खान विकास व्यय | | 5,187.37 | 5,502.91 |
| तुमल्लापल्ली अनुबंधीय खनन व्यय | | 5,041.96 | - |
| स्टोर्स एण्ड स्पेयर्स की खपत | | 6,732.72 | 5,814.92 |
| बिजली एवं ईंधन | | 9,847.68 | 7,405.50 |
| जल प्रभार | | 1,470.41 | 995.66 |
| रॉयल्टी | | 3,443.72 | 2,758.92 |
| परिवहन व्यय | | 851.68 | 764.63 |
| मरम्मती एवं अनुरक्षण : (टिप्पणी **क** का संदर्भ लें) | | | |
| – संयंत्र एवं मशीनरी | 9,091.85 | | 8,978.78 |
| – भवन | 916.56 | | 565.43 |
| – अन्य | 797.88 | 10,806.29 | 693.32 |
| भाड़ा एवं अग्रेषण व्यय | | 58.08 | 51.16 |
| अप्रचलित भंडार का प्रावधान | | 47.24 | 33.30 |
| दर एवं कर | | 95.00 | 7.45 |
| बिक्री कर | | 70.18 | 206.12 |
| सुरक्षा व्यय | | 3,309.20 | 2,894.96 |
| बीमा | | 31.67 | 36.62 |
| विज्ञापन एवं बिक्री संवर्धन | | 465.28 | 287.74 |
| यात्रा एवं संवहन | | 154.50 | 139.67 |
| वाहन किराया शुल्क | | 588.32 | 458.21 |
| संचार लागत | | 85.14 | 65.36 |
| प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी | | 67.84 | 46.37 |
| कंसल्टेंसी शुल्क | | 143.45 | 88.66 |
| लेखा परीक्षकों का परिश्रमिक (टिप्पणी **ख** का संदर्भ लें) | | 4.63 | 4.15 |
| विधि एवं व्यावसायिक शुल्क | | 13.98 | 12.07 |
| सी.एस.आर. व्यय (टिप्पणी **ग** का संदर्भ लें) | | 197.75 | 295.60 |
| टाउनशिप तथा सामाजिक सुविधाओं पर व्यय | | 135.75 | 137.00 |
| विविध व्यय | | 210.70 | 262.00 |
| | | 49,060.54 | 38,506.51 |

### नोट

| | | |
|---|---|---|
| **क) मरम्मती एवं अनुरक्षण मिलाकर** | | |
| – भंडार की खपत | 3,099.44 | 2,738.46 |
| – स्पेयर्स की खपत | 6,340.31 | 5,195.13 |

| | | |
|---|---|---|
| **ख) लेखा परिक्षको के वेतन का विवरण** | | |
| – लेखा परिक्षण शुल्क | 3.19 | 3.09 |
| – कर लेखा परिक्षण शुल्क | 0.74 | 0.72 |
| – अन्य सेवा के लिए | 0.70 | 0.34 |
| | **4.63** | **4.15** |

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण की टिप्पणी

## 27. अन्य व्यय (क्रमशः)

(लाख ₹ में)

| विवरण | 31 मार्च 2017 को | 31 मार्च 2016 को |
|---|---|---|
| **ग) निगमित समाजिक दायित्व व्यय** | | |
| सी.एस.आर पर व्यय की जाने वाली राशि और वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए कंपनी अधिनियम के तहत वित्तीय विवरण निम्नवत् है :– | 6,190.56 | 5727.67 |
| कंपनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 198 के तहत पिछले 3 वर्षो का सकल शुद्व लाभ शुद्व लाभ का औसत | 2% | 2% |
| सी.एस.आर. गतिविधियों की दिशा में कंपनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 135 के अंतर्गत निर्धारित प्रतिशत | 123.81 | 114.55 |
| वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए सी.एस.आर. में खर्च की जाने वाली राशि | 197.75 | 295.60 |
| वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि : | | |
| i) सम्पत्ति के निर्माण / अधिग्रहण – नकदी | 34.12 | 33.59 |
| – नकद भुगतान किया जाना है | 30.70 | 29.10 |
| ii) उपरोक्त i) के अतिरिक्त– नकदी | 64.82 | 62.69 |
| ; | 95.60 | 162.80 |
| – नकद भुगतान किया जाना है | 37.34 | 70.11 |
| | 132.93 | 232.91 |
| | 197.75 | 295.60 |

## 28. आय कर व्यय

लाभ हानि विवरण में स्वीकृत कर व्यय

(लाख ₹ में)

| विवरण | 31 मार्च 2017 को | 31 मार्च 2016 को |
|---|---|---|
| **मौजूदा कर** | | |
| वर्ष के लिए कर योग्य आय पर मौजूदा कर | 4,537.67 | 5,763.44 |
| कुल मौजूदा कर | 4,537.67 | 5,763.44 |
| **आस्थागित कर** | | |
| आस्थागित कर प्रभार /(क्रेडिट) | 6,741.21 | (294.39) |
| एम.ए.टी. क्रेडिट (लिया गया)/उपयोग किया गया | (3,552.17) | - |
| कुल आस्थागित आयकर व्यय | 3,189.04 | (294.39) |
| पूर्व के वर्षों में कर | 463.76 | - |
| **कुल आय पर व्यय** | 8,190.47 | 5,469.05 |

वैधानिक आय कर की दर को आयकर से पहले लाभ के लिए आयकर व्यय का समाधान नीचे संक्षेप में दिया गया है :–

(लाख ₹ में)

| विवरण | 31 मार्च 2017 को | 31 मार्च 2016 को |
|---|---|---|
| कंपनी में प्रयोज्य निष्क्रिय आयकर दर | 34.61 | 34.61 |
| कर पूर्व लाभ | 20,984.35 | 15,453.41 |
| भारत में निष्क्रिय आयकर दर पर कर पूर्व लाभ पर मौजूदा कर व्यय | 7,262.26 | 5,348.12 |
| कर योग्य आय की गणना में राशि का कर प्रभाव जो कि कटौती योग्य/(कर योग्य नहीं है) | 464.45 | 11.73 |
| कर की दर में परिवर्तन | - | 109.20 |
| पूर्व के वर्षों के संदर्भ में कर | 463.76 | - |
| कुल आयकर व्यय /(क्रेडिट) | 8,190.47 | 5,469.05 |

वर्ष 2016–17 के लिए प्रयोज्य कर 34.61% (2015–16 : 34.61%) प्रभावी कर दर 38.89% (2015–16 : 35.39) है।

## 28. आय कर व्यय (क्रमशः)

आस्थागित कर (देयता)/संपत्ति में संचार

(लाख ₹ में)

| विवरण | स्थिर परिसंपत्ति | कर्मचारियों को लाभ | अप्रचलित भंडार | अन्य सामग्रियाँ | एम.ए.टी. क्रेडिट | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 अप्रैल 2015 को | (7,790.73) | 1,500.73 | 90.98 | 192.75 | - | (6,006.27) |
| प्रभारित/(क्रेडिट) : | | | | | | |
| – लाभ या हानि | 256.42 | 6.24 | 13.01 | 18.72 | - | 294.39 |
| – अन्य व्यापक आय | - | 6.52 | - | - | - | 6.52 |
| 31 मार्च 2016 को | (7,534.31) | 1,513.49 | 103.99 | 211.47 | - | (5,705.36) |
| प्रभारित/(क्रेडिट) : | | | | | | |
| – लाभ या हानि | (7,261.72) | 487.11 | 16.35 | 17.05 | 3,552.17 | (3,189.04) |
| – अन्य व्यापक आय | - | 33.72 | - | - | - | 33.72 |
| **31 मार्च 2017 को** | **(14,796.03)** | **2,034.32** | **120.34** | **228.52** | **3,552.17** | **(8,860.68)** |

## 29. प्रति शेयर आय

(लाख ₹ में)

| विवरण | 31 मार्च 2017 को | 31 मार्च 2016 को |
|---|---|---|
| प्रति शेयर आय की गणना निम्नवत की गई है : | | |
| वर्ष के लिए लाभ/(हानि) | 12,793.88 | 9,984.36 |
| शेष इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या | 159.04 | 155.33 |
| प्रति शेयर मूल एवं डॉयल्यूटेड अर्निंग (₹) (प्रतिशेयर ₹ 1000 का अंकित मूल्य) | 80.45 | 64.28 |

## 30. आयात की कीमत

(लाख ₹ में)

| विवरण | 31 मार्च 2017 को | 31 मार्च 2016 को |
|---|---|---|
| सी.आई.एफ. आधार पर गणना की गई | | |
| पूँजीगत वस्तुएँ | 9.50 | 152.44 |
| | **9.50** | **152.44** |

## 31. विदेशी मुद्रा में व्यय

(लाख ₹ में)

| विवरण | 31 मार्च 2017 को | 31 मार्च 2016 को |
|---|---|---|
| विदेश यात्रा | 2.86 | 0.80 |
| | **2.86** | **0.80** |

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण की टिप्पणी

## 32. कर्मचारी लाभ दायित्व

### क) परिभाषित अंशदायी योजनाएँ

(लाख ₹ में)

| विवरण | 31 मार्च 2017 को | 31 मार्च 2016 को |
|---|---|---|
| लाभ हानि विवरण में निम्नलिखित की पहचान की गई | | |
| कर्मचारी भविष्य निधि में अंशदान | 2,515.65 | 2,013.17 |
| सेवा निवृत्ति में अंशदान | 94.38 | 113.10 |

### ख) परिभाषित लाभ योजनाएँ

(लाख ₹ में)

| विवरण | 31 मार्च 2017 को | | 31 मार्च 2016 को | | 01 अप्रैल 2015 को | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | मौजूदा | गैर मौजूदा | मौजूदा | गैर मौजूदा | मौजूदा | गैर मौजूदा |
| चिकित्सा लाभ | 10.22 | 495.22 | 7.94 | 394.22 | 6.46 | 359.05 |
| ग्रेच्युटी | - | 1,474.29 | - | 104.08 | - | 1,802.39 |
| छुट्टी नकदीकरण | 303.93 | 5,232.98 | 230.58 | 3,795.43 | 252.42 | 3,850.95 |

### i) सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ योजना

कंपनी अपने सेवानिवृत्त लोगों की सेवानिवृत्ति पश्चात लाभ योजना उपलब्ध करती है। इन सुविधाओं की पात्रता के लिए आमतौर पर शर्त होती है कि, कर्मचारी सेपानिवृत्ति उम्र तक सेवा में रहे और न्यूनतम सेवा अवधि को पूर्ण करे। परिभाषित लाभ योजनाओं के लिए उपयोग की जाने वाली एक ही लेखा पद्धति का उपयोग करके इन लाभों के विशिष्ट लागत को रोजगार की अवधि में अर्जित किया गया है। बीमांकिक मान्यताओं और अनुभव समायोजन में परिवर्तन के वजह से पुनर्मापन लाभ एवं हानि से उस अवधि के व्यापक आय में प्रभारित या क्रेडिट किया जाता है।

#### क) तुलन पत्र में पहचान की गई राशि

(लाख ₹ में)

| विवरण | 31 मार्च 2017 को | 31 मार्च 2016 को | 01 अप्रैल 2015 को |
|---|---|---|---|
| योजना देयताओं का वर्तमान मूल्य | 520.42 | 402.16 | 365.51 |
| योजना संपत्ति का उचित मूल्य | - | - | - |
| शुद्ध देयता / (संपत्ति) | 520.42 | 402.16 | 365.51 |

#### ख) योजना संपत्ति एवं योजना देयताओं में संचार

(लाख ₹ में)

| विवरण | 31 मार्च 2017 को | 31 मार्च 2016 को |
|---|---|---|
| **01 अप्रैल को** | 402.16 | 365.51 |
| मौजूदा सेवा लागत | 18.26 | 17.98 |
| शुद्ध ब्याज | 30.66 | 27.43 |
| | 48.92 | 45.41 |
| योजना संपत्तियों पर वापसी (ब्याज व्यय में शामिल राशि को छोड़कर) | - | - |
| निम्नलिखित में परिवर्तन से उत्पन्न वास्तविक (प्राप्ति) / हानि | | |
| – जनसंख्यिकीय धारणा | - | - |
| – वित्तीय धारणा | 45.44 | (7.38) |
| – अनुभव समायोजन | 51.98 | 26.23 |
| | 97.42 | 18.85 |
| प्रदत्त लाभ | (43.06) | (27.61) |
| 31 मार्च को | 505.44 | 402.16 |

## 32. कर्मचारी लाभ दायित्व (क्रमशः)

### i) सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ योजना (क्रमशः)

**ग) कर्मचारी लाभ व्यय की तरह राशि की पहचान लाभ हानि विवरण मे की गई**

(लाख ₹ में)

| विवरण | 31 मार्च 2017 को | 31 मार्च 2016 को |
|---|---|---|
| मौजूदा सेवा लागत | 18.26 | 17.98 |
| शुद्ध ब्याज | 30.66 | 27.43 |
| | 48.92 | 45.41 |
| घटाया : आई.ई.डी.सी. को हस्तांतरित राशि | (0.05) | (4.95) |
| **कर पूर्व लाभ/हानि पर शुद्ध प्रभाव** | **48.87** | **40.46** |
| शुद्ध परिभाषित देयता का पुनर्मापन | | |
| मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली बीमांकिक (लाभ)/हानि | 97.42 | 18.85 |
| **शुद्ध (लाभ)/हानि की पहचान कर पूर्व अन्य व्यापक आय में की गई** | **97.42** | **18.85** |

**घ) मान्याताएँ**

तुलन पत्र की तारीख में मुख्य बीमांकिक धारणा :

| विवरण | 31 मार्च 2017 को | 31 मार्च 2016 को | 01 अप्रैल 2015 को |
|---|---|---|---|
| छूट की दर (%) | 7.90% | 7.80% | 7.80% |
| पेंशन वृद्धि की दर | 6.00% | 6.00% | 6.00% |

**ङ) संवेदनशीलता**

असरदार मुख्य मान्यताओं में परिवर्तन के लिए परिभाषित दायित्व की संवेदनशीलता निम्नवत है :

(लाख ₹ में)

| विवरण | 31 मार्च 2017 को | | | 31 मार्च 2016 को | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | मान्यताओं में परिवर्तन | दर वृद्धि की स्थिति में डी.बी.ओ. पर प्रभाव | दर घटने की स्थिति में डी.बी.ओ. पर प्रभाव | मान्यताओं में परिवर्तन | दर वृद्धि की स्थिति मे डी.बी.ओ. पर प्रभाव | दर घटने की स्थिति में डी.बी.ओ. पर प्रभाव |
| छूट की दर | 1.00% | (85.24) | 112.15 | 1.00% | (64.07) | 83.74 |
| चिकित्सा वृद्धि की दर | 1.00% | 110.07 | (85.17) | 1.00% | 82.58 | (64.24) |

ऊपर की संवेदनशीलता, विश्लेषण निर्धारित प्रद्धति के आधार पर तय किया गया है जो परिभाषित लाभ दायित्व पर प्रभाव का विस्तार करता है, जिसके परिणाम स्वरुप रिर्पोटिंग अवधि के अंत में उचित परिवर्तन हो सकता है।

**च) परिपक्वता**

परिभाषित लाभ दायित्व इस प्रकार परिपक्व होगा

(लाख ₹ में)

| विवरण | 31 मार्च 2017 को | 31 मार्च 2016 को |
|---|---|---|
| 2017 | - | 8.25 |
| 2018 | 10.59 | 9.95 |
| 2019 | 12.25 | 11.57 |
| 2020 | 13.62 | 12.9 |
| 2021 | 16.35 | 15.48 |
| 2022 | 18.37 | - |
| उसके बाद | 135.35 | 113.15 |

परिभाषित लाभ दायित्व की वेटेड एवरेज ड्यूरेशन 11 वर्ष है

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण की टिप्पणी

## 32. कर्मचारी लाभ दायित्व (क्रमशः)

### ii) छुट्टी नकदीकरण

छुट्टी नकदीकरण के लिए देनदारियाँ, जिस अवधि में कर्मचारियों ने सेवा दी हो उसके 12 महीने की समाप्ति पर पूर्णतः निपटारा होने की संभावना नहीं है। अतः रिर्पोटिंग पिरीयड के अंत तक प्रोजेक्ट यूनिट क्रेडिट मेथड का प्रयोग करते हुए कर्मचारियों के द्वारा उपलब्ध सेवा के संबंध में अनुमानित भावि भुगतान के वास्तविक मूल्य की माप की जाती है। रिर्पोटिंग अवधि के अंत में बाजार मूल्य का लाभ उठाते हुए फयादा उठाया जाता है, जिसके संबंध में संबंधित दायित्वों की शर्तों का अनुमान लगाया गया है। अनुभव समायोजन के परिणाम स्वरूप पूणर्मापन तथा बीमाकिंक मान्यताओं की पहचान लाभ हानि विवरण में की गई है।

**क) तुलन पत्र में पहचान की गई राशि** (लाख ₹ में)

| विवरण | 31 मार्च 2017 को | 31 मार्च 2016 को | 01 अप्रैल 2015 को |
|---|---|---|---|
| योजना देयताओं का वर्तमान मूल्य | (5,536.91) | (4,026.01) | (4,103.37) |
| योजना सम्पत्ति का उचित मूल्य | - | - | - |
| शुद्ध देयता/(सम्पत्ति) | (5,536.91) | (4,026.01) | (4,103.37) |

**ख) योजना संपत्तियों और योजना दायित्वों में संचरण** (लाख ₹ में)

| विवरण | 31 मार्च 2017 को | 31 मार्च 2016 को |
|---|---|---|
| **01 अप्रैल को** | 4,026.01 | 4,103.37 |
| मौजूदा सेवा शुल्क | 782.29 | 764.47 |
| शुद्ध ब्याज | 274.94 | 298.35 |
| (लाभ)/हानि की तत्कालिक पहचान – अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ योजनाएँ | 1,545.26 | (583.32) |
| **शुद्ध छुट्टी नकदीकरण लागत** | 2,602.49 | 479.50 |
| घटाया : आइ.ई.डी.सी. को हस्तांरित राशि | (134.95) | (6.91) |
| **कर पूर्व लाभ/हानि पर शुद्ध प्रभाव** | 2,467.54 | 472.59 |
| योजना संपत्तियों पर वापसी (व्याज व्यय में शामिल राशि को छोड़कर) | - | - |
| निम्नलिखित से उत्पन्न बीमाकिंक (प्राप्ति)/हानि | | |
| – जन संख्यिकीय धारणा | - | (40.36) |
| – वित्तीय धारणा | 260.60 | - |
| – अनुभव समायोजन | 1,284.66 | (542.96) |
| (लाभ)/हानि की तत्कालिक पहचान – अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ योजनाएँ | (1,545.26) | 583.32 |
| **अन्य व्यापक आय में शुद्ध प्राप्ति की पहचान की गई है** | - | - |
| लाभ का भुगतान किया गया | (1,091.59) | (556.86) |
| **31 मार्च को** | 5,536.91 | 4,026.01 |

**ग) मान्यताएँ**

तुलन पत्र तिथि के अनुसार प्रमुख बीमाकिंक मान्याताएँ :

| विवरण | 31 मार्च 2017 को | 31 मार्च 2016 को | 01 अप्रैल 2015 को |
|---|---|---|---|
| छूट दर (%) | 7.40% | 7.90% | 7.80% |
| वेतन वृद्धि दर | 5.00% | 5.00% | 5.00% |

## 32. कर्मचारी लाभ दायित्व (क्रमशः)

### ii) छुट्टी नकदीकरण (क्रमशः)

**घ) संवेदनशीलता**

प्रमुख मान्यताओं में परिवर्तन के लिए परिभाषित दायित्व की संवेदनशीलता निम्नलिखित है :

(लाख ₹ में)

| विवरण | 31 मार्च 2017 को | | | 31 मार्च 2016 को | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | मान्यताओं में परिवर्तन | दर वृद्धि की स्थिति में डी.बी.ओ. पर प्रभाव | दर घटने की स्थिति में डी.बी.ओ. पर प्रभाव | मान्यताओं में परिवर्तन | दर वृद्धि की स्थिति मे डी.बी.ओ. पर प्रभाव | दर घटने की स्थिति में डी.बी.ओ. पर प्रभाव |
| छूट की दर | 1.00% | (501.45) | 589.27 | 1.00% | (976.66) | 1,125.40 |
| वेतन वृद्धि दर | 1.00% | 597.88 | (516.67) | 1.00% | 600.35 | (677.87) |

उपरोक्त संवेदनशीलता विश्लेषण, निर्धारित पद्धति के आधार पर की गई है जो रिर्पोटिंग अवधि के अंत में होने वाली महत्वपूर्ण मान्यताओं में उचित परिवर्तन के परिणाम स्वरूप परिभाषित लाभ दायित्वों पर प्रभाव का एक्सट्रापोलेट करे।

**ङ) परिपक्वता**

परिभाषित लाभ दायित्व इस प्रकार परिपक्व होगा

(लाख ₹ में)

| विवरण | 31 मार्च 2017 को | 31 मार्च 2016 को |
|---|---|---|
| 2017 | - | 656.00 |
| 2018 | 314.97 | 791.08 |
| 2019 | 359.16 | 725.54 |
| 2020 | 390.04 | 729.37 |
| 2021 | 562.94 | 1,001.05 |
| 2022 | 551.05 | - |
| उसके बाद | 4,939.21 | 6,952.87 |

परिभाषित लाभ दायित्व की वेटेड एवरेज ड्यूरेशन 11 वर्ष है

## 32. कर्मचारी लाभ दायित्व (क्रमशः)

### III. ग्रेच्यूटी

सेवानिवृत्ति/सेवासमाप्ति पर देय ग्रेच्यूटी की राशि की गणना कर्मचारियों के द्वारा आहरित पिछले मूल वेतनमान को सेवा के वर्षों की संख्या से गुणा कर 15 दिनों के वेतनमान के लिए अनुपातिक रूप से की जाती है। ग्रेच्यूटी योजना एक वित्त पोषित योजना है और कंपनी भारत में मान्यता प्राप्त फंडो में योगदान करती है।

**क) तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त की गई राशि**

(लाख ₹ में)

| विवरण | 31 मार्च 2017 को | 31 मार्च 2016 को | 01 अप्रैल 2015 को |
|---|---|---|---|
| वित्त पोषित देयताओं का वर्तमान मूल्य | 13,551.83 | 11,801.47 | 11,816.99 |
| योजना सम्पत्तियों का उचित मूल्य | 14,114.20 | 12,577.13 | 9,883.33 |
| शुद्ध देयता/(सम्पत्तियाँ) | (562.37) | (775.66) | 1,933.66 |

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण की टिप्पणी

**ख) योजना संपत्तियों और योजना देयताओं में संचरण** (लाख ₹ में)

| विवरण | 31 मार्च 2017 को | | | 31 मार्च 2016 को | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | योजना देयताएँ | योजना संपत्तियाँ | शुद्ध (देयताएँ–संपत्तियाँ) | योजना देयताएँ | योजना संपत्तियाँ | शुद्ध (देयताएँ–संपत्तियाँ) |
| 01 अप्रैल को | 11,801.47 | 12,577.13 | (775.66) | 11,816.99 | 9,883.33 | 1,933.66 |
| मौजूदा सेवा लागत | 459.6 | - | 459.60 | 426.86 | - | 426.86 |
| व्याज खर्च/आय | 898.63 | 973.65 | (75.02) | 888.29 | 847.19 | 41.10 |
| | 1,358.23 | 973.65 | 384.58 | 1,315.15 | 847.19 | 467.96 |
| योजना संपत्ति पर प्रतिफल (शुद्ध व्याज व्यय में शामिल राशि को छोड़कर) | - | 1,068.32 | (1,068.32) | - | (109.60) | 109.60 |
| निम्नलिखित से परिवर्तन से उत्पन्न बीमाकिंक (लाभ)/हानि | | | | | | |
| – जन संख्यिकीय धारणा | - | - | - | - | - | - |
| – वित्तीय धारणा | 580.58 | - | 580.58 | (105.39) | - | (105.39) |
| – अनुभव समायोजन | 664.47 | - | 664.47 | (368.09) | - | (368.09) |
| | 1,245.05 | 1,068.32 | 176.73 | (473.48) | (109.60) | (363.88) |
| लाभ का भुगतान किया गया | (852.92) | (852.92) | - | (857.19) | (857.19) | - |
| नियोक्ता का योगदान | - | 348.02 | (348.02) | - | 2,813.40 | (2,813.40) |
| 31 मार्च को | 13,551.83 | 14,114.20 | (562.37) | 11,801.47 | 12,577.13 | (775.66) |

**ग) लाभ हानि विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त राशि** (लाख ₹ में)

| विवरण | 31 मार्च 2017 को | 31 मार्च 2016 को |
|---|---|---|
| मौजूदा सेवा लागत | 459.60 | 426.86 |
| शुद्ध ब्याज | (75.02) | 41.10 |
| | 384.58 | 467.96 |
| घटाया : आई.ई.डी.सी. को हस्तांतरित राशि | (21.31) | (3.26) |
| **कर पूर्व लाभ/हानि पर शुद्ध प्रभाव** | 363.27 | 464.70 |
| शुद्ध परिभाषित देयता का पुनर्मापन | | |
| मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली बीमांकिक (लाभ)/हानि | 176.73 | (363.88) |
| घटाया : आई.ई.डी.सी. को हस्तांतरित राशि | 5.71 | - |
| **शुद्ध (लाभ)/हानि की पहचान कर पूर्व अन्य व्यापक आय में की गई** | 171.02 | (363.88) |

## 32. कर्मचारी लाभ दायित्व (क्रमशः)

**III. ग्रेच्यूटी (क्रमशः)**

**घ) योजना संपत्तियों का निवेश विवरण**

| विवरण | 31 मार्च 2017 को | 31 मार्च 2016 को | 01 अप्रैल 2015 को |
|---|---|---|---|
| (i) भारत सरकार की सुरक्षा | 28.40% | 28.40% | 28.40% |
| (ii) व्यापारिक बाध्यताएँ | 12.20% | 12.20% | 12.20% |
| (iii) विशेष जमा योजना | 8.65% | 8.65% | 8.65% |
| (iv) अन्य (एल.आइ.सी) | 50.75% | 50.75% | 50.75% |
| | 100.00% | 100.00% | 100.00% |

**ङ) मान्यताएँ**

तुलन पत्र तिथि के अनुसार प्रमुख बीमाकिंक मान्याताएँ :

| विवरण | 31 मार्च 2017 को | 31 मार्च 2016 को | 01 अप्रैल 2015 को |
|---|---|---|---|
| छूट की दर (%) | 7.40% | 7.90% | 7.80% |
| वेतन वृद्धि दर | 5.00% | 5.00% | 5.00% |

**च) संवेदनशीलता**

प्रमुख मान्यताओं में परिवर्तन के लिए परिभाषित दायित्व की संवेदनशीलता निम्नलिखित है : (लाख ₹ में)

| विवरण | 31 मार्च 2017 को | | | 31 मार्च 2016 को | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | मान्यताओं में परिवर्तन | दर वृद्धि की स्थिति में डी.बी.ओ. पर प्रभाव | दर घटने की स्थिति में डी.बी.ओ. पर प्रभाव | मान्यताओं में परिवर्तन | दर वृद्धि की स्थिति मे डी.बी.ओ. पर प्रभाव | दर घटने की स्थिति में डी.बी.ओ. पर प्रभाव |
| छूट की दर | 1.00% | (1,121.70) | 1,295.23 | 1.00% | (976.66) | 1,125.40 |
| वेतन वृद्धि दर | 1.00% | 529.96 | (587.51) | 1.00% | 600.35 | - |

उपरोक्त संवेदनशीलता विश्लेषण, निर्धारित पद्धति के आधार पर की गई है जो रिर्पोटिंग अवधि के अंत में होने वाली महत्वपूर्ण मान्यताओं में उचित परिवर्तन के परिणाम स्वरूप परिभाषित लाभ दायित्वों पर प्रभाव का एक्सट्रा पोलेट करे।

**छ) परिपक्वता**

परिभाषित लाभ दायित्व इस प्रकार परिपक्व होगा : (लाख ₹ में)

| विवरण | 31 मार्च 2017 को | 31 मार्च 2016 को |
|---|---|---|
| 2017 | - | 656.00 |
| 2018 | 753.52 | 791.08 |
| 2019 | 777.93 | 725.54 |
| 2020 | 790.76 | 729.37 |
| 2021 | 1,036.91 | 1,001.05 |
| 2022 | 1,002.69 | - |
| Thereafter | 7,643.86 | 6,952.87 |

परिभाषित लाभ दायित्व की वेटेड एवरेज ड्यूरेशन 11 वर्ष है

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण की टिप्पणी

## 32. कर्मचारी लाभ दायित्व (क्रमशः)

**IV. छुट्टी यात्रा रियायत**

(लाख ₹ में)

| विवरण | 31 मार्च 2017 को | 31 मार्च 2016 को | 01 अप्रैल 2015 को |
|---|---|---|---|
| छूट की दर (%) | 7.40% | 7.90% | 7.80% |
| प्रति व्यक्ति यात्रा दावा (आइ एडं आर में) की औसत लागत | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| शुद्ध छुट्टी यात्रा रियायत खर्च | 8.70 | (1.64) | 27.93 |
| लाभ एवं हानि विवरण पर प्रभारित राशि | 8.56 | (1.48) | 25.82 |
| आइ.ई.डी.सी. में हस्तांतरित राशि | 0.14 | (0.16) | 2.11 |

## 33. आकस्मिक देनदारियाँ एवं प्रतिबद्धताएँ

(लाख ₹ में)

| विवरण | 31 मार्च 2017 को | 31 मार्च 2016 को | 01 अप्रैल 2015 को |
|---|---|---|---|
| क) ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया दावा | | | |
| – ठेकेदारों, रियायती प्रपत्रों, इनपुट टेक्स क्रेडिट को सामग्री किए फ्री इश्यू के संदर्भ में विवादित बिक्री कर दावे | - | 11.31 | 405.55 |
| – झारखण्ड विद्युत बोर्ड द्वारा ईंधन अधिभार का दावा | 16,293.00 | 14,467.57 | 13,224.96 |
| – इसकी कटौती और कर योग्यता के लिए आयकर | 731.74 | 731.74 | 501.98 |
| – खरकई नदी से पानी की आपूर्ति के लिए खरकई कैनल डिविजन द्वारा जल प्रभार | 185.29 | 185.29 | 185.29 |
| – अन्य | 0.59 | 0.59 | 0.59 |
| ख) असमाप्त पत्र का श्रेय | 100.90 | 100.90 | 100.88 |
| ग) पूँजी खाते पर निष्पादित होने वाले ठेकेदारों की अनुमानित राशि (अग्रिम का शुद्ध) | 3,855.77 | 10,886.88 | 4,085.10 |

विभिन्न मामलों में सेवा मामले सहित अन्य मामले हैं जो विभिन्न अदालतों में लंबित है, जिनके खिलाफ खातों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है न ही बताएं जा रहा है कि यह आकस्मिक दायित्व है। जैसा कि इस स्तर पर मात्रात्मक नहीं है।

## 34. संबंधित पक्ष का प्रकटीकरण

**1. सभी संबंधित पक्ष को यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि कोई लेन देन हुआ है या नहीं।**

क) कार्यकारी निदेशकगण उनके सम्बंधी तथा उनके उद्यम जिन पर वे महत्वपूर्ण प्रभाव डालने में सक्षम है।

श्री एन. साईं बाबा (31.05.2016 तक) – मुख्य कार्यकारी, एन.एफ.सी
श्री जी. कल्यणाकृष्णन (22.09.2016 से) – मुख्य कार्यकारी
श्री एस. सूद – संयुक्त सचिव (आइ एण्ड एम) प.ऊ.वि.
श्री आर.ए. राजीव – संयुक्त सचिव (वित्त)
श्री एल. के. नंदा – निदेशक, प.ऊ.वि. ( 18.12.2016 से)
श्री आर.बी. चक्रवर्ती (01.09.2016 से) – भूतपूर्व उपनिदेशक जनरल खान सुरक्षा
डॉ. के.यू.एम. राव (01.09.2016 से)
श्री पी.एस. परिहार – निदेशक, ए.एम.डी.
डॉ ए.के. राय (22.09.2016 से) – निदेशक, ए.एम.डी.

ख) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

| नाम | संबंध |
|---|---|
| श्री सी.के. असनानी (01.09.2016 से) | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक |
| श्री डी. आचार्य (31.07.2016 तक) | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक |
| श्री एस.के. श्रीवास्तव (31.01.2016 तक) | निदेशक (तकनीकी) |
| श्री डी. घोष | निदेशक (वित्त) |
| श्री बी. सी. गुप्ता | कम्पनी सचिव |

**2. व्यवसाय की सामान्य कार्यप्रणाली में ऊपर के 1 में निर्दिष्ट संबंधित पक्षों के साथ लेन देन किया जाता है।**

(लाख ₹ में)

| लेन देन की प्रकृति | संबंधित पक्ष | 31 मार्च 2017 को | 31 मार्च 2016 को |
|---|---|---|---|
| सेवा प्राप्त करना – पारिश्रमिक | श्री डी. आचार्य, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (31.07.2016 तक) | 25.20 | 29.80 |
| सेवा प्राप्त करना – पारिश्रमिक | श्री एस.के. श्रीवास्तव, निदेशक (तकनीकी) (31.01.2016 तक) | - | 32.90 |
| सेवा प्राप्त करना – पारिश्रमिक | श्री डी. घोष, निदेशक (वित्त) | 25.57 | 23.57 |
| सेवा प्राप्त करना – पारिश्रमिक | श्री सी.के. असनानी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (01.09.2016 तक) | 14.55 | - |

**मुख्य प्रबंधन कार्मिक का प्रतिफल**

(लाख ₹ में)

| विवरण | 31 मार्च 2017 को | 31 मार्च 2016 को |
|---|---|---|
| न्यून अवधि कर्मचारी लाभ | 65.32 | 86.27 |
| नियोजन पश्चात लाभ | 8.45 | 9.02 |
| कुल प्रतिफल | 73.77 | 95.29 |

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण की टिप्पणी

## 35. उचित मूल्य माप

**श्रेणी के अनुसार वित्तीय प्रपत्र** (लाख ₹ में)

| विवरण | 31 मार्च 2017 को | 31 मार्च 2016 को | 01 अप्रैल 2015 को |
|---|---|---|---|
| वित्तीय सम्पत्ति | | | |
| लाभ/(हानि) के माध्यम से निष्पक्ष मूल्य निकाला गया | - | - | - |
| अन्य व्यापक आय के माध्यम से निष्पक्ष मूल्य निकाला गया | - | - | - |
| परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसम्पत्तियाँ | | | |
| – प्राप्ति योग्य व्यापार | 49,097.88 | 23,081.50 | 7,009.70 |
| – नकद तथा नकद समतुल्य | 2,476.01 | 3,317.71 | 9,135.46 |
| – ऋण | 3,832.86 | 3,103.18 | 3,369.46 |
| – अन्य वित्तीय सम्पत्तियाँ | 584.99 | 586.85 | 478.52 |
| – उपार्जित व्याज | 726.90 | 671.68 | 715.66 |
| **कुल वित्तीय सम्पत्तियाँ** | 56,718.64 | 30,760.92 | 20,708.80 |
| वित्तीय देनदारियाँ | | | |
| लाभ/(हानि) के माध्यम से निष्पक्ष मूल्य निकाला गया | - | - | - |
| अन्य व्यापक आय के माध्यम से निष्पक्ष मूल्य निकाला गया | - | - | - |
| परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसम्पत्तियाँ | | | |
| – उधारी | 64,022.18 | 69,090.74 | 61,436.38 |
| – व्यापार देनदारियाँ | 5,421.78 | 4,957.50 | 5,190.05 |
| – अन्य | 56,752.24 | 41,361.92 | 31,355.86 |
| कुल व्यापार देयताएँ | 126,196.19 | 115,410.16 | 97,982.29 |

**उचित मूल्य अनुक्रम** (लाख ₹ में)

| वित्तीय सम्पत्तियाँ और देनदारियाँ जिन्हें 31 मार्च 2017 को परिशोधन लागत पर मापा गया | स्तर 1 | स्तर 2 | स्तर 3 | कुल |
|---|---|---|---|---|
| सम्पत्तियाँ | | | | |
| – प्राप्ति योग्य व्यापार | - | - | 49,097.88 | 49,097.88 |
| – नकद तथा नकद समतुल्य | - | - | 2,476.01 | 2,476.01 |
| – ऋण | - | - | 3,832.86 | 3,832.86 |
| – अन्य वित्तीय सम्पत्तियाँ | - | - | 584.99 | 584.99 |
| – उपार्जित व्याज | - | - | 726.90 | 726.90 |
| | - | - | 56,718.64 | 56,718.64 |
| देनदारियाँ | | | | |
| – उधारी | - | - | 64,022.18 | 64,022.18 |
| – व्यापार देनदारियाँ | - | - | 5,421.78 | 5,421.78 |
| – अन्य | - | - | 56,752.24 | 56,752.24 |
| | - | - | 126,196.19 | 126,196.19 |

## 35. उचित मूल्य माप (क्रमशः)

उचित मूल्य अनुक्रम (क्रमशः)

(लाख ₹ में)

| वित्तीय सम्पत्तियाँ और देनदारियाँ जिन्हें 31 मार्च 2017 को परिशोधन लागत पर मापा गया | स्तर 1 | स्तर 2 | स्तर 3 | कुल |
|---|---|---|---|---|
| सम्पत्तियाँ | | | | |
| – प्राप्ति योग्य व्यापार | - | - | 23081.5 | 23081.5 |
| – नकद तथा नकद समतुल्य | - | - | 3317.71 | 3317.71 |
| – ऋण | - | - | 3103.18 | 3103.18 |
| – अन्य वित्तीय सम्पत्तियाँ | - | - | 586.85 | 586.85 |
| – उपार्जित व्याज | - | - | 671.68 | 671.68 |
| | - | - | 30760.92 | 30760.92 |
| देनदारियाँ | | | | |
| – उधारी | - | - | 69090.74 | 69090.74 |
| – व्यापार देनदारियाँ | - | - | 4957.5 | 4957.5 |
| – अन्य | - | - | 41361.92 | 41361.92 |
| | - | - | 115410.16 | 115410.16 |

(लाख ₹ में)

| वित्तीय सम्पत्तियाँ और देनदारियाँ जिन्हें 31 मार्च 2017 को परिशोधन लागत पर मापा गया | स्तर 1 | स्तर 2 | स्तर 3 | कुल |
|---|---|---|---|---|
| सम्पत्तियाँ | | | | |
| – प्राप्ति योग्य व्यापार | - | - | 7009.70 | 7009.70 |
| – नकद तथा नकद समतुल्य | - | - | 9135.46 | 9135.46 |
| – ऋण | - | - | 3369.46 | 3369.46 |
| – अन्य वित्तीय सम्पत्तियाँ | - | - | 478.52 | 478.52 |
| – उपार्जित व्याज | - | - | 715.66 | 715.66 |
| | - | - | 20708.8 | 20708.8 |
| देनदारियाँ | | | | |
| – उधारी | - | - | 61436.38 | 61436.38 |
| – व्यापार देनदारियाँ | - | - | 5190.05 | 5190.05 |
| – अन्य | - | - | 31355.86 | 31355.86 |
| | - | - | 97982.29 | 97982.29 |

व्यापार प्राप्तियों, नकद एवं नकद समतुल्यों, देय व्यापार, बैंक जमा, संचित ब्याज तथा उस समय की वर्तमान उधार की मात्रा उनके अल्प कालिक प्रवृति के कारण अपने उचित मूल्य के बराबर होती है। दिये गए ऋणों के लिए उचित मूल्य की गणना नकद प्रवाह के आधार पर वर्तमान ऋण दर का उपयोग करके की गई थी। अविचारणीय इनपुट्स को शामिल करने के कारण उन्हें स्तर 3 उचित मूल्य अनुक्रम के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण की टिप्पणी

## 36. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी का वित्तीय जोखिम प्रबंधन अपनी व्यवसायिक रणनीतियों की योजना बनाने और निष्पादित करने का एक अभिन्न अंग है। कंपनी की गतिविधियों को तरलता जोखिम और क्रेडिट जोखिम के लिए उजागर किया जाता है ।

| जोखिम | निम्नलिखित से उत्पन्न होने वाली जोखिम | माप | प्रबंधन |
|---|---|---|---|
| क्रेडिट जोखिम | नकद एवं नकद समतुल्य, प्राप्ति योग्य व्यापार, बैंक जमा | पुराना विश्लेषण | जमा राशि का विविधीकरण, क्रेडिट सीमाएँ |
| तरलता जोखिम | उधारी और अन्य देनदारियाँ | रोलिंग नकद प्रवाह पूर्वानुमान | प्रतिवद्ध क्रेडिट लाइनों की उपलब्धता और उधार लेने की सुलभ |

**पूँजी जोखिम प्रबंधन**

कंपनी अपनी पूँजी को इस प्रकार कुशलतापुर्वक व्यवस्थित करती है कि शेयरधारकों को आदर्श रिटर्न मिले एवं चालू संस्थान को जारी रखा जा सके। कंपनी की योजना सुदृढ़ पूँजी की संरचना को बनाए रखना है ताकि निवेशकों तथा लेनदारों का भरोसा बना रहे जिससे कि भविष्य में व्यापार का विकास एवं बढ़ोतरी हो। कंपनी अपनी संरचना को बनाए रखने के लिए या जरूरी समायोजन की स्थिति में आवश्यक कदम उठाएगी।

## 37. इंडियन ए.एस. का पहली बार अपनाया जाना

ये इंडियन ए.एस. के अनुसरण में बनाए गए कंपनी के पहले वित्तीय विवरण हैं।

कंपनी ने संक्रमण तिथि 01 अप्रैल, 2015 को 01 अप्रैल, 2016 से प्रभावी कॉरपोरेट मंत्रालय के द्वारा अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (इंडियन ए.एस. ) को अपनाया है। इंडियन ए.एस. 101 द्वारा भारतीय लेखा मानकों को पहली बार अपनाने के लिए अपेक्षित है कि पहले इंडियन ए.एस. वित्तीय विवरण के लिए निर्गत प्रभावी सभी इंडियन ए.एस. मानकें और व्यख्याएँ जो कंपनी के लिए 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए है, प्रस्तुत सभी वित्तीय वर्षो के लिए पूर्व व्यपकता एवं दृढ़ता से लागू किया जाए। परिणाम स्वरूप इन इंडियन ए.एस. वित्तीय विवरणों को तैयार करने में कंपनी ने इंडियन ए.एस. 101 में उपलब्ध कराएं गए अनिवार्य अपवाद के अनुपालन में कुछ छूट प्राप्त किया है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है । इंडियन ए.एस. और पिछले जी.ए.ए.पी. के बीच संक्रमण की तिथि के रूप में परिसम्पत्तियों और देनदारियों के वाहक मूल्यों में होने वाले अंतर को सीधे तौर पर इक्विटी में चिह्नित किया गया है (आय या इक्विटी के अन्य उपयुक्त श्रेणी को रोक रखा गया है।)

नीचे तय किया गया है कि इंडियन ए.एस. 101 वैकल्पिक छूट के रूप में प्रयोज्य हो और पिछले जी.ए.ए.पी. से इंडियन ए.एस. के संक्रमण लागू और अपवाद के रूप में लागू हो।

**क) वैकल्पिक छूट का उपयोग**

**अ) विचारित मूल्य**

कंपनी ने डी–7 एए का चयन किया है और तदानुसार संक्रमण तिथि के रूप में संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त संपत्तियों के वाहक मूल्य के रूप में मान लिया।

कंपनी ने अनुच्छेद डी–21 का चयन किया है तथा तदानुसार संक्रमण की तिथि के अनुसार डिकमीशनिंग देयता को मापा है।

**ख) लागू अनिवार्य अपवाद**

**अ) अनुमान**

इंडियन ए.एस. के संक्रमण की तिथि इंडियन ए.एस. के अनुसरण में अनुमान है कि पिछले जी.ए.ए.पी. के अनुसार उसी तिथि के लिए किए गए अनुमान के अनुरूप होगी (लेखांकन नितियों में किसी भी अंतर को प्रदर्शित करने के समायोजन के पश्चात।)

**ब) वित्तिय संपत्ति का वर्गीकरण**

जैसा कि इंडियन ए.एस. 101 के तहत् अपेक्षित है, कंपनी ने इंडियन ए.एस. को संक्रमण की तिथि में मौजूद तथ्यों के आधार पर वित्तियों संपत्तियों के वर्गीकरण का मूल्यांकन किया है।

**स) इंडियन ए.एस. पूर्नमिलान के लिए संक्रमण**

निम्नलिखित पुनर्मिलान इंडियन ए.एस. 101 के तहत् आवश्यक रूप में पिछले इंडियन ए.एस. के संक्रमण से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण अंतर के प्रभाव की मात्रा का ठहराव प्रदान करता है।

(1) 01 अप्रैल, 2015 एवं 31 मार्च, 2016 के तुलन पत्र का पुनर्मिलान

(2) 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए कुल व्यापक आय का पुनर्मिलान

(3) 01 अप्रैल, 2015 एवं 31 मार्च, 2016 को इक्विटी का पुनर्मिलान

(4) नकद प्रवाह के विवरण का समायोजन

## 37. इंडियन ए.एस. का पहली बार अपनाया जाना (क्रमशः)

1. तुलन पत्र का पुनर्मिलान

(लाख ₹ में)

| विवरण | नोट | 31.03.2016 को (गत वर्ष) | | | 01.04.2015 (संक्रमण की तिथि) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | पूर्व जी.ए.ए.पी. | समायोजन | इंडियन ए.एस. | पूर्व जी.ए.ए.पी. | समायोजन | इंडियन ए.एस |
| **सम्पत्तियाँ** | | | | | | | |
| **गैर मौजूदा सम्पत्तियाँ** | | | | | | | |
| सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण | (क) | 68,418.10 | 203.13 | 68,621.23 | 70,332.54 | 203.13 | 70,535.67 |
| प्रगतिधीन पूँजी | | 222,556.58 | - | 222,556.58 | 203,344.25 | - | 203,344.25 |
| अप्रत्यक्ष परिसम्पत्तियाँ | (ख) | 943.44 | (18.61) | 924.83 | 1,006.62 | (18.61) | 988.01 |
| वित्तीय सम्पत्तियाँ | | | | | | | |
| – ऋण | | 1,680.07 | - | 1,680.07 | 2,024.16 | - | 2,024.16 |
| – अन्य वित्तीय सम्पत्तियाँ | | 586.85 | - | 586.85 | 478.52 | - | 478.52 |
| अन्य गैर मौजूदा सम्पत्तियाँ | | 7.40 | - | 7.40 | 10.81 | - | 10.81 |
| **कुल गैर मौजूदा सम्पत्तियाँ** | | **294,192.44** | **184.51** | **294,376.95** | **277,196.90** | **184.51** | **277,381.41** |
| **मौजूदा सम्पत्तियाँ** | | | | | | | |
| इनवेंटरीज | | 10,518.00 | - | 10,518.00 | 7,337.33 | - | 7,337.33 |
| वित्तीय सम्पत्तियाँ | | | | | | | |
| – प्राप्ति योग्य व्यापार | | 23,081.50 | - | 23,081.50 | 7,009.70 | - | 7,009.70 |
| – नकद तथा नकद समतुल्य | | 3,198.21 | - | 3,198.21 | 9,134.01 | - | 9,134.01 |
| – उपरोक्त के अलावे बैंक अधिशेष | | 119.50 | - | 119.50 | 1.45 | - | 1.45 |
| – ऋण | | 1,423.11 | - | 1,423.11 | 1,345.30 | - | 1,345.30 |
| – अन्य वित्तीय सम्पत्तियाँ | | 671.68 | - | 671.68 | 715.66 | - | 715.66 |
| मौजूदा कर सम्पत्तियाँ | | 39.41 | - | 39.41 | 1,968.08 | - | 1,968.08 |
| अन्य मौजूदा सम्पत्तियाँ | | 2,606.81 | - | 2,606.81 | 1,869.72 | - | 1,869.72 |
| **कुल मौजूदा सम्पत्तियाँ** | | **41,658.22** | **-** | **41,658.22** | **29,381.25** | **-** | **29,381.25** |
| **कुल सम्पत्तियाँ** | | **335,850.66** | **184.51** | **336,035.17** | **306,578.15** | **184.51** | **306,762.66** |
| **इक्विटी एवं देयताएँ** | | | | | | | |
| **इक्विटी** | | | | | | | |
| इक्विटी शेयर पूँजी | | 156,461.78 | - | 156,461.78 | 153,961.78 | - | 153,961.78 |
| अन्य इक्विटी | (छ) | 45,240.95 | 3,601.56 | 48,842.51 | 38,016.24 | 113.67 | 38,129.91 |
| **कुल इक्विटी** | | **201,702.73** | **3,601.56** | **205,304.29** | **191,978.02** | **113.67** | **192,091.69** |
| **देनदारियाँ** | | | | | | | |
| **गैर मौजूदा देनदारियाँ** | | | | | | | |
| वित्तीय देनदारियाँ | | | | | | | |
| – अन्य वित्तीय देनदारियाँ | | 1,031.71 | - | 1,031.71 | 1,027.54 | - | 1,027.54 |
| प्रावधान | (ग) | 4,630.55 | 366.57 | 4,997.12 | 4,585.35 | 359.36 | 4,944.71 |
| आस्थगित कर देनदारियाँ (शुद्ध) | (घ) | 5,832.22 | (126.86) | 5,705.36 | 6,128.42 | (122.15) | 6,006.27 |
| | | **11,494.48** | **239.71** | **11,734.19** | **11,741.31** | **237.21** | **11,978.52** |
| **मौजूदा देनदारियाँ** | | | | | | | |
| वित्तीय देनदारियाँ | | | | | | | |
| – उधारी | | 69,090.74 | - | 69,090.74 | 61,436.38 | - | 61,436.38 |
| – व्यापार देयताएँ | | 4,957.50 | - | 4,957.50 | 5,190.05 | - | 5,190.05 |
| – अन्य वित्तीय देनदारियाँ | (च) | 40,299.20 | 31.01 | 40,330.21 | 30,297.31 | 31.01 | 30,328.32 |
| प्रावधान | (ङ) | 4,178.44 | (3,687.77) | 490.67 | 2,444.31 | (197.39) | 2,246.92 |
| अन्य मौजूदा देनदारियाँ | | 4,127.57 | | 4,127.57 | 3,490.78 | | 3,490.78 |
| | | 122,653.45 | (3,656.76) | 118,996.69 | 102,858.84 | (166.38) | 102,692.45 |
| **कुल देनदारियाँ** | | **134,147.93** | **(3,417.05)** | **130,730.88** | **114,600.15** | **70.83** | **114,670.97** |
| **कुल इक्विटी और देनदारियाँ** | | **335,850.66** | **184.51** | **336,035.17** | **306,578.17** | **184.51** | **306,762.66** |

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण की टिप्पणी

## 37. इंडियन ए.एस. का पहली बार अपनाया जाना (क्रमशः)

**1. तुलन पत्र का पुनर्मिलान (क्रमशः)**

**इंडियन ए.एस. समायोजन में नोट किया गया :**

**क) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण**

पूर्व जी.ए.ए.पी. के तहत् डिकमीशनिंग देयताएँ (पुनर्भण्डारण/खान बंद करने की बाध्यता) संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण के मद की लागत के एक भाग के रूप में चिह्नित नहीं की गई थी। तथापि इंडियन ए.एस. के अतंर्गत डिकमीशनिंग देयताएँ (पुनर्भण्डारण/खान बंद करने की बाध्यता) इंडियन ए.एस. 16 के अनुसार देयता के रूप में चिह्नींत की गई है। इस प्रकार संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के मूल्य में ₹ 236.41 लाख और ₹ 33.28 लाख की पूर्व अवधि समायोजन के कारण वृद्धि हुई।

**ख) अमूर्त्त संपत्तियाँ**

पूर्व जी.ए.ए.पी. के तहत् पूर्व आवधिक समायोजन, जिस अवधि में उन्हें चिह्नित की गई, उसी दौरान उनका समायोजन कर लिया गया था। तथापि इंडियन ए.एस. के अतंर्गत पूर्व आवधिक समायोजन को उसी अवधि में चिह्नित की जाती है जिनसे वे संबंधित हो या सबसे पहले की अवधि में प्रस्तुत किए गए हो। इस प्रकार वन भूमि का उपयोग करने के अधिकार के मूल्य में ₹ 18.61 लाख की कमी हुई।

**ग) गैर मौजूदा देनदारियाँ**

खान बंद करने के दायित्व का प्रावधान अब इंडियन ए.एस. 16 के रूप में किया गया है। खान बंद करने का प्रावधान 01 अप्रैल 2015 को बढ़कर ₹ 359.61 लाख और 31 मार्च 2016 के दौरान 7.21 लाख हो गया । 31 मार्च 2016 तक प्रावधान में कुल बढ़ोतरी ₹ 366.57 लाख हो गई।

**घ) मौजूदा देनदारियाँ – प्रावधान**

इंडियन जी ए.ए.पी. के तहत् डी.डी.टी. सहित प्रस्तावित लांभाश, जब वे घोषित किए गए हो, उसके बावजूद जिस अवधि में उनका संबंध रहा हो की देयता के रूप में उन्हें चिह्नित किया गया है। इंडियन ए.एस. के तहत् प्रस्तावित लांभाश को उस अवधि को देयता के रूप में चिह्नित किया जाता है जिसमें कंपनी के द्वारा घोषित किया जाता है (आमतौर पर जब सामान्य बैठक में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया जाता है) या भुगतान किया जाता है। अतः 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लांभाश के दर्ज ₹ 197.90 लाख की देयता आय को रोके रखने के लिए अनुरूप समायोजन के साथ पलट दिया जाता है। फलस्वरूप संबंधित वर्षों में कुल इक्विटी को एक सामान राशि से बढ़ा दिया जाता है।

**ङ) अन्य वित्तिय देनदारियाँ**

पहले की अवधि में ₹ 31.01 लाख की पूर्व अवधि के समायोजन को समायोजित किया गया है, अर्थात 01 अप्रैल 2015 को अन्य वित्तिय देयताएँ बढ रही है।

**च) आस्थगित कर देनदारियाँ – (शुद्ध)**

आस्थगित कर संपत्तियों को खान बंद करने के दायित्व के बढ़े हुए प्रावधान में चिह्नित किया गया है।

**छ) अन्य इक्विटी**

01 अप्रैल 2015 तथा 31 मार्च 2016 को अन्य इक्विटी के समायोजन उपरोक्त इंडियन ए.एस. संक्रमण समायोजन के अनुसरण में किया गया है।

## 37. इंडियन ए.एस. का पहली बार अपनाया जाना (क्रमशः)

**2. 31मार्च 2016 एवं 01 अप्रैल 2015 को कुल इक्विटी का पुनर्मिलान**

(लाख ₹ में)

| विवरण | नोट | 31 मार्च 2016 का | 31 अप्रैल 2015 को |
|---|---|---|---|
| पूर्व जी.ए.ए.पी. के अर्तगंत कुल इक्विटी (शेयरधारकों की निधि) | | 201,702.73 | 191,978.02 |
| प्रस्तावित लाभांश का उत्क्रमण (डी.डी.टी सहित) | (क) | 3,687.77 | 197.39 |
| आस्थगित सम्पत्तियों की मान्यता | (ख) | (122.95) | (122.95) |
| पूर्वकालिक समायोजन | (ग) | 126.86 | 122.15 |
| डी कमीशनिंग देनदारियों के संबंध में छूट की अनवाइनडिंग (प्रावधान पर शुद्ध प्रभाव) | (घ) | (82.92) | (82.92) |
| इक्विटी में कुल समायोजन | (ङ) | (7.20) | - |
| इंडियन ए.एस. के अंतर्गत कुल इक्विटी | | 3,601.57 | 113.67 |
| | | 205,304.30 | 192,091.69 |

**इंडियन ए.एस. समायोजन में नोट किया गया :**

**क) प्रस्तावित लाभांश**

भारतीय जी.ए.ए.पी के अंतर्गत प्रस्तावित लाभांश, लाभांश कर सहित को दायित्व के रूप में चिह्नित उस संबंधित वर्ष में किया जाता है चाहे घोषणा हुआ हो या नहीं। भारतीय लेखा विवरण के अंतर्गत प्रस्तावित लाभांश को दायित्व माना जाता है उस अवधि के लिए जिस अवधि में इसकी घोषणा की गई हो (सामान्यतः अंशधारकों द्वारा आम सभा में अनुमोदन करने पर)। इसलिए 31 मार्च, 2015 की अवधि की लाभांश के दायित्व ₹ 197.90 लाख को उसी समान वर्ष के रिटेन्ड अर्निंग से समयोजित कर रिवर्स किया गया है। प्रस्तावित लाभांश, लाभांश कर सहित 31 मार्च, 2015 के लिए ₹ 3687.77 लाख को चिह्नित कर भारतीय जी.ए.ए.पी. के अंतर्गत उस समान वर्ष के रिटेण्ड अर्निंग से समायोजन कर रिवस्र किया गया है। परिणामतः कुल इक्विटी उस वर्ष की समान राशि के बराबर बढ़ गई है।

**ख) डिकमीशनींग दायित्व**

माइन क्लोजन के दायित्व का प्रोविजन की बढ़ोतरी के प्रभाव को रिटेण्ड अर्निंग से घटाया गया है जो कि 01 अप्रैल 2015 को ₹ 122.95 लाख तथा 31 मार्च 2016 को ₹ 7.21 लाख है।

माइन क्लोजर दायित्व को प्रत्येक वर्ष डिस्काऊटेंड रेट से अनवाइड किया जाता है। माइन क्लोजर प्रोविजन और वित्तीय लागत 31 मार्च 2016 को ₹ 7.21 लाख है।

**ग) आस्थगित संपत्ति**

आस्थगित कर संपत्ति की बढ़त का कारण माइन क्लोजर दायित्व का बढ़ना है।

**घ) पूर्व अवधि का समायोजन**

पहले जी.ए.ए.पी. के अंतर्गत पूर्व अवधि की मद को जिस अवधि के लिए चिह्नित है उस अवधि में समायोजन होता है। किन्तु भारतीय लेखा विवरण के अंतर्गत पूर्व अवधि को उस अवधि में समायोजित किया जाता है, जिस अवधि से संबंधित है या फिर जिस वर्ष पहले प्रस्तुत किया गया है।

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण की टिप्पणी

## 37. इंडियन ए.एस. का पहली बार अपनाया जाना (क्रमशः)

**3. 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि के विवरण की स्वीकृति के रूप में इंडिया ए.एस पर प्रभाव**

(लाख ₹ में)

| विवरण | नोट | 31 मार्च 2016 को | | |
|---|---|---|---|---|
| | | पूर्व जी.ए.ए.पी. | इंडियन ए.एस.में संक्रमण का प्रभाव | इंडियन ए.एस. |
| परिचालन से राजस्व | (क) | 101,336.59 | 89.69 | 01,426.28 |
| अन्य आय | | 1,126.29 | - | 1,126.29 |
| कुल आय | | 102,462.88 | 89.69 | 102,552.57 |
| व्यय | | | | |
| कच्चे माल की लागत और खपत घटकें | | 6,878.68 | - | 6,878.68 |
| तैयार माल और प्रगतिधीन कार्य के इंवेनटरीज में (वृद्धि)/कमी माल एवं प्रगतिधीन कार्य | | (3,125.22) | - | (3,125.22) |
| माल की बिक्री पर उत्पाद शुल्क | (क) | - | 89.69 | 89.69 |
| कर्मचारी लाभ व्यय | (ख) | 29,625.45 | 345.03 | 29,970.48 |
| मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय | | 8,581.18 | - | 8,581.18 |
| वित्त लागत | (ग) | 6,154.23 | 43.61 | 6,197.84 |
| अन्य व्यय | (ग) | 38,542.91 | (36.40) | 38,506.51 |
| कुल व्यय | | 86,657.23 | 441.93 | 87,099.16 |
| कर पूर्व लाभ/(हानि) | | 15,805.65 | (352.24) | 15,453.41 |
| कर व्यय | | | | |
| 1) मौजूदा कर | (घ) | 5,889.37 | 125.93 | 5,763.44 |
| 2) आस्थगित कर | (घ) | (296.20) | 1.81 | (294.39) |
| **वर्ष के लिए लाभ/(हानि)** | | **10,212.48** | **(479.98)** | **9,984.36** |
| अन्य व्यापक आय | | | | |
| बाद की अवधि में लाभ या हानि के लिए पुनः वर्गीकृत नही की जाने वाली अन्य व्यापक आय | | | | |
| परिभाषित लाभ योजना पर पुनर्मापन लाभ/(हानि) | (ख) | - | 345.03 | 345.03 |
| आयकर का प्रभाव | (घ) | - | 119.40 | 119.40 |
| शुद्ध आय की बाद की अवधि में लाभ या हानि के लिए पुनः वर्गीकृत नही की जाने वाली अन्य व्यापक आय | | - | 225.63 | 225.63 |
| **वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय, कर का शुद्ध** | | 10,212.48 | (254.35) | 10,209.99 |

**इंडियन ए.एस. समायोजन में नोट किया गया :**

**क) उत्पाद शुल्क**

इंडियन ए.एस. के तहत सामग्रियों की बिक्री को शुद्ध उत्पाद शुल्क के रूप में प्रस्तुत किया गया था। तथापि इंडियन ए.एस. के तहत सामग्रियों की बिक्री में उत्पाद शुल्क शामिल है। सामग्रियों की बिक्री पर उत्पाद शुल्क को लाभ एवं हानि लेखे के सम्मुख अलग से दर्शाया गया है। अतः इंडियन ए.एस. के तहत सामग्रियों की बिक्री ₹ 89.69 लाख बढ़ गई और इसी के साथ खर्च में वृद्धि हुई।

**ख) परिभाषित लाभ दायित्व पर बीमांकिक लाभ/हानि**

इंडियन ए.एस. 19 के अनुसार कर्मचारियों क लाभ परिभाषित लाभ हानि पर बीमांकिक लाभ तथा हानियाँ अन्य व्यापक आय में चिह्नित किये गए है। 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के दौरान ग्रेच्यूटी और सेवानिवृति पश्चात चिकित्सा सुविधा पर बीमांकिक लाभ ₹ 345.03 लाख था जो अन्य व्यापक आय को वर्ष के लिए बढ़ा दिया और समान राशि से कर्मचारी लाभ व्यय को बढ़ा दिया।

**ग) डिकमीशनिंग देनदारियों की अनवाइनडिंग :**

खान बंद करने के दायित्व के प्रावधान को प्रतिवर्ष छूट दर पर मुक्त किया जाना है। 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए खान बंद करने के दायित्व (₹ 36.40 लाख) के ₹ 7.21 लाख के प्रावधान के उत्थान में वित्त लागत (₹ 43.61 लाख) में शुद्ध वृद्धि।

घ) आयकर तथा आस्थगित कर को उपरोक्त इंडियन ए.एस. संक्रमण समायोजन के परिणाम स्वरूप समायोजित किया गया है।

**4. नकद प्रवाह के विवरण में समायोजन**

इंडियन ए.एस. समायोजन या तो गैर नकद समायोजन होते है या संचालन निवेश करने तथा वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह के मध्य पुर्नवगीकरण है परिणाम स्वरूप इंडियन ए.एस. का अपनाया जाना, 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ता जैसा कि पूर्व के जी.ए.ए.पी. के तुलना किया गया।

## नोट– 38

# लेखा पर अतिरिक्त टिप्पणी

## 31 मार्च, 2017 को समाप्त लेखा वर्ष के लिए

38.1 कंपनी को परमाणु ऊर्जा विभाग के आदेश सं. 7/6/69–न्यूनतम तिथि 7 अगस्त 1973 और सं. 7/6/69 न्यूनतम(पीएसयू) दिनांक 3 जुलाई, 1974 के आदेश द्वारा निशिद्ध किया गया है, जिसे परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (1962 का 33) की धारा 18 के तहत टर्नओवर से संबंधित जानकारी प्रकाशित करने या उपलब्ध कराने, कच्चे माल की खपत, और उत्पादित माल के प्रारंभिक या अंतिम स्टॉक से संबंधित जानकारी, कच्चे माल की खरीद या अधिग्रहण, लाइसेंस क्षमता, स्थापित क्षमता और वास्तविक उत्पादन के संबंध में जारी किया गया था।

हालांकि साल 2003–04 से कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (2) के लिए उच्च स्तर पर नियुक्त किए गए सांविधिक लेखा परीक्षकों को गोपनीयता समझौते के साथ कंपनी के खातों के सार्थक अंकेक्षण के उद्देश्य से दिनांक 9 जुलाई, 2004 को आदेश संख्या 10/8 (12)/2004–पीएसयू के माध्यम से कंपनी के सभी परमाणु ऊर्जा विभाग के संचालन से संबंधित जानकारी हासिल करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिसमें यह कहा गया है कि यह जानकारी किसी भी अन्य एजेंसी को प्रस्तुत नहीं किया जाएगा और ना ही किसी अंकेक्षण रिपोर्ट में इन आंकड़ों का उल्लेख किया जाएगा।

38.2 कंपनी ने तुम्म्लापल्ले में 813.412 हेक्टेयर ( 31.03.2016 : 813.412 हेक्टेयर)भूमि, तुरामडीह में 557.18 एकड़ (31.03.2016 : 557.18 एकड) भूमि, बंदुहुरांग में 686.86 एकड़ (31.03.2016 : 686.86 एकड)भूमि, बागजाटा में 303.14 एकड़ (31.03.2016 : 303.14 एकड़) भूमि, जादूगोडा में भाटिन समेत 1312.62 एकड़ (उपयुक्त अधिकारियों के साथ पत्राचार में 31.03.2016 : 1312.62 एकड़) भूमि, और मोहुलडीह में 288.20 एकड़ (उपयुक्त अधिकारियों के साथ पत्राचार में 31.03.2016 : 288020 एकड) भूमि के लिए खनन लीज प्राप्त किया है। कंपनी नरवापहाड़ में 1128.32 एकड़ (31.03.2016 : 1128.32 एकड) भूमि, तुरामडीह में अतिरिक्त 31.77 एकड़ (31.03.2016 : 31.77 एकड़) भूमि, Kylleng Pyndengsohiong Mawthabah में 290.45 हेक्टेयर (31.03.2016 : 290.45 हेक्टेयर) भूमि, लंबापुर में 1337.62 एकड़ (31.03.2016 : 1337.62 एकड) भूमि और गोगी में 39.13 हेक्टेयर (31.03.2016 : 39.13 हेक्टेयर) भूमि के खनन लीज के नवीकरण के लिए अधिकारियों के साथ बातचीत कर रही है।

38.3 कंपनी राज्य सरकार/निजी पार्टियों से अधिग्रहण किए गए 1548.09 एकड़ प्रति वर्श 1548.09 एकड़ भूमि के अनुमति प्राप्त कर अपने अधिकार में लेने की प्रक्रिया में है, इस संबंध में वाहन पंजीकरण का औपचारिक डीड लंबित है, जिसकी लागत 1517.59 लाख रुपये (प्रति वर्श 1517.59 लाख रु.) संबंधित मद 'पट्टाधृत भूमि' तथा 'पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि' के तहत कंपनी के अचल संपत्ति में शामिल किया गया है।

38.4 कंपनी 1986 से मोसाबनी में हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीसी) के 3(तीन) एकड़ भूमि का इस्तेमाल कर रही है, जो बिहार की पूर्व सरकार द्वारा पट्टे पर दी गई थी। किसी भी औपचारिक समझौते के अभाव में इस तरह के उपयोग के लिए किसी भी प्रकार के भुगतान पर विचार नहीं किया जाएगा।

38.5 **परियोजना पूर्व/चालू परियोजना पर व्यय :-**

**परियोजना पूर्व व्यय**

**अ) लांबापुर परियोजना ₹ 794.26 लाख रुपये :**

लांबापुर परियोजना, तेलंगाना पूर्व में आंध्र प्रदेश के लिए डीपीआर 2003 में तैयार किया गया था, और 2003 में इसे परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा मंजूरी दी गई थी। माइंस के लिए 2005 और संयंत्र के लिए 2007 में पर्यावरण मंजूरी प्राप्त हुआ था। हालांकि, परियोजना के निर्माण के लिए सरकारी की मंजूरी अभी नहीं मिली है। खनन पट्टे का अनुदान राज्य सरकार के पास लंबित है। स्थापना के लिए सहमति भी राज्य प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से लंबित है। खनन पट्टा और सीएफई नहीं मिलने के कारण भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही में प्रगति नहीं हुई है।

**ब) केपीएम परियोजना ₹ 918.06 लाख रुपये :**

कंपनी ने ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट आदि की तैयारी शुरू कर दी है और 2001 में मेघालय में झलससमदह च्लदकमदहेवीपवदहए डूंजींइीमाइनिंग ऐंड मिलिंग परियोजना के लिए खनन लीज के लिए आवेदन किया है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट वर्श 2004 में तैयार किया गया था। मार्च 2007 में कंपनी द्वारा तीस साल के लिए

लीज पर भूमि के हस्तांतरण के लिए आवेदन जमा किया गया था। 2007 में पर्यावरण तथा वन मंत्रालय से पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त हुई थी। राज्य सरकार से – स्थापना के लिए सहमति, भूमि तथा खनन पट्टा आदि के लिए मंजूरी लंबित है। कंपनी राज्य में यूरेनियम खनन के प्रति जनता से समर्थन जुटाने के लिए सार्वजनिक आउटरीज कार्यक्रम का संचालन कर रही है। सरकार के वरिश्ठ अधिकारियों के साथ हाल ही में हुए बैठकों में काम को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिल रहा है।

**स) तुम्मलापल्ले विस्तारीकरण परियोजना ₹ 83.40 लाख रुपये**

यूसीआईएल ने तुम्मलापल्ले परियोजना की उत्पादन क्षमता को मौजूदा सुविधा 3000 टीडीपी से 4500 टीडीपी बढ़ाने के लिए तुम्मलापल्ले विस्तारीकरण परियोजना, आंध्र प्रदेश की पहल की है। परियोजना के लिए डीपीआर 2010 में तैयार किया गया था। ईआईए/ईएमपी अध्ययन किया गया और राज्य प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड को सौंप दिया गया। जन सुनवाई का आयोजन समय पर नहीं किए जाने के कारण वैधता की शर्ते समाप्त हो गई। टीओआर और ईआईए/ईएमपी के लिए नई गतिविधियों की शुरुआत की गई है। चालू तुम्मलापल्ले परियोजना में प्रक्रियाओं में संशोधन के मद्देनजर डीपीआर पर पुनः विचार किया जा रहा है।

**द) गोगी परियोजना ₹ 191.80 लाख रुपये:**

कर्नाटक के यादगीर जिले में गोगी यूरेनियम माइनिंग एवं मिलिंग परियोजना के लिए डीपीआर 2010 में तैयार किया गया था। परमाणु ऊर्जा आयोग ने भी 2010 में परियोजना को मंजूरी दे दी थी। 2010 में आयोजित जन सुनवाई को एमओईएफ द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया। विचारणीय विषय की वैधता समाप्त हो गई। नए ईआईए/ईएमपी अध्ययन के लिए गतिविधियों की शुरुआत कर दी गई।

**ड़) रोहिल अन्वेशी खनन परियोजना ₹ 5.70 लाख रुपये**

राजस्थान के सिकर जिले में रोहिल यूरेनियम डिपोजिट अन्वेशण तथा अनुसंधान (एएमडी) के लिए परमाणु खनिज निदेशालय द्वारा अन्वेशण के अंतर्गत है। एएमडी समझौता ज्ञापन के माध्यम से यूसीआईएल को अन्वेशी खनन का काम सौंपने का प्रस्ताव दे रहा है और इस प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यूसीआईएल ने पहले से ही ड्रिल कोर के भू–तकनीकी अध्ययन के लिए गतिविधियों की शुरुआत कर दी है, जो माइन खोलने के लिए आवश्यक है। साइट गतिविधियों की भी शुरुआत की गई है।

**च) यूरेनियम रिकवरी प्लांट (मोसाबनी) : ₹ 62.71 लाख रुपये**

यूसीआईएल ने एचसीएल के राखा माइंस और सुरदा माइंस के कॉपर टेलिंग्स से यूरेनियम की पुनः प्राप्ति के लिए दो यूरेनियम रिकवरी संयंत्र के निर्माण का प्रस्ताव दिया है और तांबे के खानों के समीप यूरेनियम रिकवरी संयंत्र का निर्माण कर रही है। तांबे के अवशेश में यूरेनियम की सामग्री का उन्नयन भौतिक परिश्करण (टेबलिंग) द्वारा किया जाएगा और कसंट्रेटस को जादुगोडा स्थित संयंत्र में प्रोसेस किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी को इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, धनबाद द्वारा अंतिम रूप दिया गया है। इस क्षेत्र में कॉपर माइनिंग के लिए मेसर्स एचसीएल की योजना के मद्देनजर प्रस्तावित संयंत्र 2021 तक 45,000 टन प्रति माह कॉपर टेलिंग्स (तांबे के अवशेश) को प्रोसेस करेगा। साइट पर सर्वेक्षण और चाहारदीवारी का सीमांकन पूरा हो चुका है। टीओआर के लिए एमओईएफ के पास आवेदन किया जा चुका है। भूमि अधिग्रहण और पानी के लिए जिला आयुक्त, जमशेदपुर के पास आवेदन दिया गया है। परियोजना के लिए स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है।

**चालू परियोजना :**

**क) तुरामडीह मैग्नेटाइट रिकवरी प्लांट ₹ 1537.66 लाख रुपये**

तुरामडीह और बाहांदुहुरांग के यूरेनियम अयस्कों में मैग्नेटाइट खनिज की मात्रा काफी कम होती है। मैग्नेटाइट को प्रस्तावित संयंत्र में बाय–प्रोडक्ट के रूप में रिकवर किया जाएगा। इस प्रकार चुंबकीय पदार्थ और सटीकता के संदर्भ में उच्च गुणवत्ता वाले मैग्नेटाइट का उत्पादन होगा और कोयला वाशरीज में इसका उपयोग किया जाएगा। जादुगोडा के यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट में इस अभ्यास का अनुपालन किया जा रहा है। परियोजना के लिए प्रशासनिक स्वीकृति मिल गयी है। प्रमुख सीविल गतिविधियों सहित मिल की नींव और मैग्नेटाइट भंडारण पिट को पूरा किया जा चुका है। मैग्नेटाइट ड्रम की स्थापना के लिए अवसंरचनात्मक कार्य चल रहा है।

**ख) जादुगोडा में टेलिंग पौंड परियोजना का चौथा चरण ₹ 4240.47 लाख रुपये :**

जादूगोडा कारखाने के अपशिष्ट को अब जादूगोड़ा प्लांट के सटे हुए इसी उद्देश्य से बनाए गए तृतीय चरण के टेलिंग पॉण्ड में जमा किया जाएगा। प्रथम चरण और द्वितीय चरण टेलिंग पॉन्ड्स पूरी तरह से भरे हुए हैं और तृतीय चरण के 1 वर्ष के भीतर भर जाने की संभावना है जिसके लिए अतिरिक्त बाड़े की सुविधा का निर्माण करने का प्रस्ताव है। यह अवशेषों को जमा करने के लिए पर्याप्त स्थान बनाएगा। परियोजना का प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किया जा चुका है। साइट की गतिविधियां शुरू कर दी गईं हैं। ड्रिलिंग और ग्राउटिंग और प्राकृतिक जल प्रवाह को मोड़ने से संबंधित कार्य पू

**सी) तुरामडीह पेरॉक्साइड संयंत्र परियोजना 1262.76 लाख रुपये**

यह सुविधा मैग्नीशियम डी–यूरेनेट के स्थान पर यूरेनियम पेरॉक्साइड का उत्पादन करेगी। यूरेनियम पेरॉक्साइड का उत्पादन मैग्नीशियम डी–यूरेनेट (एमडीयू) के उत्पादन में कुछ प्रबल पर्यावरणीय कमियों को दूर करने में मदद करेगा। अधिकांश भौतिक कार्य पूरा हो चुका है। कोई लोड ट्रायल रन प्रगति पर नहीं है। एईआरबी अनुमोदन प्राप्त करने के बाद परियोजना को चालू किया जाएगा।

**डी) तुरामडीह में द्वितीय चरण टेलिंग डैम प्रोजेक्ट 30.05 लाख रुपये**

तुरामडीह मिल के अपशिस्ट को तालसा गांव के उद्देश्य से बनाए गए प्रथम चरण टेलिंग पॉण्ड में जमा किया जाता हैं। इस तालाब के 1–2 साल के भीतर भर जाने की उम्मीद है जिसके लिए इम्पाउंडमेंट यानीअतिरिक्त जमा सुविधा का निर्माण करने का प्रस्ताव है। इस अवधि के दौरान, अतिरिक्त 10 वर्षों के लिए इम्पाउंडमेंट का निर्माण करते हुए टेलिंग डैम का द्वितीय चरण पूरा कर लिया गया है ।

**ई) तुरामडीह मिल विस्तारीकरण 4596.85 लाख रुपये**

झारखण्ड के तुरामडीह में कुल 343.26 करोड़ की लागत से 3000 टीपीडी क्षमता के यूरेनियम अयस्क प्रसंस्करण संयंत्र की मंजूरी भारत सरकार द्वारा दी गयी थी। यूरेनियम की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए, यूसीआईएल ने मूल रूप से निर्धारित निर्माण कार्य के साथ 3000 टीपीडी से 4500 टीपीडी तक के संयंत्र का विस्तार करने का प्रस्ताव किया था। यह परियोजना पूरी हो चुकी है। एईआरबी मंजूरी प्राप्त की जा चुकी है और एमओईएफ की मंजूरी को तुरामडीह मिल विस्तारीकरण परियोजना की मंजूरी से जोडा गया है। पर्यावरण मंत्रालय से अंतिम पर्यावरण मंजूरी प्रतीक्षित है।

**एफ)भटीन खान आधुनिकीकरण परियोजना 1560.89 लाख रुपये**

यूसीआईएल ने 12 वीं योजना की अवधि के अंतर्गत 'भाटीन खान के आधुनिकीकरण' शीर्षक के तहत एक नई योजना बनाई है। परियोजना का डीपीआर दिसंबर 2013 में तैयार किया गया था। परियोजना को पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने मंजूरी दे दी है। यह परियोजना मौजूदा भाटीन खदान की उत्पादन क्षमता को 140 टीपीडी से 400 टीपीडी तक बढ़ाएगी, जिससे जादूगोड़ा संयंत्र में अयस्क प्रसंस्करण के वर्तमान स्तर को बनाए रखने में मदद मिलेगी, जबकि जादूगोड़ा खान से अयस्क उपलब्धता धीरे धीरे कम हो रही है।। इस परियोजना के लिए सभी अनुमोदन प्राप्त किए जा चुके हैं। प्रमुख कार्य के लिए अनुबंध को अंतिम रूप दिया जा चुका है। सीमा की दीवार (प्रथम चरण) और औद्योगिक पानी की टंकी का निर्माण पूरा हो चुका है। सतह पर सिविल मेंटेनेन्स का काम, 6.6 केवी क्षमता के सेकेंड सर्किट हाई टेंशन ओवरहेड लाइन के संशोधन और सतह पर अयस्क बिन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वन मंजूरी के इंतजार के कारण भूमिगत खनन गतिविधि शुरू नहीं हुई है।

**जी) सिंहभूम और तुम्मलापल्ले में डिबॉटलनेकिंग परियोजना 1682.95 लाख रुपये**

यूसीआईएल ने सिंहभूम और तुम्मलापल्ले में कुछ परियोजनाओं की शुरुआत की हैं, जो 'सिंहभूम और तुम्मलापलले में संचालन के डि–बॉटलनेकिंग' के तहत समूहीकृत हैं, जो स्थायी तरीके से वर्तमान प्रदर्शन स्तर को बनाए रखने में मदद करेंगे। प्रशासनिक अनुमोदन जुलाई 2016 में प्राप्त हो चुका है। प्रमुख अनुबंधों की निविदाएं और साइट गतिविधियां प्रगति पर हैं। रा हो चुका है। स्पिलवे, सैडल डैम और डाउनस्ट्रीम क्षेत्र में प्रतिधारण दीवार का एक हिस्सा पूरा हो गया है और शेश काम समेकित प्रस्ताव में शामिल किया जाएगा। नाला मोड़ और प्रतिधारण दीवार/ नाले का निर्माण पूरा हो गया है।

38.6 लेनदारों, देनदारों की शेष राशि और ठेकेदारों तथा आपूर्तिकर्ताओं का अग्रिम, समाधान/ पुष्टिकरण और संबंधित परिणामी समायोजन के अधीन है, यदि कुछ हो तो।

38.7 आंतरिक और बाहरी तथ्यों के मूल्यांकन के आधार पर, परिसंपत्तियों के मिलान के लिए कोई तुलनात्मक प्रावधान का विचार आवश्यक नहीं समझा गया क्योंकि परिसंपत्तियों का वास्तविक मूल्य वर्तमान परिसंपत्तियों की लागत से अधिक है।

38.8 कंपनी कर्मचारी भविश्य निधि एवं विविध प्रावधान नियम 1952 (ईपीएफ एक्ट) के अंतर्गत नहीं आती है, परंतु 1967 से एक न्यास के माध्यम से भविश्य निधि का प्रबंधन किया जा रहा है, जिसका नियम कंपनी के द्वारा बनाया हुआ है और वह रिजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर (आरपीएफसी), पटना एवं आय कर आयुक्त द्वारा अनुमोदित है। तथापि आरपीएफसी, जमशेदपुर ने अपनी सूचना दिनांक 01.01.1997 द्वारा दावा किया है कि यह ईपीएफ एक्ट 1952 के अंतर्गत आता है एवं कंपनी को 1967 से बकाया पीएफ और 1997 से फैमिली पेंशन अंशदान जमा करने के लिए कहा है। कंपनी ने दावे पर आपत्ति जताई है तथा इस पर अपील किया है जो वर्तमान में इम्प्लाइज प्रोविडेंट फंड अपीलेट ट्रिव्यूनल (ईपीएटी), नई दिल्ली के पास लंबित है। चूंकि कंपनी ईपीएफ एक्ट 1952 के तहत प्रदत्त अंशदान के बराबर ट्रस्ट के लिए पीएफ का भुगतान करती है, अतः कोई अतिरिक्त वित्तीय दायित्व ईपीटी के समक्ष अपील लंबित होने के कारण नहीं बनता है।

38.9 तुलन–पत्र तिथि पर कार्य करने की जिम्मेदारी अभियंता प्रमाण पत्र के अनुसार दी गई है।

38.10 अल्प अवधि की उधारी कंपनी की कार्यशील पूंजी की मांग को पूरा करने के लिए ली गई है और इसकी व्याज जिसका भुगतान किया गया है यां बाकी है को लाभ एवं हानि विवरण में चार्ज किया गया है । एन.पी.सी.आई.एल से ली गई उधारी पर कोई व्याज का भुगतान नहीं किया गया है ।

38.11 वर्ष के दौरान ह्रास को कंपनी अधिनियम 2013 की शेड्यूल II में वर्णित उपयोगी जीवन हके आाधार पर या आंतरिक तकनीकि असेस्मेंट के आधार पर किया गया है।

38.12 वर्ष के दौरान कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची

| विवरण | एस बी एनएस | अन्य संप्रदाय नोट | कुल |
|---|---|---|---|
| **08-11-2016 को हाथ मे समापन नकद** | 18,50,000.00 | 2,45,501.50 | 20,95,501.50 |
| (+) अनुमति प्राप्त प्राप्तियां | 27,000.00 | 44,43,681.00 | 44,70,681.00 |
| (-) अनुमति प्राप्त भुगतान | - | (34,99,154.00) | (34,99,154.00) |
| (-) बैंक में जमा राशि | (18,77,000.00) | - | (18,77,000.00) |
| **30-12-2016 को हाथ मे समापन नकद** | **-** | 11,90,028.00 | **11,90,028.50** |

नोट : केवल यूसीआईएल अस्पताल से प्राप्त कुल एसबीएन की स्वीकृत नकद ।

38.13 निदेशक मंडल ने लाभांश 3,839.00 लाख (गतवर्ष 3064 लाख रुपये) इक्विटी शेयर पर शिफारिश किया गया है 2016–17 के लिए ।

38.14 आंकड़ों को लाख रुपये के सन्निकट में लिया गया है । गत वर्ष के आंकड़ों को जहां कही भी जरुरी समझा गया उसे चालू तुलनात्मक दृष्टि से पुनः समूह में व्यवस्थित/वर्गीकृत किया गया है ।

अनुसूची '1' से '38' हस्ताक्षरी

हमारी संलग्न समतिथि की रिपोर्ट के अनुसार
**अग्रवाल रमेश के एवं कंपनी के लिए**
चार्टर्ड अकाउंटेंटस
फर्म रजिस्ट्रेषन संख्या–004617C

कृते बोर्ड की ओर से

**रमेश कुमार अग्रवाल**
पार्टनर
सदस्यता संख्या–072918
स्थान – कोलकाता
तिथि – 19 जुलाई 2017

**बी.सी. गुप्ता**
कंपनी सचिव

**देवाशिष घोष**
निदेषक (फाइनांस)

**सी.के. असनानी**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेषक

# कैश फ्लो विवरण

(लाख ₹ में )

| विवरण | नोट | 31 मार्च 2017 तक | 31 मार्च 2016 तक |
|---|---|---|---|
| **अपरिचालन की क्रियाओं से कैश फ्लो** | | | |
| कर पूर्व लाभ/(हानि) | | 20,984.35 | 15,453.41 |
| **समायोजन के लिए :** | | | |
| . मूल्य ह्रास एवं परिशोधन व्यय | 26 | 13,760.43 | 8,685.75 |
| . बैंक जमा पर ब्याज | 22 | (18.59) | (29.90) |
| . ऋण एवं पेशगी पर ब्याज | 22 | (104.16) | (449.51) |
| . वित्तीय लागत | 25 | 6,431.53 | 6,197.84 |
| कार्यकारी पूँजी परिवर्तन के पूर्व परिचालन लाभ | | 41,053.56 | 29,857.59 |
| **कार्यशील पूँजी समायोजन** | | | |
| . प्राप्त किया व्यापार का (वृद्धि)/ह्रास | 9 | (26,016.38) | (16,071.80) |
| . ऋण एवं पेशगियों में (वृद्धि)/ह्रास | 6 | (729.68) | 266.28 |
| . मालसूची में (वृद्धि)/ह्रास | 8 | (41,222.83) | (3,180.67) |
| . अन्य चालू परिसम्पत्तियों पर (वृद्धि)/ह्रास | 14 | (391.26) | (737.09) |
| . अन्य वित्तीय सम्पत्तियों पर (वृद्धि)/ह्रास | 13 | (53.36) | (64.35) |
| . देय व्यापार का (वृद्धि)/ह्रास | 17 (b) | 464.28 | (232.55) |
| . प्रावधानों का (वृद्धि)/ह्रास | 18 | 1,770.26 | (1,402.42) |
| . वित्तीय देनदारियों का (वृद्धि)/ह्रास | 17 (c) | 16,338.52 | 10,006.06 |
| . वर्तमान देनदारियों का (वृद्धि)/ह्रास | 20 | 228.30 | 636.79 |
| परिचालन की क्रियाओं से नकद उपार्जन | | (8,558.59) | 19,077.83 |
| प्रत्यक्ष कर | | (2,626.95) | (3,960.70) |
| **परिचालन की क्रियाओं से (में प्रयुक्त) शुद्ध कैश फ्लो (अ)** | | **(11,185.54)** | **15,117.13** |
| **निवेश की क्रियाओं से कैश फ्लो** | | | |
| सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण की खरीद | 3 | (1,61,455.28) | (6,708.13) |
| अमूर्त सम्पत्ति की खरीद | | (14,016.35) | - |
| डब्ल्यू. आई. पी. की पूँजी में (वृद्धि)/ह्रास | 4 | 1,98,333.48 | (19,212.33) |
| पूँजी व्यय के लिए अग्रिम | 7 | - | 3.41 |
| ऋण एवं पेशगियों पर ब्याज (वित्त आय) | 22 | 104.16 | 449.51 |
| प्राप्ति बैंक जमा पर ब्याज | 22 | 18.59 | 29.90 |
| नकद और नकद समकक्षों के अलावा बैंक शेष में (वृद्धि)/ह्रास | 11 | (9.21) | (118.05) |
| **विनियोग की क्रियाओं से (में प्रयुक्त) शुद्ध कैश फ्लो (ख)** | | **22,975.39** | **(25,555.69)** |
| **वित्तीय क्रियाओं से कैश फ्लो** | | | |
| इक्विटी शेयर पूँजी से लाया गया (लंबित आवंटन को जोड़कर) | 15 | 2,500.00 | 3,200.00 |
| उधार से प्राप्त आय | 17(a) | - | 7,654.36 |
| उधार का भुगतान | 17(a) | (5,068.56) | - |
| लाभांश चुकाया | | (3,064.00) | (164.00) |
| लाभांश वितरण कर | | (623.77) | (33.39) |
| ब्याज चुकाया | 25 | (6,384.43) | (6,154.23) |
| **वित्तीय क्रियाओं से (में प्रयुक्त) शुद्ध कैश फ्लो (ग)** | | **(12,640.76)** | **4,502.74** |
| नकद तथा नकदी के सामान में शुद्ध वृद्धि (क+ख+ग) | | (850.91) | (5,935.82) |
| वर्ष के प्रारम्भ में नकद और नकदी के समकक्ष | 10 | 3,198.21 | 9,134.01 |
| **वर्ष के अंत में नकद और नकदी समकक्ष** | **10** | **2,347.30** | **3,198.19** |

साथ के ये नोट इन वित्तीय विवरणों के अभिन्न हिस्सा है :

हमारी संलग्न समतिथि की रिपोर्ट के अनुसार
**अग्रवाल रमेश के एवं कंपनी के लिए**
चार्टर्ड अकाउंटेंटस
फर्म रजिस्ट्रेशन संख्या–004617C

कृते बोर्ड की ओर से

**रमेश कुमार अग्रवाल**
पार्टनर
सदस्यता संख्या–072918
स्थान – कोलकाता
तिथि – 19 जुलाई 2017

**बी.सी. गुप्ता**
कंपनी सचिव

**देवाशिष घोष**
निदेशक (फाइनांस)

**सी.के. असनानी**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

## पच्चीस वर्ष का संग्रह

| वर्ष | आय | समाग्रियाँ | वेतन/मजदूरी तथा अन्य सुविधाएँ | मूल्यह्रास | उत्पादन एवं अन्य व्यय | कर पूर्व लाभ /हानि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992-93 | 4249.2 | 659.3 | 1369.8 | 217.9 | 1624.1 | 376.5 |
| 1993-94 | 4775.7 | 788.3 | 1415.5 | 291.7 | 1970.5 | 309.0 |
| 1994-95 | 5730.1 | 1082.3 | 1530.6 | 353.4 | 2396.1 | 349.1 |
| 1995-96 | 7149.8 | 1064.5 | 2569.6 | 1286.7 | 2187.7 | 31.1 |
| 1996-97 | 8601.0 | 1037.0 | 3141.5 | 1404.8 | 3693.6 | (-) 676.0 |
| 1997-98 | 11140.5 | 1107.0 | 3429.6 | 1067.3 | 5019.9 | 516.7 |
| 1998-99 | 13417.5 | 1252.7 | 4255.9 | 1236.4 | 6495.0 | 177.5 |
| 1999-00 | 14533.0 | 1461.9 | 4522.2 | 1685.2 | 5361.4 | 1307.9 |
| 2000-01 | 14797.0 | 1612.7 | 4768.8 | 1842.9 | 6167.4 | 405.2 |
| 2001-02 | 16597.1 | 1746.8 | 5524.9 | 2054.1 | 6399.3 | 872.0 |
| 2002-03 | 19357.1 | 1740.5 | 5274.5 | 2069.9 | 7500.0 | 2772.4 |
| 2003-04 | 21396.9 | 2248.4 | 5596.8 | 2236.3 | 9389.7 | 1925.7 |
| 2004-05 | 25497.0 | 2590.01 | 5945.24 | 2443.43 | 9896.72 | 4621.6 |
| 2005-06 | 28156 | 3121 | 7309 | 2468 | 10332 | 4926 |
| 2006-07 | 29781 | 4138 | 8817 | 2592 | 9856 | 4378 |
| 2007-08 | 30436 | 4786 | 9929 | 2518 | 11061 | 2142 |
| 2008-09 | 41462 | 6143 | 12728 | 2755 | 13832 | 6004 |
| 2009-10 | 54306 | 7494 | 14539 | 6661 | 17827 | 7785 |
| 2010-11 | 76025 | 10072 | 19815 | 8245 | 21836 | 16057 |
| 2011-12 | 70728 | 10469 | 18572 | 7184 | 25526 | 8626 |
| 2012-13 | 85512 | 12882 | 21988 | 7795 | 28447 | 14417 |
| 2013-14 | 81430 | 13106 | 24806 | 7793 | 33979 | 1633 |
| 2014-15 | 89024 | 14138 | 27869 | 8186 | 37693 | 1133 |
| 2015-16 | 102463 | 12694 | 29566 | 8581 | 35816 | 15806 |
| **2016-17** | **127270** | **8874** | **30167** | **13663** | **53582** | **20984** |

(लाख ₹ में)

| कर पश्चात लाभ | पूँजी | आरक्षित तथा अतिरिक्त | सकल निरूद्ध पूँजी | कुल मूल्य ह्रास | शुद्ध निरूद्ध पूँजी | 31 मार्च को कर्मचारियों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 146.2 | 17017.3 | 2802.0 | 5262.4 | 2824.3 | 2438.1 | 3898 |
| 104.4 | 22517.3 | 2906.5 | 9085.1 | 3574.4 | 5510.7 | 3904 |
| 801.9 | 30517.3 | 3708.4 | 11277.1 | 4396.1 | 6888.0 | 4024 |
| 78.6 | 5422.3 | 3787.1 | 18558.6 | 5813.8 | 12744.8 | 4171 |
| (-)854.0 | 36922.3 | 1326.6 | 19008.1 | 7203.8 | 11804.2 | 4249 |
| 251.4 | 37075.3 | 1523.0 | 25203.8 | 8644.3 | 16559.5 | 4312 |
| 367.1 | 41982.3 | 1808.0 | 34057.7 | 10039.8 | 24018.0 | 4385 |
| 1151.1 | 41982.3 | 2666.4 | 36438.7 | 11894.8 | 24543.9 | 4408 |
| 303.7 | 41982.3 | 2902.3 | 38041.5 | 13915.3 | 24126.3 | 4420 |
| 588.2 | 38339.3 | 4971.5 | 38510.6 | 16076.3 | 22434.3 | 4218 |
| 480.84 | 41839.3 | 4398.8 | 43443.2 | 18062.2 | 25381.0 | 4147 |
| 978.7 | 49839.3 | 4981.8 | 48591.2 | 20109.6 | 28481.6 | 4064 |
| 2925.1 | 63389.3 | 7222.8 | 52746.6 | 22813.5 | 29933.1 | 4034 |
| 3161 | 69094 | 9472 | 57074 | 25509 | 31566 | 4103 |
| 2751 | 71265 | 11403 | 61942 | 28192 | 33750 | 4276 |
| 1463 | 84165 | 12433 | 67254 | 31012 | 36242 | 4439 |
| 1801 | 107765 | 13684 | 117101 | 33914 | 83187 | 4643 |
| 4626 | 134793 | 16957 | 123150 | 40842 | 82308 | 4539 |
| 10153 | 143962 | 24146 | 126383 | 49131 | 77251 | 4696 |
| 6484 | 143962 | 28742 | 135090 | 56446 | 78644 | 4624 |
| 9078 | 143962 | 35697 | 145358 | 64418 | 80940 | 4613 |
| 1069 | 146962 | 36516 | 148617 | 71878 | 76739 | 4642 |
| 818 | 153962 | 36116 | 153054 | 81715 | 71339 | 4685 |
| 10212 | 156462 | 42641 | 159762 | 90401 | 69362 | 4757 |
| **12618** | **161562** | **55173** | **253703** | **22446** | **231257** | **4834** |

सी.एस.आर. की तहत कौशल विकास

सी.एस.आर. के अंतर्गत पेयजल

महिला सशक्तिकरण

यूसिल, जादूगोड़ा में भूमिगत विज्ञान प्रयोगशाला का उद्घाटन

सास्कृतिक कार्यक्रम

# URANIUM CORPORATION OF INDIA LIMITED

Celebrating

50 Years

राष्ट्र की सेवा में परमाणु

यू सी आई एल

UCIL

ATOMS IN THE SERVICE OF THE NATION

# GOLDEN Jubilee

**Since - 1967**

ISO 9001:2008, 14001:2004 एवं IS 18001:2007 कम्पनी

An ISO 9001:2008, 14001:2004 & IS 18001:2007 Company